।। सत्यमेव जयते ।।

शक्ति विश्वास

स्मारिका–2026

Richi Rich
FINANCIAL CONSULTANCY
Financial Freedom
"नौकरी से आजादी"
Financial Advisory Services
Reach Financial freedom with a tailored investment
Our Mission to deliver innovation financial solutions.
Financial Literacy
Advisory Services
Honoured To Meet Our Hero
M.: 9411695279
9193330333
(MD & CEO)
Bombay Stock Exchange
Rajeev Kumar
Ex. SDO P.V.V.N.L.

वर्ष 48 अंक 1 अप्रैल–2026

शक्ति विश्वास

स्मारिका-2026

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ०प्र० का विशेषांक

सम्पादक :

इं० प्रदीप कुमार

केन्द्रीय प्रचार सचिव

मोबाइल : 7380443940

ई-मेल : pracharsachiv.rvpjes@gmail.com

प्रकाशक :

इं० गोपाल वल्लभ पटेल

केन्द्रीय अध्यक्ष

मोबाइल : 9415900262

इं० बलबीर यादव

केन्द्रीय महासचिव

मोबाइल : 9451226682

मुद्रक

प्रिंटिंग कारपोरेशन

14, पुराना गनेशगंज, लखनऊ-18

(मोबाइल : 09935329819)

ई-मेल : bhawesh1990@gmail.com

सम्पादकीय पत्र व्यवहार

'सहयोग सदन', 6-गोखले मार्ग,

लखनऊ-226 001

website : www.rvpjes.com

ई-मेल : sachiv.rvpjes@gmail.com

इस पत्रिका में प्रकाशित किसी रचना में व्यक्त विचारों के लिए राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश उत्तरदायी नहीं है। इसमें प्रकाशित किसी रचना या विचार पर विवाद के लिए न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

पत्रिका का वार्षिक शुल्क, पता परिवर्तन की सूचना एवम् प्रकाशनार्थ सामग्री ग्राहक संख्या देते हुए सम्पादक/प्रकाशक के नाम ''सहयोग सदन'' 6, गोखले मार्ग, लखनऊ-1 के पते पर भेजें।

वार्षिक शुल्क

100.00 रुपया

(संगठन सदस्यों के अतिरिक्त ग्राहकों से)

कोटिशः साभार

सहृदयी विज्ञापनदाताओं एवं इस पुण्य कार्य से जुड़े निष्ठावान साथियों का आभार, जिनके स्नेह, सहयोगी-भावना और स्वीकार्य से हमें 'स्मारिका अंक' शक्ति विश्वास देने का अवसर मिला है।

आप सभी के इस अतुलनीय सहयोग का संगठन सदैव आभारी रहेगा एवं आप सभी का हृदय से नमन करता है।

(प्रदीप कुमार)

सम्पादक एवं केन्द्रीय प्रचार सचिव

अनुक्रमणिका

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
❍ अपनी बात (सम्पादकीय)	3
❍ सम्मेलन : 78वाँ महाधिवेशन – प्रतिवेदन, माँग-पत्र, रपट	5
❍ संगठनात्मक (केन्द्रीय)	15
❍ पत्राचार (केन्द्रीय)	24
❍ पदाधिकारी–सत्र 2026	37
❍ अखबार का कोना	45
❍ निगमादेश (उ.प्र.पा.का.लि.) :	
● अवर अभियन्ताओं (वै. एवं यां./जानपद) के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में	48
● UNIFORM ESTIMATES निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में	49
● ''बिजली बिल राहत योजना-2025-26'' के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्रथम चरण की अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में	56
● कॉस्ट डाटा बुक–2026 के सम्बन्ध में	56
● 'बिजली बिल राहत योजना 2025-26' बकाया राशि का ''एकमुश्त पूर्ण भुगतान'' किये जाने के सम्बन्ध में	60
● उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना को नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के मध्य प्रचारित किये जाने के सम्बन्ध में	60
● INCENTIVE POLICY FOR HIGHER EDUCATION	61
● उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद अधीनस्थ अभियन्ता (ई. एण्ड एम.) सेवा विनियमावली–1972	64
● नई वर्टिकल व्यवस्था में पेंशनरों एवं सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में	67
● ''बिजली बिल राहत योजना 2025-26'' के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु द्वितीय चरण की अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में	67
● पुनरीक्षित मासिक फ्लैट रेन्ट दिनांक 01.06.2025 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में	68
● उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना को नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के मध्य प्रचारित किये जाने के सम्बन्ध में	69
● अधिशासी अभियन्ता (वै. एवं यां.) के पद पर प्रोन्नति	70
● दृष्टिगत फेलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा की मान्यता बहाल	71
● म्युचुअल फंड में निवेश से होने वाली आय/लाभ एवं हानियों के सम्बन्ध में	71
● Capacity Building Unit (CBU) का गठन	71
● डिस्कॉम स्तर पर निलम्बित किये गये कार्मिकों की बहाली के सम्बन्ध में	72
● नगरों के बाहरी इलाकों में स्थित अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत तंत्र निर्माण हेतु निर्धारित दर रु. 70 प्रति वर्ग फीट के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में	73
● उ.प्र. सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन के सम्बन्ध में	87
● वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता को कम करने व उत्तरदायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में	92
● सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने हेतु	93
● सृजन वात्सल्य हॉस्पिटल प्रा.लि., सिविल लाइन्स, प्रयागराज को मान्यता प्राप्त	94
● कॉसमॉस हॉस्पिटल, प्रेमनगर, मुरादाबाद को मान्यता प्राप्त	95
● श्री साईं हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद (ए यूनिट ऑफ मेडिनोवा हेल्थकेयर प्रा.लि.), को मान्यता प्राप्त	96
● उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में	98
● मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में	102
● उ.प्र.पा.का.लि. एवं पावर सेक्टर व उनके सहयोगी संगठनों के कार्मिकों के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार विषयक शिकायतों एवं उनकी आय से अधिक परिसम्पत्तियों की जांच सतर्कता विभाग से कराया जाना	104
● अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वि. एव यां.) के पद पर प्रोन्नति	105
● अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर प्रोन्नति	114
● अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नति	115

इं० प्रदीप कुमार

केन्द्रीय प्रचार सचिव

एवं

सम्पादक 'शक्ति विश्वास'

अपनी बात

बदलते परिवेश में संगठन – अधिकार के साथ उत्तरदायित्व

आज का समय तीव्र परिवर्तन का समय है। तकनीक, कार्यशैली, उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं। ऐसे परिवेश में किसी भी संगठन की भूमिका केवल कर्मचारियों के हितों तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि उसे समाज, उपभोक्ता और विभागीय व्यवस्था के मध्य एक सशक्त सेतु का कार्य भी करना पड़ता है। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश सदैव इसी भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करता आया है।

विद्युत व्यवस्था आज केवल एक सेवा नहीं, बल्कि आम जनजीवन की मूल आवश्यकता बन चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर महानगरों तक, उद्योगों से लेकर किसानों तक, प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से जुड़ी हुई है। ऐसे में जूनियर इंजीनियर वर्ग की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सीमित संसाधनों, विपरीत परिस्थितियों एवं बढ़ते कार्यभार के बावजूद हमारे साथी निरंतर विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

वर्तमान समय में संगठन का सबसे बड़ा दायित्व अपने सदस्यों और प्रबंधन के मध्य सकारात्मक समन्वय स्थापित करना है। किसी भी विभाग की प्रगति तभी संभव है जब कर्मचारियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उनका समयबद्ध समाधान किया जाए। संगठन सदैव यह प्रयास करता रहा है कि सदस्यों की सेवा सम्बन्धी समस्याएँ, कार्यस्थल की कठिनाइयाँ, सुरक्षा सम्बन्धी विषय तथा पदोन्नति एवं सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उचित स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाए जाएँ। साथ ही संगठन यह भी सुनिश्चित करता है कि विभागीय अनुशासन एवं कार्य-संस्कृति प्रभावित न हो।

आज उपभोक्ता पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक और अपेक्षाकृत संवेदनशील हो गया है। वह त्वरित समाधान, पारदर्शिता एवं बेहतर व्यवहार की अपेक्षा करता है। ऐसे में हमें तकनीकी दक्षता के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं को भी अपने कार्य व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा। यदि उपभोक्ता को यह विश्वास हो कि विभाग उसकी समस्या के प्रति गंभीर है, तो विभाग एवं जनता के मध्य सम्बन्ध और अधिक मजबूत होंगे। संगठन अपने सदस्यों को सदैव उपभोक्ता हितों के प्रति सजग एवं उत्तरदायी बने रहने के लिए प्रेरित करता है।

इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर बढ़ते मानसिक दबाव एवं चुनौतियों के बीच साथियों का मनोबल बनाए रखना भी संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को यदि सम्मान, सहयोग और सुरक्षा का वातावरण मिले तो उनकी कार्यक्षमता स्वतः बढ़ जाती है। संगठन निरंतर यह प्रयास करता है कि प्रत्येक सदस्य स्वयं को संगठनात्मक परिवार का अभिन्न हिस्सा महसूस करे। आपसी सहयोग, एकता एवं संवाद ही किसी भी संगठन की वास्तविक शक्ति होती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बदलती तकनीकों को अपनाते हुए स्वयं को समय के अनुरूप तैयार करें। डिजिटल प्रणाली, स्मार्ट मीटरिंग, ऑनलाइन शिकायत निस्तारण एवं आधुनिक विद्युत प्रबंधन प्रणाली भविष्य की आवश्यकता हैं। हमें इन परिवर्तनों को अवसर के रूप में स्वीकार कर अपनी दक्षता और कार्यक्षमता को और बेहतर बनाना होगा।

अंततः यही कहा जा सकता है कि संगठन केवल अधिकारों की आवाज नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का भी प्रतीत है। हमारा उद्देश्य सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए विभागीय व्यवस्था को मजबूत बनाना, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाना तथा प्रबंधन के साथ सकारात्मक समन्वय स्थापित करना है। एकजुटता, अनुशासन, समर्पण एवं सकारात्मक सोच के साथ हम निश्चित रूप से विद्युत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं जनहितकारी बना सकते हैं।

आपका

(प्रदीप कुमार)

मोबाइल : 7380443940

With best compliments from :

THE GRAND ARC

HOTEL & CONVENTION CENTRE

WHERE EVERY STAY IS A STORY : EXPERIENCE HOSPITALITY REDEFINED

Swimming Pool

Restaurant

Comfortable Room

RELAXATION AND ADVENTURE IN EVERY CORNER

◆ WEDDINGS ◆ CORPORATE EVENTS ◆ LUXURY STAY ◆ FAMILY GATHERINGS

Web. : www.thegrandarc.com | Mob. : +91-83037 15930 / 83037 15928

78वाँ महाधिवेशन : स्मृतियों का चित्रण

॥ संगठन के महाधिवेशन का मुख्य प्रवेश द्वार – सदस्यों का पंजीकरण ॥

78वाँ महाधिवेशन : स्मृतियों का चित्रण

।। मुख्य अतिथि का आगमन एवं स्वागत ।।
(उद्घाटन सत्र)

78वाँ महाधिवेशन : स्मृतियों का चित्रण

।। मुख्य अतिथियों का सम्मान ।।

78वाँ महाधिवेशन : स्मृतियों का चित्रण

।। संगठन के पदाधिकारियों का सम्मान ।।

78वाँ महाधिवेशन : स्मृतियों का चित्रण

।। मुख्य अतिथियों व संगठन के पदाधिकारियों का सदन को सम्बोधन ।।

।। शक्ति विश्वास एवं निगमादेश का विमोचन।।

78वाँ महाधिवेशन : स्मृतियों का चित्रण

।। मुख्य अतिथि का आगमन एवं पदाधिकारियों का सम्बोधन ।।
(समापन-सत्र)

78वाँ महाधिवेशन : स्मृतियों का चित्रण

।। मुख्य अतिथियों द्वारा लेसा डायरी का विमोचन (समापन सत्र) ।।

78वाँ महाधिवेशन : स्मृतियों का चित्रण

।। भोजन व्यवस्था एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम ।।

सम्मेलन

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश के 78वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर प्रस्तुत प्रतिवेदन (उद्घाटन सत्र)

दिनांक : 20.12.2025

संगठन के 78वें महाधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे संगठन के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय इं. अजय कुमार जी, मंच पर विराजमान संगठन के संरक्षक आदरणीय इं. सतनाम सिंह जी, इं. आर. के. त्रिवेदी जी, अधिवेशन के मुख्य अतिथि मा. ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, मा. ऊर्जा राज्य मंत्री श्री (डा.) सोमेन्द्र तोमर जी, अतिविशिष्ट अतिथि समस्त ऊर्जा निगम के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल जी (आई.ए.एस.), विशिष्ट अतिथि आई.ए.एस. श्री पंकज कुमार, प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि., सम्मानित निदेशक एवं अधिकारीगण, विभिन्न घटक संघों के पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं तथा प्रदेश के कोने-कोने से पधारे अवर अभियन्ता एवं प्रोन्नत अभियन्ता साथियों !

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश के 78वें महाधिवेशन के अवसर पर प्राचीन लक्ष्मण नगर तथा अदब और तहजीब के शहर राजधानी लखनऊ के रवीन्द्रालय प्रेक्षागृह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ।

किसी राष्ट्र की संपन्नता, विस्तार, उन्नति का आधार ऊर्जा है। समय के साथ ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार अब लगभग सभी नागरिकों के सामान्य जीवनचर्या में अनिवार्य रूप से जुड़ गया है। विद्युत की निर्बाध उपलब्धता से जहाँ एक ओर व्यक्ति का दैनिक जीवन सुगम होता है, उत्पादकता बढ़ती है, वहीं विद्युत कटौती के कारण सामान्य जीवन एवं उत्पादकता में नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय ऊर्जा मंत्री जी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। उत्पादन निगम की परियोजनाओं समेत पारेषण एवं वितरण उपकेन्द्रों की क्षमता विस्तार तथा लाइनों के नवीनीकरण से प्रदेश में बेहतर उपभोक्ता सेवा, लाइन हानियों को कम करने के साथ ही रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति एवं राजस्व वसूली के मामले में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। जहाँ एक ओर कई तापीय परियोजनाएं निर्माणाधीन होने के साथ ही पुरानी परियोजनाओं की क्षमतावृद्धि के कार्य त्वरित गति पर हैं, वहीं रुफटॉप सोलर प्लांट तथा गैर परंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण तंत्र को सुदृढ़ किया जाना आरडीएसएस योजनाओं द्वारा बढ़ती बिजली की मांग की आपूर्ति पूरा करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की अपेक्षा के अनुरूप दैनिक जीवन एवं विकास का मूल आधार विद्युत क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उक्त कार्य में जूनियर इंजीनियर, प्रोन्नत अभियन्ताओं का भी योगदान उल्लेखनीय है।

पावर कारपोरेशन द्वारा प्रदेश सरकार को माह जुलाई-2024 में दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि कारपोरेशन में लगभग 3.45 करोड़ विद्युत उपभोक्ता, 33/11 के.वी. उपकेंद्रों के 5662 विद्युत वितरण उपकेन्द्र हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व वृद्धि में 17.63 प्रतिशत तथा AT&C हानियाँ 16.50 प्रतिशत के स्तर पर आ गई जो कि विद्युत क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है। अग्रेतर कारपोरेशन द्वारा माह जुलाई-2024 में दिए गए आंकड़ों के विपरीत ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा माह नवंबर-2024 में कारपोरेशन

की खराब वित्तीय प्रदर्शन के आंकड़े प्रस्तुत किया जिसके अनुसार AT & C हानियाँ 34.28 प्रतिशत प्रदर्शित किया जाना समझ से परे है तथा इस आधार पर निजीकरण उचित नहीं है।

माननीय मुख्य अतिथि महोदय संगठन का सदैव मानना है कि यदि उपभोक्ता को सही समय पर सही बिल उपलब्ध करा दिया जाए तो ज्यादातर उपभोक्ताओं द्वारा बिलों का समय से ही भुगतान कर दिया जाता है तथा उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस सम्बन्ध में बिलिंग एजेंसी द्वारा की जा रही लापरवाही/गड़बड़ी तथा उन्हें रोके जाने के उपाय संगठन द्वारा शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन को पूर्व में भी प्रेषित किए जा चुके हैं। हमें खुशी है कि विभाग अब उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराने हेतु गंभीर है, जिसका लाभ विद्युत उपभोक्ताओं एवं विभाग दोनों को मिलेगा।

उपरोक्त सारी उपलब्धियों में प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीति, ऊर्जा प्रबन्धन के सहयोग के साथ विद्युत कर्मियों, जूनियर इंजीनियर, प्रोन्नत अभियन्ताओं का बड़ा योगदान है, जिन्होंने सीमित संसाधन तथा चुनौती पूर्ण वातावरण में विभाग के प्रति समर्पित भाव से महीनों तक बिना अवकाश के कार्य करके प्रदेश के लगभग 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं बेहतर सेवा प्रदान किया है तथा प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ लाइन हानि को काफी कम लाने में अपना योगदान दिया है।

आज से कल तक चलने वाले वार्षिक महाधिवेशन में सरकार एवं ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर बेहतर उपभोक्ता सेवा, विद्युत चोरी को रोकने, उत्पादन इकाइयों की दक्षतापूर्ण संचालन की दिशा में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयाँ एवं उनके समुचित समाधान के साथ संवर्गीय मांगों/समस्याओं पर चिंतन मनन किया जाएगा। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित करते हुए इसके वित्तीय रूप से सक्षम (Financialy Sustainable) तथा अधिक जनोपयोगी बनाए जाने पर गंभीर/सार्थक चर्चा की जायेगी।

विभागीय मानकों के अनुसार 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र पर एक अवर अभियन्ता की तैनाती होनी चाहिए तथा एक अवर अभियन्ता पर 5000 से 6000 उपभोक्ता का दायित्व होना चाहिए, परन्तु वास्तव में यह स्थिति कारपोरेशन में उलट है, यहाँ पर अधिकतर अवर अभियन्ता के पास 10 से 12 हजार उपभोक्ता से कहीं अधिक हैं। कहीं-कहीं अवर अभियन्ताओं के ऊपर 20000 या उससे अधिक उपभोक्ताओं का कार्य दायित्व है। कई अवर अभियन्ताओं को एक से अधिक उपकेन्द्रों का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत उपकेन्द्रों के संचालन हेतु मैन, मनी, मटेरियल की कमी, कई-कई माह तक अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोले जाने के आदेश, कार्य हेतु कार्यालय, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर इत्यादि की अनुपलब्धता तथा लगातार हो रही वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से समीक्षाओं और अव्यावहारिक दण्ड से स्थितियाँ बहुत ही खराब हो रही हैं जो कि कठिन परिश्रम करने वाले जूनियर इंजीनियर एवं प्रोन्नत अभियन्ताओं का मनोबल तोड़ने वाला है।

किसी भी संस्था में कार्य करने वाले कार्मिक उसकी सबसे बड़ी पूँजी होते हैं। प्रबन्धन एवं कार्मिकों के बीच संवाद द्वारा कार्मिकों की न्यायसंगत मांगों/समस्याओं का निदान कर कार्य का बेहतर वातावरण और परस्पर विश्वास को बढ़ाना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन द्वारा सेवा संगठनों से वार्ता कर उनकी न्यायसंगत मांगों के निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने हेतु अनेकों स्पष्ट शासनादेश जारी किया गया है, जिसके अनुपालन के क्रम में संगठन से वार्ता कर खानापूर्ति के बजाय समस्याओं का न्यायसंगत निराकरण किया जाना चाहिए तथा शासनादेश के अनुरूप नियमित वार्ताएं, उनके कार्यवृत्त एवं आदेश जारी कर आपसी विश्वास का वातावरण का निर्माण किया जाना विभाग की प्रगति के लिए आवश्यक है।

ऊर्जा क्षेत्र को सुव्यवस्थित करते हुए अवर अभियन्ताओं/प्रोन्नत अभियन्ताओं की कार्यक्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसके सम्बन्ध में संगठन का निम्नलिखित सुझाव है :–

- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्तावित निजीकरण के फैसले को ऊर्जा उद्योग के हित में, जनहित में एवं विद्युत कर्मियों के हित में तत्काल निरस्त किया जाए।
- उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा प्रदेश के विभिन्न महानगरों यथा लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में वर्टिकल व्यवस्था के माध्यम से विद्युत व्यवस्था में सुधार किये जाने का अव्यावहारिक प्रयोग विद्युत उपभोक्ताओं एवं विद्युत कार्मिकों के हित में कदापि उचित नहीं, इस व्यवस्था पर तत्काल विराम लगाया जाए।
- एन.टी.पी.सी. एवं उत्पादन निगम लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्रस्तावित अनपरा-ई तथा ओबरा-डी ताप विद्युत गृहों की स्थापना को प्रदेश को सस्ती विद्युत आपूर्ति करने के दृष्टिगत संयुक्त उपक्रम के बजाय राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन कराई जाय।
- राज्य विद्युत उत्पादन निगम के एनटीपीसी तथा नवेली लिग्नाइट के माध्यम से निर्मित तथा संचालित संयुक्त उपक्रमों क्रमशः मेजा प्रयागराज और घाटमपुर में 50 प्रतिशत निगम कार्मिकों की भी तैनाती सुनिश्चित की जाए।
- विगत मार्च 2023 में हुए सांकेतिक आंदोलन के दौरान दिनांक 19 मार्च, 2023 को ऊर्जा मंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी की अध्यक्षता में संपन्न वार्ता में बनी सहमतियों एवं माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप सभी विद्युत कर्मियों, जूनियर इंजीनियर, प्रोन्नत अभियन्ताओं के विरुद्ध की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों यथा सतर्कता जांच, FIR, विभागीय जाँच आदि को तत्काल वापस लिया जाए।
- दिनांक 03.12.2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी की अध्यक्षता में विभिन्न सेवा संगठनों के साथ संपन्न वार्ता में बनी सहमतियों समझौता को अतिशीघ्र लागू किया जाए।
- ऊर्जा क्षेत्र के सुचारू रूप से संचालन हेतु यार्डस्टिक के अनुसार पदों का सृजन कर उन्हें सीधी भर्ती, प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाय तथा मैन, मनी, मैटेरीयल और सुरक्षा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- उ.प्र.पा.का.लि. के विभिन्न डिस्कॉम इकाइयों में जूनियर इंजीनियरों/अभियन्ताओं के विरुद्ध आये दिन छोटे-छोटे प्रकरणों में एकपक्षीय आधार पर निलम्बन कर कारपोरेशन को समर्पित किये जाने के अव्यवहारिक एवं प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध उ.प्र.पा.का.लि. के आदेश को निरस्त किया जाए।
- उ.प्र. ऊर्जा निगमों के औद्योगिक शान्ति को मजबूत बनाये रखने के दृष्टिगत निगम के व्यापक हित में प्रबन्धन एवं सेवा संगठनों के माध्यम से नियमित वार्ता बैठक एवं प्राप्त सुझावों/समस्याओं के निराकरण हेतु एक पारदर्शी एवं प्रभावी व्यवस्था लागू किया जाए।

प्रदेश की लोकप्रिय सरकार एवं ऊर्जा प्रबन्धन के मंशानुरूप व्यवस्था को सुधारने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। इस महाधिवेशन में प्रदेश के कोने-कोने से आए सभी पदाधिकारी एवं सदस्य इस विषय पर गंभीरता से चिंतन मनन करेंगे तथा प्राप्त निर्णय को आत्मसात कर ऊर्जा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे। महाधिवेशन में पधार कर अपना बहुमूल्य विचार देने के लिए संगठन सभी का आभार व्यक्त करता है।

बलबीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

केन्द्रीय महासचिव का प्रतिवेदन (अन्तरंग-सत्र)

वर्ष 2025 में मैं महासचिव के पद पर निर्वाचित हुआ। दिनांक 25.11.2024 को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा घोषणा की गयी कि ऊर्जा विभाग रुपये 4600 करोड़ घाटे के कारण इसका संचालन यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा कराना असम्भव है। पूर्वांचल/दक्षिणांचल विद्युत निगम की कमान निजी हाथों में सौंपना अति आवश्यक है, इसके परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा प्रबन्धन द्वारा दिनांक 12.01.2025 को ट्रांजेक्शन कंसलटेंट की नियुक्ति हेतु निविदा प्रकाशित की गयी। संगठन द्वारा तुरन्त संज्ञान लेते हुए दिनांक 13.01.2025 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गयी और कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार दिनांक 14.01.2025 को शीर्ष ऊर्जा प्रबन्धन को विरोध-पत्र दिया गया और दिनांक 16.01.2025 से काला फीता बांधकर निजीकरण का विरोध कार्यक्रम शुरू किया गया और पुनः दिनांक 19.01.2025 को सहयोग सदन, लखनऊ में केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गयी और कार्यकारिणी के निर्णयानुसार पत्रांक-19/स-7 दिनांक 21.01.2025 से काला फीता बांधकर विरोध किया गया। दिनांक 26.01.2025 को ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गयी। 27.01.2025 को नियमानुसार कार्य-आन्दोलन और शाम 05 बजे से जनपद/परियोजनाओं पर विरोध सभा की गई परन्तु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक आयोजन महाकुंभ में घटित घटना के कारण मानवीय संवेदना के कारण इस संकट की घड़ी में सरकार एवं प्रबंधन का सहयोग करते हुए आन्दोलन स्थगित कर दिया गया। पुनः निजीकरण के विरोध में आंदोलन कार्यक्रम दिनांक 17.02.2025 से प्रारम्भ किया गया जिसमें काला फीता बांधकर नियमानुसार कार्य आन्दोलन 1 घंटे का विरोध सभा एवं जनपद मुख्यालय पर पूर्व दिवस की भांति विरोध सभा की गई। आन्दोलन को अगले चरण में गति देते हुए आगे बढ़ाया गया। प्रबंधन द्वारा दिनांक 25.02.2025 को शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन से वार्ता हुई। प्रबंधन द्वारा बार-बार निजीकरण में सहयोग करने की बात की जा रही थी, परन्तु संगठन का स्पष्ट कहना था कि निजीकरण का किया जाना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि प्रबंधन द्वारा संगठन को विश्वास में लेकर कोई भी सुधार कार्यक्रम किया जाएगा तो संगठन सुधार कार्यक्रम में अपना सहयोग करेगा। प्रबंधन को स्पष्ट रूप से बताया कि वर्ष 2019 एवं 2020 में सरकार एवं ऊर्जा प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित समझौता किया गया था कि निजीकरण नहीं किया जायेगा। निजीकरण के विरोध कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आन्दोलन को अगले चरण हेतु दिनांक 28.03.2025 को नोटिस दी गई, जिसमें दिनांक 01.04.2025 से नियमानुसार कार्य आन्दोलन में संगठन बाध्य होकर अपना ध्यानाकर्षण कार्यक्रम पुनः आरम्भ करता है। जिसका विवरण निम्न है :-

नियमानुसार कार्य आन्दोलन :-

(अ) समुचित संसाधनों के अभाव एवं सुरक्षा दृष्टि से फेसिएल अटेन्डेंस का कार्य नहीं करेंगे।

(ब) कार्य अवधि अर्थात् 9.00 बजे से पहले एवं 5.30 बजे के बाद एवं अवकाश के दिन समीक्षा बैठकों में सम्मिलित नहीं होंगे।

(स) निजी मोबाइल से समस्त विभागीय व्हाट्अप ग्रुप से बाहर रहेंगे।

(द) स्वयं के निजी वाहन से सिर्फ विद्युत आपूर्ति सेवा सुचारू रूप से चलाने में ही प्रयोग करेंगे। अन्य किसी भी विभागीय कार्य में निजी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे।

(य) राजस्व वसूली का कार्य समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही करेंगे।

क्षेत्रीय कार्यकारी पदाधिकारियों के द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कार्यक्रम भी किया गया। दिनांक 09.04.2025 को लखनऊ में ऐतिहासिक रैली की गई जिसने सरकार एवं ऊर्जा प्रबंधन की नींव को हिला दिया गया। पुनः दिनांक 19.04.2025 को संशोधित कार्यक्रम घोषित किया गया जिसमें 29.05.2025 से अनिश्चितकालीन कार्य

बहिष्कार कार्यक्रम होना था। निजीकरण के विरुद्ध आन्दोलन नोटिस में यह कहा गया कि यदि ऊर्जा प्रबंधन पूर्वांचल/दक्षिणांचल का निजीकरण टेंडर से किया जाता है तो संगठन तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के इस नोटिस को मानते हुए संगठन के सभी सदस्य तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकालीन बहिष्कार पर चले जाएंगे और जेल भरो आन्दोलन भी शुरू कर देंगे। पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध आन्दोलन को कुचलने के उद्देश्य से प्रबंधन द्वारा हमारे सदस्यों में उत्पीड़न करने हेतु कई आदेश किए गए।

सर्वप्रथम प्रबंधन द्वारा हमारे लोगों के उत्पीड़न के उद्देश्य से फेशियल व्यवस्था कार्य लागू की गई, जिसके माध्यम से हमारे लोगों का वेतन रोकने का कार्य भी किया गया। सेवा नियमावली 2020 के नियम साथ में संशोधन किया गया था कि लोक सेवा नियमावली में कर्मचारी की जांच करने का प्रावधान है, लेकिन प्रबंधन द्वारा जांच करने से पहले ही इस नियम को समाप्त कर दिया गया।

दिनांक 07.04.2025 को प्रबंध निदेशक द्वारा आदेश किया गया कि गंभीर अनियमितताओं में निलंबित कर्मचारियों को अब बहाली के उपरांत सीधे कारपोरेशन मुख्यालय में समर्पित कर दिया जायेगा। इसके उपरांत हमारे साथियों के उत्पीड़न के उद्देश्य से स्थानान्तरण नीति का पालन न करते हुए उनको 500 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया गया।

संगठन के समक्ष चुनौतियों का सामना करने एवं संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल, मई के महीने में मध्यांचल एवं पूर्वांचल डिस्कॉम में भ्रमण कार्यक्रम किया गया। मई महीने में केस्को एवं कानपुर का भ्रमण भी किया, नवम्बर महीने में पश्चिमांचल डिस्कॉम का भ्रमण किया गया और संगठन के सदस्यों को जागरूक एवं मजबूत करने के उद्देश्य से प्रोत्साहित किया गया। भ्रमण कार्यक्रम के लिए उत्पादन निगम के साथियों द्वारा भ्रमण कार्यक्रम कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी जिसके कारण उत्पादन निगम में भ्रमण कार्यक्रम नहीं किया जा सका।

शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन एवं केन्द्रीय संगठन के प्रतिनिधियों में कई बार वार्ता हुई जिसमें प्रबंधन द्वारा निजीकरण में कई बार सहयोग करने की अपील की गई, परन्तु संगठन नेतृत्व ने अपील को खारिज करते हुए प्रबंधन को अवगत कराया कि प्रबंधन द्वारा संगठन को विश्वास में लेकर विद्युत सुधार सम्बन्धी कोई भी कार्यक्रम किया जायेगा तो संगठन सहयोग करेगा, परन्तु निजीकरण किसी भी रूप से स्वीकार नहीं है।

बदायूँ प्रकरण पर रोके गये वेतन को निर्गत कराये जाने के लिए प्रबंध निदेशक, उ.प्र.पा.का.लि. से लगातार वार्ता हुई। सारे लोगों के प्रतिवेदन लेकर पत्रावली बना दी गई है और प्रकरण निस्तारण के लिए **CMD UPPCL** के स्तर पर पेडिंग है, जिसे शीघ्र निस्तारित कराया जायेगा। दक्षिणांचल के फेसियल के कारण रोके गये वेतन प्रकरण में पैरवी की जा रही है। रोके गये वेतन को शीघ्र ही निस्तारित कराया जायेगा। जे.ई. से ए. ई. प्रोन्नति प्रक्रियाधीन है, यह भी शीघ्र जारी होने की उम्मीद है। उक्त सारे प्रकरण में संगठन नेतृत्व द्वारा लगातार पैरवी की जा रही है, प्रकरण के निस्तारण कराये जायेंगे।

कई कारणों से वार्ता में 4800 ग्रेड-पे को समाप्त करने का प्रयास किया गया। आश्वासन के बावजूद प्रबंधन द्वारा इसको निस्तारित नहीं किया गया।

8700 के ग्रेड-पे पर कई बार वार्ता हुई जिसमें कोर्ट ने प्रबंधन को आदेश पर पुनः विचार करने को निर्देशित किया गया जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबंध निदेशक को शासन से बैठक करने के लिए निर्देशित किया, परन्तु कुछ समय बाद वार्ता के दौरान ही प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि हमारे पास इसके लिए फण्ड की व्यवस्था नहीं है।

उत्पादन निगम में वरिष्ठता सूची निर्धारित एवं प्रोन्नति के लिए कई बार प्रयास किया गया, 2016 बैच के अवर अभियन्ता की वरिष्ठता निर्धारण सूची में नियम अनुसार निर्धारण के लिए भी बेहतर प्रयास किया गया

चूंकि जनवरी 2025 में अनन्तिम सूची जी की गयी और आपत्तियों के कारण लगभग 10 महीने तक नहीं किया गया तो संगठन ने अक्टूबर महीने में मुख्य अभियन्ता हाईडिल को पत्र लिखकर नियमानुसार निस्तारण करने के लिए पत्र लिख गया।

बलबीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

संगठन के 78वें महाधिवेशन के अवसर पर प्रस्तुत माँग-पत्र

पत्रांक : 143-स/8 दिनांक : 20.12.2025

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
उ.प्र.पा.का.लि./उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि./
उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि., शक्ति भवन,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

महोदय,

ऊर्जा क्षेत्र में अवर अभियन्ता का विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में महत्वपूर्ण योगदान है। विपरीत परिस्थितियों एवं जोखिम भरे वातावरण में भी यह संवर्ग विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करता है। मौसम की प्रतिकूलताओं में भी यह संवर्ग अपनी जान की परवाह किए बिना 24 घण्टे विद्युत व्यवस्था को संचालित करने, विद्युत उत्पादन, राजस्व वसूली एवं उपभोक्ता सेवा में लगा रहता है, परन्तु अवर अभियन्ता संवर्ग की माँगों/समस्याओं के निराकरण तथा वेतन आदि का निर्धारण करते समय संवर्ग के इस योगदान को ध्यान में कहीं नहीं रखा जाता। प्रदेश की जनप्रिय सरकार की नीतियों का ऊर्जा प्रबन्धन की मंशा के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु सीमित संसाधन के साथ यह संवर्ग पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य कर रहा है। आपके मार्गदर्शन में इस संवर्ग को न्याय प्राप्त होगा और विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ कार्मिकों जूनियर इंजीनियर्स/प्रोन्नत अभियन्ताओं की समस्याओं का समुचित निराकरण होगा, इसी आशा एवं विश्वास के साथ संवर्ग की ज्वलंत माँगें/समस्याएँ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं :–

- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्तावित निजीकरण के फैसले को ऊर्जा उद्योग के हित में, प्रदेश के हित एवं विद्युत कर्मियों के हित में तत्काल निरस्त किया जाए।
- अवर अभियन्ता संवर्ग की प्रोन्नति दीर्घा में नान फंक्शनल ग्रेड-पे रुपए 4800 का विलोपन किया जाए।
- विगत मार्च 2023 में हुए सांकेतिक आन्दोलन के दौरान दिनांक 19 मार्च 2023 को ऊर्जा मंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी की अध्यक्षता में संपन्न वार्ता में बनी सहमतियों एवं माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप सभी विद्युत कर्मियों, जूनियर इंजीनियर, प्रोन्नत अभियन्ताओं के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाहियों यथा राज्य/विभागीय सतर्कता इकाई की जाँच, एफ.आई.आर. आदि को तत्काल वापस लिया जाए, जिससे कि उनके सेवा सम्बन्धी लम्बित मामले निस्तारित कराकर उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को समाप्त कराया जा सके।
- दिनांक 03.12.2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी की अध्यक्षता में विभिन्न सेवा संगठनों के साथ संपन्न वार्ता में बनी सहमतियों समझौता को अतिशीघ्र लागू किया जाए।
- ऊर्जा निगम में माह जुलाई-2022 एवं अप्रैल-2023 में निर्गत नियम विरुद्ध ए.सी.पी. सम्बन्धी आदेशों को निरस्त किया जाए तथा उत्तर प्रदेश शासन की अनुरूपता में पावर कारपोरेशन में लागू ए.सी.पी. सम्बन्धी नियमों के अनुक्रम में प्रोन्नत अभियन्ताओं को द्वितीय एवं तृतीय एसीपी स्वीकृत किया जाए।

- उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा डिस्काम इकाइयों में अवर अभियन्ता/अभियन्ताओं के विरुद्ध निलम्बन की दशा में उन कारपोरेशन मुख्यालय को समर्पित किये जाने वाले आदेश सं.-1/8196/2025-ज.श.प्र.सु. एवं प्रशि.-01 दिनांक 07.04.2025 पूरी तरह अव्यावहारिक एवं सेवा निगमों के विपरीत तथा कार्मिकों के उत्पीड़न को बल प्रदान करता है के आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए।
- उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा उ.प्र. कार्मिक अनुशासन विनियमावली 2020 में संशोधित आदेश सं. 422-काविनी एवं विनयम-29/पाकालि/2025/Com. No. 31776 दिनांक 23.05.2025 के नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध उक्त आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए।
- पुरानी पेंशन की देयता सम्बन्धी उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 को तत्काल सभी ऊर्जा निगमों में अंगीकृत किया जाय।
- उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के विघटन के फलस्वरूप बने विभिन्न ऊर्जा निगमों में कार्यरत कार्मिकों एवं पेंशनरों को मिल रही एल.एम.वी-10 की विभागीय सुविधा को बनाये रखा जाय।
- अवर अभियन्ता (प्रभारी) की विसंगतिपूर्ण व्यवस्था तत्काल समाप्त की जाए।
- जिन अवर अभियन्ताओं द्वारा परिचालकीय संवर्ग से गणना करते हुए तीसरे समयबद्ध वेतन के रूप में ग्रेड वेतन रु. 6600/-प्राप्त किया है उनको ग्रेड वेतन के सापेक्ष निर्धारित वेतनमान रु. 11600/- के सापेक्ष सातवें वेतन मैट्रिक्स के कालम-9 के स्थान पर कालम-11 में निर्धारण किया जाये।
- वर्ष 2000 के बाद नियुक्त कार्मिकों को पूर्व की भाँति पुरानी पेंशन योजना (जी.पी.एफ.) व्यवस्था बहाल कराया जाये।
- एन.टी.पी.सी. एवं उत्पादन निगम लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के साथ प्रस्तावित अनपरा-ई तथा ओबरा-डी ताप विद्युत गृहों की स्थापना को प्रदेश को सस्ती विद्युत आपूर्ति करने की दृष्टिगत संयुक्त उपक्रम के बजाय राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन निर्मित कराई जाय।
- ग्रीन इनर्जी के तहत उ.प्र. में प्रस्तावित ऊर्जा उत्पादन इकाइयों का निर्माण कार्य उ.प्र.रा.वि. उत्पादन निगम लि. के अधीन कराए जाएं।
- राज्य विद्युत उत्पादन निगम के एनटीपीसी तथा नवेली लिग्नाइट के माध्यम से निर्मित संचालित संयुक्त उपक्रमों क्रमशः मेजा प्रयागराज और घाटमपुर में 50 प्रतिशत निगम कार्मिकों की भी तैनाती सुनिश्चित की जाए।
- उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा प्रदेश के विभिन्न महानगरों यथा लखनऊ, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद में वर्टिकल व्यवस्था के माध्यम से विद्युत व्यवस्था में सुधार किये जाने का अव्यावहारिक प्रयोग विद्युत उपभोक्ताओं, विद्युत कार्मिकों के हित में कदापि उचित नहीं है, ऐसे में लागू वर्टिकल व्यवस्था पर तत्काल विराम लगाया जाए।
- उत्पादन निगम में निगमादेश संख्या 48-उ.नि.लि./प्रगति/प्रोत्साहन भत्ते/2018 दिनांक 18.06.2020 में निहित प्रावधान के तहत उत्पादन प्रोत्साहन भत्ते के आदेश नियमित रूप से निर्गत कराये जाएं।
- अवर अभियन्ता संवर्ग की अभियन्ता संवर्ग में पदोन्नति हेतु अलग दीर्घा एवं 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित करते हुए मुख्य अभियन्ता पद तक पदोन्नति सुनिश्चित की जाए।
- उ.प्र. के समस्त ऊर्जा निगमों/डिस्कामों में कैशलेस चिकित्सा हेतु कार्मिकों एवं उन पर आश्रितों का सामूहिक चिकित्सा बीमा कराया जाए।
- परिचालकीय संवर्ग से पदोन्नत अवर अभियन्ता का पद चयन का पद है को आगमन बिन्दु (Induction Point) मानकर तदानुसार उनके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. एवं उ.प्र.रा.वि. उत्पादन निगम लि. में बढ़े हुए कार्यों, नवसृजित खण्ड/उपखण्डों एवं निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के दृष्टिगत सभी संवर्गों के ऊर्जा क्षेत्र के सुचारू रूप से संचालन हेतु यार्ड स्टिक के अनुसार पदों का सृजन कर उन्हें सीधी भर्ती/प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाए तथा मैन, मनी, मैटीरियल और सुरक्षा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- सभी ऊर्जा निगमों में जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिशीघ्र सीधी भर्ती/प्रोन्नति की जाए।
- उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. के अधीन 765 के.वी., 400 के.वी., 220 के.वी. तथा 132 के.वी. उपस्थानों पर पाली ड्यूटी में कार्यरत अवर अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं को पाली भत्ता अनुमन्य किया जाय तथा उत्पादन निगम लि. की भाँति शिफ्ट पालिसी बनाई जाय।
- उ.प्र.पा.का.लि. के अन्तर्गत विशेषज्ञता के आधार पर जानपदीय कार्यों को निगम की जानपदीय शाखा के माध्यम से ही सम्पन्न कराया जाये।

उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. की माँग/समस्याएँ :

1. उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. में कार्मिकों का वार्षिक वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण के उपरान्त किया जायेगा जो कि पूरी तरह अव्यावहारिक व सेवा नियमों के प्रतिकूल है पर तत्काल रोक लगाया जाए।
2. उत्पादन निगम लिमिटेड में सहायक अभियन्ता की प्रोन्नति आदेश संख्या 4553-मा.सं.-01/विउनिलि/2021-13-मा.सं.-01/2011/टीसी-2 दिनांक 29.11.2025 के अनुरूप शीघ्र जारी कराये जाएं।
3. तकनीकी भत्ता (ESA), ओ. एण्ड एम. भत्ता, स्थल प्रतिकर भत्ता एवं पाली भत्ता आदि का पुनरीक्षण लम्बे अरसे से नहीं हुआ है, जोकि वर्तमान में बढ़ी हुई महंगाई की अनुरूपता में किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं है। इसे पुनरीक्षित किया जाय तथा समस्त भत्तों को मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया जाय।
4. उत्पादन निगम लिमिटेड में जानपद संवर्ग की फाइनल वरिष्ठता सूची जारी कर सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति जल्द से जल्द कराई जाए।
5. टी.जी. से 8.33 प्रतिशत कोटे से चयनित/प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं को सीधी भर्ती की भांति प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही कराई जाये।
6. परियोजना पर तैनात कार्मिकों के सैलरी अकाउण्ट को एसबीआई शाखा अनपरा द्वारा 'स्टेट गवर्नमेण्ट सैलरी पैकेज' से वंचित करके 'कारपोरेट सैलरी पैकेज' की श्रेणी में कर दिया गया जिससे कार्मिकों का वित्तीय नुकसान हो रहा। एसबीआई के साथ ही अन्य बैंकों से भी अनुबन्ध के आदेश मुख्यालय से निर्गत करवाया जाय।
7. एन.टी.पी.सी. की भांति उत्पादन निगम के समस्त कार्मिकों के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेन्स की सुविधा प्रदान करायी जाय एवं परियोजनाओं के चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों यथा महिला एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, हड्डी रोग एवं हृदय रोग विशेषज्ञ आदि की उ.प्र. शासन की अनुरूपता में चिकित्सक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए भर्ती की जाय। महामना पं. मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी और आर.जे. शंकर आई हास्पिटल वाराणसी को उ.नि. लि. के पैनल में जोड़ा जाय।
8. पाकालि की अनुरूपता में अवर अभियन्ता (वि. एवं याँ.) से सहायक अभियन्ता (वि.एवं याँ.) पद पर प्रोन्नति कोटा क्रमशः 40% को बढ़ाकर 41.10% एवं 8.33% को बढ़ाकर 8.56% किया जाय।
9. ग्रीन फील्ड जवाहरपुर परियोजना हेतु आवासीय किराया भत्ता के आदेश में जारी प्रतिबन्धों को समाप्त कर पूर्व की तरह बी-श्रेणी का आवासीय किराया भत्ता संशोधित कराया जाए।

10. अवर अभियन्ताओं के लिए उत्पादन निगम में ERP कार्य सम्पादित करने हेतु Computer System की व्यवस्था की जाय जिससे हर एक अवर अभियन्ता अपने प्रदत्त कार्यों को ससमय पूरा कर सके।
11. जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत अवर अभियन्ता से निर्धारित परिचालन पाली अवधि पूर्ण होने पर भी अतिरिक्त कार्यभार देकर लगातार कार्य कराया जा रहा है जिससे कार्मिकों का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, अतः उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जल विद्युत निगम लिमिटेड के विलय के उपरान्त उ.नि.लि. के कार्मिकों की जल विद्युत परियोजनाओं पर एवं जल विद्युत निगम लि. के कार्मिकों की तापीय परियोजनाओं पर तैनाती की जाय।
12. उ.नि. में जी.पी.एफ., सेवानिवृत्त कार्मिकों की भाँति सी.पी.एफ. कार्मिकों का परिचय पत्र निर्गत किया जाए जिससे चिकित्सीय लाभ सुगमता से लिया जा सके।
13. उ.नि. से सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति उनके नजदीकीय परियोजना/निगम मुख्यालय से निस्तारित किया जाए।
14. पाली भत्ता, उत्पादन भत्ता, तकनीकी भत्ता, स्थल प्रतिकर भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता पर बनी समिति की आख्या समय सीमा में जारी कराकर मूल वेतन के प्रतिशत में लागू कराया जाए।
15. ओबरा परियोजना में गंदे पानी की सप्लाई की समस्या से निपटने के लिए पुराने फिल्टरेशन प्लांट के स्थान पर नये फिल्टरेशन प्लांट की स्थापना कराई जाए।

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. की माँग/समस्याएँ :

1. परिचालकीय संवर्ग से प्रोन्नत अवर अभियन्ता को 22-बी का लाभ पारेषण के समस्त क्षेत्रों में समग्रता में लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. पारेषण इकाई में बने आवास जो कि अधिकतर जर्जर हालात में हैं, की मरम्मत करायी जाये व आवश्यकता के अनुसार नये आवासों का निर्माण कराया जाये।
3. उत्पादन निगम की पनकी परियोजना की भाँति अन्य परियोजनाओं में कार्यरत उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. के कार्मिकों के लिए उनके पदों के सापेक्ष परियोजना परिसर में आवास आरक्षित कराये जायें।
4. पारेषण के भण्डार केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए तथा स्टोर की सामग्री का बीमा कराया जाए।

पेंशनर्स की माँग/समस्याएं :

1. सभी प्रकार की चिकित्सा चाहे वह अस्पताल में भर्ती होकर कराई जाए या बिना भर्ती हुए, के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान की जाए। इस हेतु प्रमुख नगरों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सालय नामित किए जाएं।
2. सेवानिवृत्ति तिथि के आदेश निर्गत करते समय सम्बन्धित कार्मिक की लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा विभिन्न देयों की सूचना भी प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि पेंशन की स्वीकृति में अनावश्यक विलंब न हो।
3. दिवंगत पेंशनरों के आश्रितों को पूर्ण पेंशन हेतु 67 वर्ष के प्रतिबंध को हटाकर 70 वर्ष किया जाए।
4. पेंशन/फैमिली पेंशन की शत-प्रतिशत जब्ती को जीवित रहने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध मानते हुए इसे रोका जाए तथा पूर्व में निर्गत आदेशों को वापस लेते हुए पीड़ित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को तत्काल राहत प्रदान की जाए।

सादर,

बलबीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

वित्त की आडिट रिपोर्ट–वर्ष 2025

सेवा में,

केन्द्रीय अध्यक्ष/महासचिव महोदय,
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ.प्र.
सहयोग सदन, 6-गोखले मार्ग, लखनऊ।

महोदय,

सत्र 2025 के वित्तीय आय एवं व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण दिनांक 18.12.2025 तक इं. राम इकबाल जी एवं इं. योगेन्द्र यादव जी, केन्द्रीय लेखा निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय पायी गयी त्रुटियों एवं उनके निराकरण के लिए वित्त सचिव को आवश्यक निर्देश एवं सलाह भी दी गयी। वर्ष 2025 में वार्षिक सदस्यता 3099 सदस्यों से प्राप्त की गयी एवं आजीवन सदस्यता 24 सदस्यों से प्राप्त हुई है। वर्तमान में प्रदेश में अवर अभियन्ताओं एवं पदोन्नति अधिकारियों की संख्या लगभग 7500 है। उनके सापेक्ष सदस्यता कम प्राप्त हुई है। इसके लिये क्षेत्र/जनपद से पदाधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

वित्त सचिव जी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का समय-समय पर परीक्षण किया गया एवं पाया गया कि टी.आर. बुक, बैंक एकाउन्ट का रीकौन्सिलेशन, कैश बुक, विभिन्न मदों में खर्चों का विवरण इत्यादि का रख-रखाव पूरी कुशलता से किया गया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

रु. 3,90,000.00 की फिक्स डिपाजिट वर्ष 2025 में जमा की गयी। इस प्रकार वर्तमान में रु. 43,10,000.00 की फिक्स डिपाजिट मौजूद है। इसके अतिरिक्त रु. 1,85,940.00 आपात कोष में जमा किया जाना है। वर्ष 2025 में विज्ञापन के रूप में रु. 11,55,100.00 प्राप्त हुये जो कि लक्ष्य से काफी कम है, सभी पदाधिकारियों से इस हेतु विशेष प्रयास की अपेक्षा है। इस वर्ष के अन्त में कुल बैलेन्स रु. 43,22,567.34 है।

1. क्षेत्रीय/जनपदों द्वारा रसीद बुकें संगठन कार्यालय से प्राप्त कर ली जाती हैं पर उपयोग के बाद उनको संगठन को वापस नहीं किया जाता। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि अंचल/क्षेत्र/जनपद स्तर पर लेखा परीक्षण सामान्यतः नहीं हो रहा है। सभी अंचल/क्षेत्र/जनपद को 1 दिसम्बर से 30 नवम्बर तक **Final Balance Sheet** एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट अधिवेशन से पूर्व केन्द्र में जमा की जानी चाहिये। हमारा संगठन सोसाइटीज़ एक्ट के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड संगठन है। इसका ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया जाता है। अतः सभी इकाईयों की **Final Balance Sheet** समय से जमा होना आवश्यक है।
2. प्रत्येक अंचल/क्षेत्र/जनपद का बैंक में खाता अवश्य होना चाहिए। उस खाते का पूर्ण विवरण केन्द्र को उपलब्ध होना चाहिये।
3. प्रायः अधिकतर जनपदों में लेखा-जोखा व शेष धनराशि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को नहीं सौंपी जा रही है। इसकी अनिवार्यता पर विचार किया जाना चाहिए।
4. सदस्यों को संगठन से जोड़ने एवं शत-प्रतिशत सदस्यों का सदस्यता शुल्क जमा कराने हेतु विशेष प्रयास किये गये।
5. गव वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न क्षेत्रों/जनपदों द्वारा विज्ञापन शुल्क के मद में जमा चेक अनादरित होने के कारण संगठन के खाते से क्लीयरिंग की धनराशि कट जाती है। अतः सुझाव है कि सभी शाखाएं सम्बन्धित राशि का चेक स्थानीय स्तर पर जमा कर उसकी डी.डी. बनवाकर विवरण के साथ केन्द्रीय कार्यालय को प्रषित करें।
6. विभिन्न क्षेत्रों/जनपदों द्वारा धनराशि ऑनलाइन संगठन के खाते में ट्रांसफर की जाती है, किन्तु उनका विवरण वित्त सचिव जी को प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण उसके अंकन में समस्या होती है।
7. वित्त सम्बन्धी अभिलेखों का रख-रखाव वित्त सचिव द्वारा कुशल तरीके से रखा गया है।

संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष इं. अजय कुमार जी एवं केन्द्रीय महासचिव इं. बलबीर यादव जी के द्वारा आर्थिक नियंत्रण हेतु दिये गये निर्देश सराहनीय हैं, इसके लिये दोनों ही बधाई के पात्र हैं।

धन्यवाद

इं. राम इकबाल
केन्द्रीय लेखा निरीक्षक-I

इं. योगेन्द्र यादव
केन्द्रीय लेखा निरीक्षक-II

------● ------

संगठनात्मक (केन्द्रीय)

पत्रांक : 11/स-5 दिनांक : 05.01.2026

सेवा में,

समस्त सम्मानित सदस्य,
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति,
रा.वि.प.जू.इं. संगठन, उ.प्र.।

विषय : दिनांक 18.01.2026 दिन रविवार को आहूत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना।

मान्यवर,

सर्वप्रथम आपको एवं आपके परिवार को नववर्ष-2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

सूचित किया जाना है कि संगठन की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 18.01.2026 दिन रविवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे से स्थान संगठन भवन, सहयोग सदन, 6-गोखले मार्ग, लखनऊ-226 001 पर आहूत की गयी है। उक्त महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक का एजेन्डा निम्नवत् है :—

- संवर्ग की माँगों/समस्याओं की अद्यतन स्थिति पर चर्चा।
- निजीकरण विरोधी आन्दोलन के वर्तमान स्थिति की समीक्षा एवं विचार-विमर्श।
- 78वें महाधिवेशन के आयोजन में केन्द्र द्वारा दिये गये ऋण की प्राप्ति हेतु कार्य-योजना।
- वर्तमान में विभिन्न जनपदों में लागू वर्टिकल व्यवस्था पर चर्चा/समीक्षा।
- संगठन भवन, सहयोग सदन के शेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने पर विचार-विमर्श।
- संगठन की सदस्यता एवं कल्याण योजना की वित्तीय स्थिति की समीक्षा तथा वर्ष-2026 के प्रस्तावित बजट पर चर्चा/अनुमोदन।
- अन्य विषय अध्यक्ष जी की अनुमति से।

सम्मानित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रतिभाग लेने हेतु आने से पूर्व जनपद/परियोजना शाखाओं की वर्ष-2026 के शत-प्रतिशत निर्वाचन, सदस्यता का अद्यांत शुल्क, विज्ञापन लक्ष्य वर्ष 2025-26 मद में संकलित सहयोग राशि तथा शाखाओं के सदस्यों की Incumbency का विवरण सूची एवं उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रस्ताव/सुझाव/सूचनाएं लिपिबद्ध कर दिनांक 15.01.2026 तक केन्द्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि कार्यकारिणी समिति की बैठक का निर्धारित समयावधि में सुव्यवस्थित संचालन किया जाना सम्भव हो सके।

अभिवादन सहित,

इं. बलबीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

●●●

पत्रांक : 20/स-5 दिनांक : 19.01.2026

सेवा में,

समस्त सम्मानित सदस्य,
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति,
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश।

विषय :- दिनांक 18.01.2026 को सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में पारित प्रस्तावों की सूचना।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2026 को सहयोग सदन लखनऊ में सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में संगठन की सुदृढ़ता/क्रियाशीलता बनाए रखने हेतु विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त संवर्ग हित में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए :—

प्रस्ताव संख्या-1

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश सरकार एवं ऊर्जा प्रबंधन की मंशा के अनुरूप विद्युत व्यवस्था के सफल संचालन हेतु सभी जनपदों/परियोजनाओं पर सदस्यों का प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम चलाए जाने का निर्णय करती है।

प्रस्ताव संख्या-2

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन से अपील करती है कि विभाग में परस्पर विश्वास एवं कार्य का बेहतर वातावरण बनाए रखने हेतु दिनांक 03.12.2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के सलाहकार महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न समझौते को लागू किया जाए तथा दिनांक 19.03.2023 की सहमतियों के अनुरूप आन्दोलन के कारण की गई समस्त उत्पीड़न की कार्यवाहियों/दर्ज F.I.R. इत्यादि को समाप्त कराया जाय।

प्रस्ताव संख्या-3

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन से अपील करती है कि जूनियर इंजीनियर/प्रोन्नत अभियन्ता संवर्ग की लंबित माँगों समस्याओं का उ.प्र. शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शीघ्र समुचित समाधान कराया जाए जिससे संवर्ग में व्याप्त निराशा एवं आक्रोश को विभाग हित में समाप्त किया जा सके।

प्रस्ताव संख्या-4

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के माध्यम से संवर्ग के सम्मुख उत्पन्न हो रहे विधिक प्रकरणों के समुचित समाधान/पैरवी हेतु विधि प्रकोष्ठ (लीगल सेल) गठित करने का निर्णय करती है।

प्रस्ताव संख्या-5

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के माध्यम से सहयोग सदन के शेष निर्माण कार्य को केन्द्रीय संगठन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कराए जाने का निर्णय करती है। भवन निर्माण हेतु सदस्यों से आवश्यक धनराशि का संकलन कर लिया जाए।

सूचनार्थ प्रेषित।

बलवीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

●●●

पत्रांक : 24/स-1 दिनांक : 20.01.2026

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा विभिन्न डिस्कामों में जूनियर इंजीनियर/प्रोन्नत अभियन्ताओं के विरुद्ध बड़ी संख्या में हो रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के अनुश्रवण एवं उनके समुचित निराकरण में सदस्यों को आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने हेतु संगठन के पदाधिकारियों को विशेष कार्य-दायित्व निर्धारित किया जाता है :–

क्र.सं.	डिस्काम	पदाधिकारी का नाम एवं पद	मोबाइल नं.
1.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि.	(i) इं. नीरज बिन्द, अंचल अध्यक्ष	9453051522
		(ii) इं. शिवम चौधरी, अंचल सचिव	6394198103
		(iii) इं. रत्नेश सेठ, विशेष आमंत्रित सदस्य	8299409091
2.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि.	(i) इं. डी. के. प्रजापति, अंचल अध्यक्ष	7376905140
		(ii) इं. चन्द्रशेखर, क्षेत्रीय अध्यक्ष (ट्रॉस) गोमती	7058874562
		(iii) इं. कैलाश सिंह यादव, विशेष आमंत्रित सदस्य	9125591111
			9455279999
3.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.	(i) इं. सुरेन्द्र सिंह, अंचल अध्यक्ष	9260919065
		(ii) इं. धर्मेन्द्र राजपूत, अंचल सचिव	9456805229
		(iii) इं. अनिल कुमार, संगठन सचिव	9675269555
4.	पश्चिमाचंल विद्युत वितरण निगम लि.	(i) इं. अरविन्द कुमार बिन्द, अंचल अध्यक्ष	7500333849
		(ii) इं. आर.ए. कुशवाहा, अंचल सचिव	7017408970
		(iii) इं. विनेश मलिक, विशेष आमंत्रित सदस्य	7906245621
5.	केस्को	(i) इं. सुधीर श्रीवास्तव, अध्यक्ष	9151895717
		(ii) इं. आलोक कुमार मौर्या, महासचिव	9151895663
		(iii) इं. अभय कुमार सिंह, केन्द्रीय उपमहासचिव	9453840355

उपरोक्त कार्य का पर्यवेक्षण संगठन की पावर कारपोरेशन लिमिटेड शाखा के प्रान्तीय अध्यक्ष इं. अरविन्द कुमार बिन्द (मो. नं.-7500333849) एवं प्रान्तीय महासचिव इं. आर. ए. कुशवाहा (मो.नं.-7017408970) द्वारा सम्पादित कर सूचना केन्द्रीय कार्यालय को नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी।

नोट : डिस्काम के अध्यक्ष/सचिव पदेन सदस्य होंगे।

इं. गोपाल वल्लभ पटेल
केन्द्रीय अध्यक्ष

●●●

पत्रांक : 36/स-8 दिनांक : 02.02.2026

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में लिए गये निर्णयानुसार समस्त जनपदों/परियोजनाओं पर दिनांक 10.02.2026 को आहूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (तकनीकी दिवस) के सफल आयोजन हेतु केन्द्रीय पर्यवेक्षकों का निम्नवत् कार्य दायित्व निर्धारण किया जाता है :-

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि.

क्र.सं.	जनपद	पदाधिकारी का नाम	संगठन पद	मोबाइल नं.
1.	गोरखपुर	इं. दीपक गुप्ता	केन्द्रीय उपमहासचिव (पाकालि) शाखा	8924099044
2.	महाराजगंज	इं. अभिषेक कुमार मौर्या	विशेष आमंत्रित सदस्य	9756181300
3.	देवरिया	इं. संजय यादव	विशेष आमंत्रित सदस्य	8052221243
4.	कुशीनगर	इं. योगेश गुप्ता	वरिष्ठ सदस्य	9919160212
5.	बस्ती	इं. के. एल. यादव	विशेष आमंत्रित सदस्य	9005220502
6.	सिद्धार्थनगर	इं. बद्री विशाल मिश्रा	पूर्व पदाधिकारी	9648233001
7.	संतकबीरनगर	इं. राजेश पटवा	पूर्व पदाधिकारी	6395779724
8.	बलिया	इं. शशि कपूर	पूर्व पदाधिकारी	9621193064
9.	आजमगढ़	इं. देवेन्द्र अग्रवाल	मनोनीत सदस्य	9839330034
10.	मऊ	इं. निखिल शेखर सिंह	विशेष आमंत्रित सदस्य	6392656724
11.	गाजीपुर	इं. सियाराम	विशेष आमंत्रित सदस्य	9935059255
12.	जौनपुर	इं. राम सिंह	उपाध्यक्ष, पूर्वांचल शाखा	7398741062
13.	चन्दौली	इं. पुष्कर उपाध्याय	विशेष आमंत्रित सदस्य	9936634884
14.	वाराणसी	इं. अवधेश मिश्रा इं. आई.पी. सिंह	विशेष आमंत्रित सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य	9628688778 8953227019
15.	मिर्जापुर	इं. ज्योति भास्कर सिन्हा	प्रचार सचिव, पूर्वांचल शाखा	8791413278
16.	भदोही	इं. शिव व्रत यादव	संगठन सचिव, पूर्वांचल शाखा	7905098802
17.	सोनभद्र	इं. रत्नेश सेठ	विशेष आमंत्रित सदस्य	8299409091
18.	प्रयागराज	इं. इन्द्रमणि द्विवेदी इं. आर. ए. कुशवाहा	पूर्व पदाधिकारी प्रान्तीय महासचिव, पाकालि शाखा	9956906241 7017408970
19.	प्रतापगढ़	इं. प्रमोद कुमार मौर्या	पूर्व पदाधिकारी	9450573757
20.	कौशाम्बी	इं. दीन दयाल शर्मा इं. संदीप सिंह	विशेष आमंत्रित सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य	9161919190 9793820367
21.	फतेहपुर	इं. अमर बहादुर यादव	विशेष आमंत्रित सदस्य	9140374918

केस्को

1.	केस्को	इं. प्रवीण शाक्या	विशेष आमंत्रित सदस्य	9720355578

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.

1.	आगरा	इं. सुरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष दक्षिणांचल शाखा	9260919065
2.	मथुरा	इं. दिनेश कुमार यादव	पूर्व पदाधिकारी	8933877293
3.	फिरोजाबाद	इं. अनिल कुमार	संगठन सचिव, दक्षिणांचल	9675269555
4.	हाथरस	इं. प्रेम चन्द्र गोला	प्रचार सचिव, दक्षिणांचल शाखा	8630403724
5.	अलीगढ़	इं. धर्मेन्द्र कुमार राजपूत	सचिव, दक्षिणांचल शाखा	9456805229
6.	मैनपुरी	इं. देवेन्द्र नीलमणि	पूर्व पदाधिकारी	8475956302

क्र.सं.	जनपद	पदाधिकारी का नाम	संगठन पद	मोबाइल नं.
7.	एटा	इं. अतुल कुमार यादव	पूर्व पदाधिकारी	7830314115
8.	कासगंज	इं. महेश प्रभाकर	पूर्व पदाधिकारी	7060996101
9.	झांसी	इं. सुनील कुमार	पूर्व प्रान्तीय अध्यक्ष (ट्रांस्को)	7755833337
10.	ललितपुर	इं. अरविन्द कुमार झा	केन्द्रीय लेखा निरीक्षक	9335316101
11.	उरई	इं. महेन्द्र नाथ भारती	पूर्व पदाधिकारी	9506911628
12.	कानपुर	इं. शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय	पूर्व पदाधिकारी	8707561153
13.	कन्नौज	इं. सुनील पटेल	पूर्व पदाधिकारी	8840624165
14.	फर्रुखाबाद	इं. रवि अग्रवाल	वरिष्ठ सदस्य	8707470494
15.	इटावा	इं. राजेन्द्र कुमार	पूर्व पदाधिकारी	8279366170
16.	औरैया	इं. अजय यादव	पूर्व पदाधिकारी	8299066911
17.	बांदा	इं. सिद्दीक अहमद	विशेष आमंत्रित सदस्य	9453840337
18.	चित्रकूट	इं. आशीष कुमार सिंह	पूर्व अध्यक्ष (पाकालि)	7905421867
19.	महोबा	इं. रविकान्त अनुरागी	क्षेत्र सचिव, बांदा	9794769780
20.	हमीरपुर	इं. अमित कुमार प्रजापति	केन्द्रीय उप-महासचिव (सामान्य)	8795797399

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि.

1.	गोण्डा	इं. रामा जी	क्षेत्रीय अध्यक्ष, गोण्डा	6394434542
2.	बहराइच	इं. राम सेवक गुप्ता	पूर्व पदाधिकारी	8840121474
3.	श्रावस्ती	इं. शम्भूनाथ	पूर्व अध्यक्ष, लेसा	9838324565
4.	बलरामपुर	इं. युद्धवीर	पूर्व पदाधिकारी	7398777017
5.	अयोध्या	इं. मनोज जायसवाल	पूर्व सचिव, लेसा	6393345773
6.	अम्बेडकरनगर	इं. ए. के. यादव	पूर्व केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष	9454443596
7.	सुलतानपुर	इं. अरुण यादव	पूर्व पदाधिकारी	8840050989
8.	अमेठी	इं. सी. के. पटेल	पूर्व पदाधिकारी	8126739635
9.	बाराबंकी	इं. संदीप मौर्या	केन्द्रीय अध्यक्ष (मुख्यालय)	9451846919
10.	रायबरेली	इं. दीपक शर्मा	केन्द्रीय उपमहासचिव (मुख्यालय)	8924879080
11.	उन्नाव	इं. संजय यादव	केन्द्रीय वित्त सचिव	7905286589
12.	सीतापुर	इं. वी. के. त्रिपाठी	वरिष्ठ सदस्य	9450573757
13.	हरदोई	इं. नीरज पटेल	केन्द्रीय संगठन सचिव (पाकालि)	9415663139
14.	लखीमपुर	इं. अंचल मिश्रा	पूर्व प्रान्तीय महासचिव (ट्रांस्को)	8953761810
15.	शाहजहाँपुर	इं. पुनीत निगम	विशेष आमंत्रित सदस्य	7355530470
16.	बरेली	इं. अभय कुमार सिंह	उप महासचिव, केस्को	9453840355
17.	बदायूँ	इं. कैलाश सिंह यादव	विशेष आमंत्रित सदस्य	9455279999
18.	पीलीभीत	इं. पी. के. सिंह	विशेष आमंत्रित सदस्य	9453845152

क्र.सं.	जनपद	पदाधिकारी का नाम	संगठन पद	मोबाइल नं.
		पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.		
1.	मेरठ	इं. सतवीर सिंह	केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष	7017312199
2.	गाजियाबाद	इं. बी. पी. गुप्ता	विशेष आमंत्रित सदस्य	9837157022
		इं. एस. एन. पटेल	विशेष आमंत्रित सदस्य	8418051025
3.	नोएडा	इं. आर. ए. सिंघल	विशेष आमंत्रित सदस्य	9871991845
		इं. अजय सिंह यादव	क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष	8178669134
4.	बागपत	इं. राम इकबाल	विशेष आमंत्रित सदस्य	9369241112
5.	हापुड़	इं. विनेश मलिक	विशेष आमंत्रित सदस्य	7906245621
6.	मुरादाबाद	इं. एल. के. त्यागी	क्षेत्रीय संरक्षक	9411095270
		इं. शैलेन्द्र कुमार	विशेष आमंत्रित सदस्य	9839096206
7.	रामपुर	इं. सत्येन्द्र मौर्या	क्षेत्रीय सचिव मुरादाबाद	9193300312
8.	सम्भल	इं. दीपक कुमार	पूर्व पदाधिकारी	9839401876
9.	बुलन्दशहर	इं. आर. सी. द्विवेदी	क्षेत्रीय अध्यक्ष	9536511477
10.	अमरोहा	इं. अरविन्द बिन्द	अध्यक्ष पश्चिमांचल शाखा	7500333849
11.	बिजनौर	इं. आर. पी. सिंह	पूर्व पदाधिकारी	8840134233
12.	शामली	इं. कपिल मुनि	विशेष आमंत्रित सदस्य	9871847336
13.	मुजफ्फरनगर	इं. यू. सी. वर्मा	केन्द्रीय निर्वाचन अधिकारी	9412749403
14.	सहारनपुर	इं. ए. के. वर्मा	विशेष आमंत्रित सदस्य	9415900271

परियोजनाएं/लखनऊ मुख्यालय

क्र.सं.	शाखा	पदाधिकारी का नाम	संगठन पद	मोबाइल नं.
1.	अनपरा	इं. नित्यानन्द सिंह	केन्द्रीय उप महासचिव (उनिलि)	9415609891
2.	ओबरा	इं. अशोक साहू	विशेष आमंत्रित सदस्य	9412753389
		इं. आनन्द कुमार पटेल	पूर्व पदाधिकारी	9412753362
3.	पनकी	इं. पवन कुमार	विशेष आमंत्रित सदस्य	9415900083
4.	पारीछा	इं. अनूप वर्मा	प्रान्तीय अध्यक्ष (उ.नि.लि.)	9415609838
		इं. नवीन सिंह	प्रान्तीय महासचिव (उ.नि.लि.)	8005489203
5.	जवाहरपुर	इं. दिनेश कुमार	के. संगठन सचिव (उनिलि) विशेष	9412753346
		इं. शमून अहमद	आमंत्रित सदस्य	9415609931
6.	हरदुआगंज	इं. आशुतोष द्विवेदी	विशेष आमंत्रित सदस्य	9140555135
		इं. प्रेम कुमार	पूर्व पदाधिकारी	9412753327
7.	पिपरी	इं. राणा प्रताप सिंह	वरिष्ठ सदस्य	7408429597
8.	खारा	इं. सुरेश सिंह	पूर्व पदाधिकारी	7408429596
9.	पारेषण मध्य सरोजनीनगर	इं. पंकज कुशवाहा	केन्द्रीय उपमहासचिव (ट्रांस्को)	9415608318

क्र.सं.	शाखा	पदाधिकारी का नाम	संगठन पद	मोबाइल नं.
10.	लेसा (सिस गोमती)	इं. ए. के. सिंह	विशेष आमंत्रित सदस्य	8004921079
	लेसा (ट्रांस गोमती)	इं. अनुराग सक्सेना	विशेष आमंत्रित सदस्य	9415900574
11.	शक्ति भवन	इं. अनिल कुमार पाठक	विशेष आमंत्रित सदस्य	9415900352

नोट :- केन्द्रीय पर्यवेक्षक जनपद/परियोजना पर दिनांक 10.02.2026 को उपस्थित रहकर तथा सम्बन्धित शाखा पदाधिकारियों के साथ निम्न कार्यों को सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करेंगे :-

1. विद्युत व्यवस्था के सफल संचालन हेतु सदस्यों को स्वयं अथवा विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना।
2. सुझावों एवं समस्याओं के निवारण हेतु शाखा पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन प्रेषित किया जाना।
3. सदस्यता/विज्ञापन/कल्याण योजना आदि का शत-प्रतिशत संकलन।
4. केन्द्रीय पर्यवेक्षक के आवागमन एवं ठहरने की व्यवस्था सम्बन्धित शाखा द्वारा की जाएगी।
5. उक्त कार्यक्रम में क्षेत्र/अंचल/निगम तथा अन्य सभी पदाधिकारी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

इं. गोपाल वल्लभ पटेल
केन्द्रीय अध्यक्ष

●●●

पत्रांक : 47/स-1 दिनांक : 22.02.2026

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा संवर्ग के महत्वपूर्ण न्यायालयी प्रकरणों के सम्यक अनुश्रवण/पैरवी हेतु संगठन के संवैधानिक प्राविधानानुसार उपसमिति-विधि प्रकोष्ठ (Legal Cell) का निम्नवत् गठन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	पता	दूरभाष
1.	इं. एस. सी. दीक्षित	अध्यक्ष	4, ब्रह्मनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ	9415023468
2.	इं. अहमद ताहिर	संयोजक	14/303, वृन्दावन योजना, लखनऊ-226029	9415900061
3.	इं. ज्ञानेन्द्र कुमार	सदस्य	एम.आई.जी.-10, टाइप-2, डबल स्टोरी गोविन्दपुर हाउसिंग स्कीम, प्रयागराज	9415114030
4.	इं. अनुरोग सक्सेना	सदस्य	म.सं.-15, हाइडिल ऑफिसर्स कालोनी, प्रागनारायण रोड, लखनऊ	9415900574
5.	इं. फूलचन्द	सदस्य	आवास विकास कालोनी, झूसी, प्रयागराज	8299277392
6.	इं. शिवव्रत यादव	सदस्य	जमालपुर पोस्ट ऑफिस नई कोट, डिस्ट्रिक चन्दौली, यू.पी.	7905098802
7.	इं. रत्नदीप मौर्या	सदस्य	45, चन्द्रलोक आफिसर्स कालोनी, अलीगंज, लखनऊ	7408429599
8.	इं. अनिल कुमार पाठक	सदस्य	33, राजीव नगर, पानी गाँव के पास, लखनऊ—226016	9415900352
9.	इं. अभय यादव	सदस्य	विद्युत वितरण खण्ड, प्रयागराज	7521964160

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

इं. गोपाल वल्लभ पटेल
केन्द्रीय अध्यक्ष

●●●

पत्रांक : 55/स-5/स-7 दिनांक : 05.03.2026

<u>प्रशिक्षण एवं सम्पर्क – प्रवास कार्यक्रम</u>

सेवा में,

समस्त सदस्य,
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति,
रा.वि.प. जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ.प्र.।

विषय :- प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रवास कार्यक्रम की सूचना।

प्रिय साथियों,

आप अवगत हैं कि वर्तमान के समय में जूनियर इंजीनियर/प्रोन्नत अभियन्ता संवर्ग एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। विभाग में हो रहे नित नये परिवर्तन, मैनपॉवर, सामग्री और जूनियर इंजीनियर की कमी एवं छोटी-छोटी बात पर कार्यवाहियों में आशातीत वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर संवर्ग के लिए महत्वपूर्ण ए.सी.पी., वरिष्ठता, उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के समापन आदि विषयों पर लम्बी अवधि से सकारात्मक निर्णय प्रतीक्षित है। इन परिस्थितियों में दक्षतापूर्वक विभागीय निष्पादन हेतु विषयपरक प्रशिक्षण/चर्चा, संवर्ग मांगों/समस्याओं की अद्यतन स्थिति से अवगत करते हुए सदस्यों को जागरूक कर संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नवत् प्रशिक्षण एवं संपर्क–संवाद कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है :–

(पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि.)

– प्रथम पाली :– (प्रातः 10.00 बजे – अपरान्ह 1.00 बजे तक)

– द्वितीय पाली :– (सायं 03.00 बजे – 06.00 बजे तक)

केन्द्रीय पदाधिकारी नाम/पद	दिनांक	जनपद/परियोजना	पाली
केन्द्रीय टोली – प्रथम 1. इं. गोपाल वल्लभ पटेल, केन्द्रीय अध्यक्ष 2. इं. पंकज कुमार जायसवाल, केन्द्रीय उपाध्यक्ष 3. इं. आर. ए. कुशवाहा, प्रान्तीय महासचिव, पा.का.लि. शाखा 4. इं. दीपक गुप्ता, केन्द्रीय उपमहासचिव 5. इं. सियाराम यादव, विशेष आमंत्रित सदस्य	12.03.2026	जौनपुर	प्रथम
		गाजीपुर	द्वितीय
	13.03.2026	चन्दौली	प्रथम
		वाराणसी	द्वितीय
	14.03.2026	सोनभद्र	प्रथम
		अनपरा/पिपरी	द्वितीय
	16.03.2026	ओबरा	प्रथम
		मिर्जापुर	द्वितीय
	17.03.2026	भदोही	प्रथम
		प्रयागराज	द्वितीय
	18.03.2026	फतेहपुर	प्रथम
		कौशाम्बी	द्वितीय
	19.03.2026	प्रतापगढ़	प्रथम

केन्द्रीय पदाधिकारी नाम/पद	दिनांक	जनपद/परियोजना	पाली
केन्द्रीय टोली – द्वितीय पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. 1. इं. बलबीर यादव, केन्द्रीय महासचिव 2. इं. एम. ए. आलम, विशेष आमंत्रित सदस्य 3. इं. ए. के. सिंह, पूर्व उपनिदेशक (आई.टी.आई.) 4. इं. दीपक शर्मा, केन्द्रीय उपमहासचिव (मुख्यालय) 5. इं. के. एल. यादव, विशेष आमंत्रित सदस्य	16.03.2026	संतकबीर नगर	प्रथम
		बस्ती	द्वितीय
	17.03.2026	सिद्धार्थनगर	प्रथम
		महाराजगंज	द्वितीय
	18.03.2026	कुशीनगर	प्रथम
		गोरखपुर	द्वितीय
	19.03.2026	देवरिया	प्रथम
		बलिया	द्वितीय
	20.03.2026	मऊ	प्रथम
		आजमगढ़	द्वितीय

सामान्य निर्देश :-

1. सम्बन्धित शाखा के अध्यक्ष/सचिव का दायित्व होगा कि केन्द्रीय टोली के आगमन के पूर्व शाखा की Incumbency विवरण एवं शाखा के सदस्यों की शत-प्रतिशत सदस्यता, कल्याण योजना/भवन कोष शुल्क जमा कर विवरण पूर्ण कर लेंगे एवं टोली को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. जनपद/परियोजना के अध्यक्ष/सचिव संगठन के सभी अभिलेखों जैसे विवरण पंजिका, उपस्थिति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, पत्राचार फाइल, आय-व्यय विवरण (कैश-बुक), बैंक खातों एवं आय-व्यय की संप्रेक्षा (आडिट) रिपोर्ट पूर्ण कर भ्रमण टोली को प्रस्तुत करेंगे।
3. सम्पर्क संवाद कार्यक्रम में केन्द्रीय पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र/अंचल/निगम के पदाधिकारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
4. केन्द्रीय टोली की यात्रा व ठहरने इत्यादि की व्यवस्था सम्बन्धित जनपद/परियोजना शाखा द्वारा की जायेगी।
5. प्रशिक्षण एवं सम्पर्क संवाद कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार दैनिक प्रेस मीडिया/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

इं० बलवीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

-------● -------

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

सुपर पडिला आइसक्रीम

द्वारिकापुरी कालोनी, लक्ष्मीपुर, गोरखपुर

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

आरिफ खान

हरैया, गोरखपुर

पत्राचार (केन्द्रीय)

पत्रांक : 07/डी.जी.-21 दिनांक : 02.01.2026

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
उ.प्र.पा.का.लि./उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि./
उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि., शक्ति भवन,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

विषय : बिजली कर्मियों को मिल रही रियायती बिजली की सुविधा पूर्ववत जारी रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ.प्र.पा.का.लि. के निदेशक (वाणिज्य) के आदेश संख्या-1/3525/2025/मु.अ. (वाणिज्य)/वा.-1/54957 दिनांक 22.12.2025 को संदर्भित करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से एल.एम.वी.-10 (विभागीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स) श्रेणी के कार्मिकों के संयोजनों पर दिनांक 31.12.2025 तक शत-प्रतिशत मीटरिंग के आदेश दिए गए हैं, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित बिजली कर्मचारियों/अभियन्ताओं के विरुद्ध प्रतिकूल संज्ञान लिये जाने की चेतावनी दी गयी है।

इस सम्बन्ध में संगठन निम्नलिखित तथ्यों की ओर आपका ध्यानाकृष्ट कराना चाहता है :-

(i) रियायती बिजली की सुविधा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 एवं ट्रांसफर स्कीम 2000 के अंतर्गत बिजली कर्मियों को और पेंशनधारियों को मिल रही है। यह सुविधा 25 जनवरी, 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ हुए लिखित समझौते के अनुरूप मिल रही है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी है।

(ii) इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 के सेक्शन 23(7) में लिखा है कि –
"Terms and Conditions of the personnel shall not be less favourable to the terms and conditions which were applicable to them before the transfer." The same spirit has been echoed under first proviso of section 133(2) of the electricity act 2003. The benefits for employees/pensioners as provided in section 12(B)(ii) of the Uttar Pradesh reform transfer scheme 2000 include "concessional rate of electricity", which means concession in the rate of electricity to the extent it is not inferior to what was existing before 14 January 2000.

(iii) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 के सेक्शन 23(7) और ट्रांसफर स्कीम 2000 में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि रियायती दर पर मिल रही बिजली की सुविधा और मेडिकल रीइंबर्समेंट सेवांत सुविधाओं (टर्मिनल बेनिफिट) का हिस्सा है और इसमें कभी भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में 14 जनवरी, 2000 को मिल रही सुविधा की तुलना में कमतर हो। कारपोरेशन द्वारा भय का वातावरण पैदा कर बिजली कर्मियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश की जा रही है जो रिफॉर्म एक्ट 1999, ट्रांसफर स्कीम 2000 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्राविधानों के विपरीत है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक के पत्र संख्या 1/8436/2025/मु.अ. (वाणिज्य)/वा.-1/सी.-1/30334 दिनांक 09.04.2025 के क्रम में हम आपको पुनः यह सूचित करना चाहते हैं कि बिजली कर्मियों को मिल रही रियायती बिजली की सुविधा गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मिल रही है। इसमें 14 जनवरी, 2000 की स्थिति में कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा परिवर्तन इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट-1999 और ट्रांसफर

स्कीम 2009 के विपरीत है। उपरोक्त के कारण संगठन के सदस्यों में रियायती बिजली की सुविधा समाप्त किये जाने की प्रबल आशंका उत्पन्न हो गई, जिससे उनमें रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

उपरोक्त स्थितियों में आपसे विनम्र अनुरोध है कि एल.एम.वी.-10 संयोजनों पर कार्मिकों की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक स्मार्ट मीटर लगाये जाने पर रोक लगाते हुए इस प्रकरण के उचित निराकरण हेतु संगठन से द्विपक्षीय वार्ता निर्धारित किये जाने की कृपा करें जिससे जारी गतिरोध को समाप्त कर निगम हित में औद्योगिक शान्ति सुनिश्चित की जा सके।

आदर सहित,

संलग्नक : यथोपरोक्त।

भवदीय
इं. बलवीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

X **X** **X**

पत्रांक : 09/डी.जी.-23 दिनांक : 05.01.2026

सेवा में,

श्रीमान अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषय :- डिस्कॉम स्तर पर निलंबन के उपरान्त सेवा बहाली होने पर कार्मिकों को कारपोरेशन को समर्पित किए जाने के आदेश के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का आदेश संख्या-1/8196/2025-ज.श. प्र.सु. एवं प्रशि.-01, दिनांक 07.04.2025।

महोदय,

सादर निवेदन है कि उपर्युक्त संदर्भित आदेश के माध्यम से डिस्कॉम स्तर से निलंबित किए गए कॉमन कैडर के कार्मिकों, यथा – अवर अभियन्ता, प्रोन्नत अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा में बहाली के उपरांत कारपोरेशन को समर्पित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुपालन में कार्मिकों को अन्य डिस्कामों में तैनात/स्थानांतरित किया जा रहा है।

2. इस सम्बन्ध में आपके संज्ञान में लाना समीचीन होगा कि निलंबन एवं सेवा में बहाली के पश्चात् प्रायः सम्बन्धित अवर अभियन्ता/प्रोन्नत अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया प्रचलित रहती है। ऐसी स्थिति में, जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व, मध्य शैक्षणिक सत्र के दौरान, कार्मिकों को अन्य डिस्कामों में स्थानांतरित/तैनात किया जाना वस्तुतः एक दण्डात्मक कार्यवाही है, जिससे विभागीय कार्यों के निष्पादन एवं उनके पारिवारिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों की शिक्षा, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल तथा पारिवारिक स्थायित्व गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।
3. यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक प्रकरणों में विभागीय जांच के उपरांत सम्बन्धित कार्मिक निर्दोष पाये गये अथवा उनके विरुद्ध केवल चेतावनी/लघु दंड की ही स्थिति बनती है। इसके बावजूद, ऐसे कार्मिकों को सेवा में बहाली के उपरांत कारपोरेशन को समर्पित कर अन्य डिस्कामों में तैनात/स्थानांतरित किया जाना न केवल नियमविरुद्ध है, बल्कि अत्यंत पीड़ादायक भी है।
4. ज्ञातव्य है कि कर्मचारी सेवा नियमावली के अंतर्गत निलंबन को दण्ड की श्रेणी में नहीं रखा गया है। दोष सिद्धि के उपरांत ही दण्ड अधिरोपित किया जाना विधिसम्मत है, किन्तु उपर्युक्त आदेश के कारण निलंबन स्वयं ही कार्मिकों के लिए कठोर दण्ड का रूप ले रहा है, जो न्यायसंगत एवं नियमसम्मत नहीं है।

5. यह भी निवेदन है कि विगत कुछ समय से क्षेत्रीय उच्चाधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से अत्यंत लघु एवं तुच्छ कारणों पर, कार्मिकों विशेष रूप से जूनियर इंजीनियरों को निलंबित किए जाने की प्रवृत्ति अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त आदेश के कारण बड़ी संख्या में जूनियर इंजीनियरों को दोष सिद्धि के बिना मध्य शैक्षणिक सत्र में सुदूर स्थानों पर तैनात किया जा रहा है, जिससे उनमें गहरी हताशा एवं आक्रोश व्याप्त है।
6. इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रकरण भी सामने आ रहे हैं, जिनमें उन कार्मिकों को भी अन्य डिस्कामों में तैनात किया जा रहा है, जिनकी सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम का समय शेष है, जबकि उत्तर प्रदेश शासन एवं कारपोरेशन में लागू स्थानांतरण नीति के अनुसार ऐसे कार्मिकों को यथासंभव उनके इच्छित अथवा निकटवर्ती स्थान पर तैनात किए जाने का प्रावधान है। स्थानांतरण नीति के विपरीत, बिना दोष सिद्धि अथवा केवल लघु दंड की स्थिति में, उक्त आदेश के आधार पर सुदूर स्थानांतरण किया जाना शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि डिस्कॉम स्तर से निलंबित जूनियर इंजीनियरों एवं प्रोन्नत अभियन्ताओं की सेवा में बहाली के उपरांत, विभागीय जांच पूर्ण होने से पूर्व, उन्हें डिस्कॉम से बाहर स्थानांतरित/तैनात न किए जाने तथा वृहद दण्ड की स्थिति के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्मिक को उसी डिस्कॉम के अंतर्गत तैनात किए जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करने की महती कृपा करें, जिससे सदस्यों में व्याप्त रोष को समाप्त कर कारपोरेशन में कार्य का बेहतर वातावरण बना रहे।

आदर सहित,

संलग्नक : यथोपरोक्त।

भवदीय

इं. गोपाल वल्लभ पटेल

केन्द्रीय अध्यक्ष

X **X** **X**

पत्रांक : 18/डी.जी.-23 दिनांक : 15.01.2026

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :- अवर अभियन्ता/प्रोन्नत अभियन्ता संवर्ग की तत्कालिक मांगों/समस्याओं के शीघ्र निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप सादर अवगत हैं कि ऊर्जा प्रबंधन की मंशा के अनुरूप अवर अभियन्ता/प्रोन्नत अभियन्ता विद्युत व्यवस्था के सफल संचालन तथा वर्तमान में जारी एकमुश्त समाधान योजना को दक्षतापूर्वक क्रियान्वित किए जाने हेतु पूरी मेहनत एवं ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही विद्युत उत्पादन तथा पारेषण स्कंध में भी संवर्ग के सदस्य प्रबंधन की नीतियों के अनुरूप कुशलतापूर्वक मशीनों के संचालन, अधिकतम विद्युत उत्पादन हेतु समर्पित भाव से कार्यरत हैं।

अवर/प्रोन्नत अभियन्ताओं में कार्य के प्रति समर्पण बनाए रखे जाने के लिए उनकी निम्न तत्कालिक मांगों/समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण किया जाना आवश्यक है :–

1. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में चयन वर्ष 2025-26 में रिक्त सहायक अभियन्ता के पदों के सापेक्ष जूनियर इंजीनियर की प्रोन्नति के आदेश अतिशीघ्र निर्गत किए जाएं।

2. उत्पादन निगम/जल विद्युत स्कंध में भी सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के प्रोन्नति कोटे के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रोन्नति आदेश अतिशीघ्र निर्गत किए जाएं।
3. दिनांक 03.12.2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष सम्पन्न समझौते के बिन्दुओं के अनुपालन हेतु शीघ्र समुचित आदेश निर्गत किए जाएं साथ ही वर्ष-2023 के आन्दोलन में हुई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को सहमति के अनुरूप अविलंब वापस लिया जाए।
4. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कॉमन कैडर के निलंबित कार्मिकों की सेवा में बहाली पर समर्पण के आदेश की विसंगतियों को दूर कराते हुए उन्हें डिस्कॉम से बाहर स्थानांतरित न किया जाए।
5. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन/उत्पादन निगम में लंबित अवर/सहायक अभियन्ता के पारस्परिक ज्येष्ठता के प्रकरण का विभाग में विद्यमान नियमों के अनुसार शीघ्र निस्तारण कराया जाए।
6. अवर अभियन्ता एवं प्रोन्नत अभियन्ताओं के लम्बित एसीपी सम्बन्धी प्रकरणों का सुसंगत विभागीय/विभाग में अंगीकृत उत्तर प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार सकारात्मक निस्तारण कराते हुए अतिशीघ्र प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी स्वीकृत की जाय।
7. संगठन के 78वें महाधिवेशन के अवसर पर प्रस्तुत मांग-पत्र पर शीघ्र द्विपक्षीय वार्ता आहूत कर बिन्दुओं का प्रभावी/सकारात्मक निस्तारण कराया जाए।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त तात्कालिक समस्याओं का प्राथमिकता पर त्वरित निस्तारण कराए जाने हेतु समुचित निर्देश देने की कृपा करें, जिससे विभाग में परस्पर विश्वास एवं कार्य का बेहतर वातावरण बना रहे।

आदर सहित,

इं. बलवीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

X **X** **X**

पत्रांक : 22/डी.जी.-21 दिनांक : 20.01.2026

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :- दिनांक 18.01.2026 को सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में पारित प्रस्तावों के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2026 को सहयोग सदन, 6-गोखले मार्ग, लखनऊ में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश भर से वितरण, पारेषण एवं उत्पादन निगम में कार्यरत/सेवानिवृत्त संगठन के पदाधिकारी/सदस्यों ने प्रतिभाग किया। बैठक में विस्तृत/गंभीर विचार-विमर्श के उपरांत विद्युत व्यवस्था के सफल संचालन, बेहतर उपभोक्ता सेवा सुनिश्चित करने तथा जूनियर इंजीनियर/प्रोन्नत अभियन्ता संवर्ग की मांगों/समस्याओं के संदर्भ में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए :-

प्रस्ताव संख्या–1

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ.प्र. की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश सरकार एवं ऊर्जा प्रबंधन की मंशा के अनुरूप विद्युत व्यवस्था के सफल

संचालन हेतु सभी जनपद/परियोजनाओं पर सदस्यों का प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम चलाए जाने का निर्णय करती है।

प्रस्ताव संख्या–2

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ.प्र. की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन से अपील करती है कि विभाग में परस्पर विश्वास एवं कार्य का बेहतर वातावरण बनाए रखने हेतु दिनांक 3.12.2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के सलाहकार महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न समझौते को लागू किया जाए तथा दिनांक 19.03.2023 की सहमतियों के अनुरूप समस्त आन्दोलन के कारण की गई समस्त उत्पीड़न की कार्यवाहियों को समाप्त कराया जाय।

प्रस्ताव संख्या–3

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ.प्र. की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन से अपील करती है कि जूनियर इंजीनियर/प्रोन्नत अभियन्ता संवर्ग की लंबित मांगों/समस्याओं का शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शीघ्र समुचित समाधान कराया जाए जिससे संवर्ग में व्याप्त निराशा एवं आक्रोश को विभाग हित में समाप्त किया जा सके।

बलबीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

X **X** **X**

पत्रांक : 47-अ/म-2 दिनांक : 25.02.2026

सेवा में,

माननीय ए. के. शर्मा जी,
ऊर्जा मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय :- सहमतियों के उपरान्त भी संगठन के पदाधिकारियों/सदस्यों एवं विद्युत कर्मियों के विरुद्ध की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को समाप्त कराए जाने का अनुरोध।

संदर्भ :- उत्पादन निगम लिमिटेड का पत्रांक :-

(1) 26/मा.सं.-05/उनिलि/2026-4(02)मा.सं.-05/2023(5) दिनांक : 16.01.2026
(2) 27/मा.सं.-05/उनिलि/2026-4(02)मा.सं.-05/2023(5) दिनांक : 16.01.2026
(3) 47/मा.सं.-05/उनिलि/2026-4(02)मा.सं.-05/2023(5) दिनांक : 16.01.2026
(4) 55/मा.सं.-05/उनिलि/2026-4(02)मा.सं.-05/2023(5) दिनांक : 16.01.2026 आदि।

आदरणीय महोदय,

निवेदन के साथ सादर संज्ञान में लाना है कि दिनांक 16.01.2026 को उत्पादन निमग लिमिटेड द्वारा जारी उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से संगठन के पदाधिकारियों/विद्युत कर्मियों को वर्ष 2023 में हुई सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में आरोप सिद्ध मानते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में निम्न तथ्यों की ओर आपका सादर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ :-

1. विदित है कि वर्ष 2022 में कुछ ज्वलंत मांगों/समस्याओं के निराकरण हेतु ऊर्जा प्रबंधन का ध्यानाकृष्ट कराया गया, जिस पर दिनांक 03.12.2022 को आप महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी की अध्यक्षता में ऊर्जा निगमों के प्रबन्धकों एवं संगठन प्रतिनिधियों के मध्य त्रिपक्षीय

वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में विभिन्न मांगों/समस्याओं के निश्चित समयावधि में निराकरण पर सहमति बनी और ऊर्जा क्षेत्र में उत्पन्न असंतोष समाप्त हुआ।

2. अग्रेतर कतिपय कारणों से मार्च 2023 में विभिन्न चरणों में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम एवं सांकेतिक हड़ताल हुई। इस दौरान संगठन प्रतिनिधियों से कई चक्र में वार्ताएं सम्पन्न हुईं और अंततः दिनांक 19.03.2023 को आप महोदय ने प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए स्वयं की अध्यक्षता में चेयरमैन, समस्त ऊर्जा निगम, प्रबंध निदेशकगण एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के मध्य त्रिपक्षीय बैठक सम्पन्न कराई। उक्त बैठक में बनी सहमतियों के उपरान्त व्यापक जनहित में सांकेतिक हड़ताल समय से पूर्व वापस हो गई।
3. त्रिपक्षीय बैठक में आप महोदय द्वारा दिनांक 03.12.2022 के समझौते को लागू किए जाने हेतु आश्वस्त किया गया तथा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को हड़ताल के दौरान विद्युत कर्मियों/संगठन पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों– जैसे निलंबन, दर्ज एफ.आई.आर., वेतन कटौती आदि को वापस लिए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। साथ ही यह आह्वान किया गया कि सभी विद्युत कर्मी विभागीय हित में अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा से करेंगे, जिसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रसारित भी किया गया।
4. आप महोदय की प्रेरणा से संगठन के सदस्य जूनियर इंजीनियर, प्रोन्नत अभियन्ता एवं अन्य विद्युत कर्मियों ने पूरी निष्ठा, अधिक परिश्रम के साथ कार्य किया जिसके फलस्वरूप ऊर्जा क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुईं। जिनमें प्रमुख रूप से एक दिन में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति (लगभग 32000 मे.वा.) का राष्ट्रीय रिकार्ड, महाकुंभ-2025 में निर्बाध/उत्कृष्ट विद्युत आपूर्ति, वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी डिस्काम की ग्रेडिंग एवं स्कोर में राज्य के डिस्कामों का बेहतरीन प्रदर्शन, रिकार्ड राजस्व वसूली आदि शामिल हैं। इन उपलब्धियों हेतु माननीय ऊर्जा मंत्री जी एवं उच्च प्रबंधन द्वारा विद्युत कर्मियों को सम्मानित किया गया तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उनकी सराहना भी की गई।
5. दुखद है कि वर्ष 2023 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लिए जाने के आप महोदय द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उत्पादन निगम प्रबंधन द्वारा दिनांक 16.01.2026 को पुनः संगठन के पदाधिकारियों एवं विद्युत कर्मियों पर हड़ताल का अरोप सिद्ध मानते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे संगठन के सदस्यों/विद्युत कर्मियों में भारी निराशा एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपर्युक्त तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय/संरक्षण प्रदान किये जाने के लिए जूनियर इंजीनियर/विद्युत कर्मियों के विरुद्ध की जा रही समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियाँ एवं उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा दिनांक 16.01.2026 को जारी संदर्भित सभी पत्रों को वापस लिए जाने हेतु सम्बन्धित को समुचित निर्देश देने की महती कृपा करें, जिससे आपके कुशल नेतृत्व में जूनियर इंजीनियर एवं अन्य विद्युत कर्मी पूर्ण मनोयोग से विभागीय कार्य सम्पादित कर सकें। संगठन एवं उसके समस्त सदस्य आपके सदैव आभारी रहेंगे।

पूर्ण आदर सहित,

संलग्नक : यथोपरोक्त।

भवदीय

गोपाल वल्लभ पटेल

केन्द्रीय अध्यक्ष

X X X

पत्रांक : 48/म-2 दिनांक : 25.02.2026

सेवा में,

डॉ. सोमेन्द्र तोमर जी,
माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय :- उत्तर प्रदेश शासन/सरकार के आदेशों एवं सहमतियों को ऊर्जा निगमों में प्रभावी रूप से लागू कराए जाने के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

आप सादर अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं न्यायसंगत कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने तथा कार्मिकों के हितों की सुरक्षा हेतु समय-समय पर वेतन, एसीपी एवं अधिष्ठान सम्बन्धी विभिन्न आदेश निर्गत किए जाते हैं।

ऊर्जा निगम, शासन के उपक्रम एवं आवश्यक सेवा का विभाग होने के साथ-साथ अत्यंत संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। उक्त के दृष्टिगत यहां कार्मिकों को वेतन भत्तों आदि को शासन की अपेक्षा लाभप्रद स्थिति में रखा जाता है। किन्तु विगत कुछ समय से शासन के महत्वपूर्ण आदेशों एवं सहमतियों को ऊर्जा निगमों में समग्रता से लागू न किए जाने के कारण जूनियर इंजीनियर, प्रोन्नत अभियन्ताओं को गंभीर आर्थिक हानि एवं मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है।

प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1. **सहमति के उपरान्त भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों का समापन नहीं :**

   मार्च 2023 में हुई सांकेतिक हड़ताल की समाप्ति का माननीय ए.के. शर्मा जी ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेवा संघों से हुई सहमति के उपरान्त तत्कालीन अध्यक्ष, समस्त ऊर्जा निगमों को हड़ताल के कारण विद्युत कर्मियों के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाहियों को वापस लेने हेतु निर्देशित किया गया था। दुर्भाग्यवश, अब तक उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस नहीं ली गई हैं, जिससे विद्युत कर्मियों में निराशा एवं क्षोम व्याप्त है।

   अतः सहमति के अनुरूप समस्त दंडात्मक/उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को अतिशीघ्र समाप्त कराया जाना न्यायोचित होगा।

2. **शासन की अनुरूपता में एसीपी सम्बन्धी आदेश लागू नहीं :-**

   उत्तर प्रदेश शासन के अनुरूपता में ऊर्जा निगमों में एसीपी की व्यवस्था लागू की गई है। शासनादेश संख्या 2-773 दिनांक 5.11.2014 में निहित सिद्धांतों को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड सहित समस्त ऊर्जा निगमों में एसीपी सुविधा अनुमन्य की गई। परन्तु जूनियर इंजीनियर से प्रोन्नत अभियन्ताओं को द्वितीय एवं तृतीय एसीपी की देयता के सम्बन्ध में शासनादेश के विपरीत एवं नियम विरुद्ध आदेश पारित किए जाने के कारण प्रोन्नत अभियन्ता को उत्तर प्रदेश शासन में देय द्वितीय एसीपी (ग्रेड-पे 6600) तथा तृतीय एसीपी (6600 से अगले ग्रेड-पे) में वेतन निर्धारण के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इस प्रकार उन्हें बड़ी आर्थिक हानि हो रही है और वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं।

   अतः न्यायहित में प्रकरण को शासन द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार तत्काल निर्णीत कराया जाना आवश्यक है।

3. **उ.प्र. शासन के पुरानी पेंशन सम्बन्धी आदेश को ऊर्जा निगमों में लागू किया जाना :-**
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जून, 2024 के आदेश संख्या 14/2024 के माध्यम से ऐसे सरकारी सेवकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिनका चयन उन पदों/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन दिनांक 28 मार्च, 2005 (नई अंशदान पेंशन योजना की अधिसूचना) से पूर्व प्रकाशित हुआ था। यद्यपि उक्त आदेश एनपीएस से आच्छादित कर्मियों हेतु है, तथापि शासन की मंशा स्पष्ट रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था के समय विज्ञापित पदों/रिक्तियों के सापेक्ष चयनित कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान किये जाने की है।
उक्त के दृष्टिगत आवश्यक संशोधन/स्पष्टीकरण के साथ शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के ऊर्जा निगमों में भी लागू कराया जाए, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप ऊर्जा निगमों के पात्र कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन/सरकार के आदेशों एवं सहमतियों के अनुरूप ऊर्जा निगमों के जूनियर इंजीनियर, प्रोन्नत अभियन्ता एवं अन्य कार्मिकों को न्याय प्रदान किए जाने हेतु प्रभावी हस्तक्षेप करने की कृपा करें, जिससे उनकी आर्थिक हानि और मानसिक पीड़ा का नियमानुसार समुचित निराकरण हो सके।

आदर सहित,

संलग्नक यथोपरोक्त।

गोपाल वल्लभ पटेल
केन्द्रीय अध्यक्ष

X **X** **X**

पत्रांक : 49/स-2 दिनांक : 25.02.2026

सेवा में,
माननीय ए. के. शर्मा जी,
ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषय :- बिजली कनेक्शन निर्गत करने में कथित कोताही के दृष्टिगत लेसा अमौसी जोन के जूनियर इंजीनियर/प्रोन्नत अभियन्ता एवं अन्य विद्युत कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार एवं ऊर्जा प्रबंधन की मंशा के अनुरूप अवर अभियन्ता/ प्रोन्नत अभियन्ता दिन-रात विद्युत व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। लेसा अमौसी जोन में कनेक्शन निर्गत करने में कथित अनियमितता के कारण दिनांक 24.02.2026 की वहां कार्यरत सभी अवर अभियन्ता/प्रोन्नत अभियन्ताओं के निलंबन की दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही की गयी। इस सम्बन्ध में संगठन द्वारा अपने स्तर से विस्तृत समीक्षा की गई है। इस क्रम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आपका ध्यानाकृष्ट कराना आवश्यक है।

2. अमौसी क्षेत्र का विस्तार गंगागंज से मलिहाबाद तक लगभग 100 किलोमीटर है। इस जोन में 33/11 के. वी. के 53 विद्युत उपकेन्द्र, 20 उपखंड एवं 7 खंड कार्यालय संचालित हैं। इतने विस्तृत क्षेत्र में नए विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु 1 अधिशासी अभियन्ता, 3 उपखंड अधिकारी, 3 जूनियर इंजीनियर एवं सीमित अन्य कर्मी तैनात हैं, जो स्पष्टतः अपर्याप्त है।

3. दिनांक 15 नवम्बर, 2025 से लागू नई वर्टिकल व्यवस्था के पश्चात् अमौसी जोन में लगभग 13.760 नए संयोजनों के आवेदन प्राप्त हुए। औसतन प्रतिदिन लगभग 135 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें निर्धारित समय-सीमा में निर्गत किया जाना अपेक्षित था। सीमित संसाधनों के बावजूद लगभग 10473 संयोजन का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जो जूनियर इंजीनियर/अभियन्ताओं की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
4. नई व्यवस्था में जूनियर इंजीनियरों के लिए कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित नहीं है। परिणामस्वरूप उन्हें एक ही दिन में गंगागंज से मलिहाबाद (100 किमी से अधिक दूरी) तक के दर्जनों आवेदनों का स्थल निरीक्षण का तकनीकी संभाव्यता रिपोर्ट (TFR) प्रस्तुत करनी पड़ती है, ताकि पोर्टल पर संयोजन 'बियॉन्ड' न हों। यह स्थिति व्यवहारिक दृष्टि से अत्यन्त कठिन है।
5. एक जूनियर इंजीनियर को प्रतिदिन औसतन 35-40 से अधिक संयोजनों का स्थल निरीक्षण एवं TFR कार्य करना पड़ रहा था। इतने विस्तृत क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य निष्पादन वस्तुतः संभव नहीं था, फिर भी कार्मिकों ने पूर्ण समर्पण के साथ दायित्व निभाया।
6. मानव संसाधन की कमी के विषय में सम्बन्धित प्रोन्नत अभियन्ताओं द्वारा उच्चाधिकारियों को मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया। अतिरिक्त मैनपावर उपलब्ध कराना तो दूर, स्थल निरीक्षण हेतु आवश्यक संसाधन एवं क्षेत्र में जाने के लिए वाहन भी उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बावजूद कार्मिकों ने निजी प्रयासों से कार्य संपादित किया।
7. जूनियर इंजीनियर एवं प्रोन्नत अभियन्ता प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक तथा कई अवसरों पर मध्यरात्रि तक कार्य करते रहे। ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज गतिविधियां इसकी पुष्टि करती हैं। इसके साथ OTS के कैंप, IGRS, राजस्व वसूली, मीटर रिमूवल, स्थाई विच्छेदन, विधा परिवर्तन आदि कई सारे कार्य इन्हीं मानव संसाधन से सम्पन्न कराये गये, जिसमें स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य है।
8. संज्ञान में लाना है कि श्री रविन्द्र कुमार, जूनियर इंजीनियर को गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया था। ऐसे कर्मठ जूनियर इंजीनियर को 25 फरवरी, 2026 को कार्य के प्रति लापरवाही अनियमितता के आरोप में निलंबित किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं मनोबल तोड़ने वाला है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अमौसी जोन के कामर्शियल विंग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर, प्रोन्नत अभियन्ता एवं अन्य कार्मिकों ने सरकार की मंशा के अनुरूप निर्धारित समयावधि में नए कनेक्शन जारी करने हेतु पूर्ण निष्ठा से कार्य किया। इसके बावजूद उसका एकतरफा सामूहिक निलंबन एवं अन्यत्र संबद्धीकरण की कार्यवाही किया जाना अत्यंत कठोर मनोबल गिराने वाली तथा उत्पीड़नात्मक कार्यवाही है, जिससे संगठन के सदस्यों में व्यापक निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

X **X** **X**

पत्रांक : 59/डी.जी.-23 दिनांक : 23.03.2026

सेवा में,

मा. अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :- वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता नियंत्रण एवं उत्तरदायित्व निर्धारण सम्बन्धी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- कारपोरेशन का पत्र सं. **330**/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक **18.03.2026।**

आदरणीय महोदय,

सादर निवेदन है कि वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता को कम करने एवं उत्तरदायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत आदेश के अनुपालन में क्षेत्रों में कार्य कर रहे अवर अभियन्ताओं/प्रोन्नत अभियन्ताओं के समक्ष अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में संसाधनों, सामग्री एवं समय की कमी के कारण आदेश का पूर्णतः अनुपालन करना अत्यंत कठिन है, जिससे कार्मिकों पर अनावश्यक वित्तीय दायित्व (Recovery) पड़ने की प्रबल संभावना बन रही है। उक्त आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है :-

1. परिवर्तकों के स्पॉट मेंटेनेंस हेतु सामग्री सहित एजेंसी की नियुक्ति की जाए जिससे अवर अभियन्ता द्वारा सूचना दिये जाने अथवा PR लगाये जाने के 48 घंटे के भीतर मेंटेनेंस सुनिश्चित हो सके।
2. कारपोरेशन की यार्डस्टिक आदेश के अनुसार उपभोक्ता संख्यावार जूनियर इंजीनियर, अनुरक्षण/टेस्टिंग गैंग इत्यादि मैन पावर की तैनाती सुनिश्चित की जाए जिससे विद्युत चोरी की रोकथाम, भार संतुलन एवं परिवर्तकों की नियमित निगरानी का कार्य मानक के अनुसार कराया जा सके।
3. परिवर्तक के अतिभारित होने अथवा एबीसी कंडक्टर क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में कारपोरेशन द्वारा जारी **SOP** के अनुपालनार्थ प्राक्कलन स्वीकृति अधिकतम 48 घंटे की समय-सीमा में की जाए तथा एजेंसी द्वारा इसी समयावधि के भीतर क्षमता वृद्धि/लाइन प्रतिस्थापन कराया जाए।
4. कार्यशालाओं में पुरानी/खराब गुणवत्ता की सामग्री (जैसे वाइंडिंग वायर, ऑयल, सील, एल.टी. राड आदि) के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए तथा केवल नई एवं मानक के अनुसार सामग्री के उपयोग को अनिवार्य किया जाए।
5. SOP के अनुसार तीन या अधिक बार रिपेयर हो चुके परिवर्तकों की जांच कर उन्हें रिपेयर श्रेणी से बाहर किया जाए तथा 24 घंटे के भीतर नए परिवर्तक उपलब्ध कराए जाएं। तीन या अधिक बार रिपेयर परिवर्तकों को अनिवार्य रूप से Uneconomical घोषित कर उनके स्थान पर नए परिवर्तक स्थापित करने के समुचित आदेश निर्गत किए जाएं।
6. प्रत्येक परिवर्तक पर निर्माण एवं रिपेयर का स्थायी रिकॉर्ड (दिनांक एवं जॉब नंबर सहित) पंचिंग के माध्यम से अंकित कराया जाए। रिपेयर के दौरान एल.टी. स्ट्रिप एवं वाइंडिंग वायर के प्रतिरोध की SOP के अनुसार जांच अनिवार्य की जाए, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। परिवर्तकों में प्रयुक्त सामग्री लाइफ-टाइम गारंटी युक्त हो तथा नए परिवर्तकों पर खरीद दिनांक सहित विवरण स्थायी रूप से अंकित किया जाए। रिपेयर परिवर्तकों में टॉप कवर नट-बोल्ट से लगाया जाए, जिससे भविष्य में त्वरित मेंटेनेंस संभव हो।
7. कार्यशाला हेतु कुशल श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए साथ ही वाशिंग, टैंक क्लीनिंग, पेंटिंग, ड्राइनेस एवं असेम्बली की गुणवत्ता जांच हेतु समिति गठित की जाए तथा जांच उपरांत ही परिवर्तकों की टैकिंग कराई जाए, इसके साथ ही सभी परिवर्तकों के निर्गमन से पूर्व आवश्यक टेस्टिंग कर उसकी रिपोर्ट समिति के हस्ताक्षर सहित अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।
8. परिवर्तकों की खरीद, रिपेयरिंग, सामग्री प्रबंधन एवं भुगतान प्रक्रिया में डिस्कॉम प्रबंधन की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। उक्त के दृष्टिगत वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता पर डिस्कॉम के उच्च प्रबंधकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।
9. डिस्कॉम के उच्च प्रबंधन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के एक-एक विद्युत उपकेन्द्र को गोद लेकर कारपोरेशन द्वारा जारी **SOP**/आदेशों के अनुरूप संचालन कर अन्य कार्मिकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा इसे **Success Story** में शामिल करना अभीष्ट होगा।

10. कार्यशाला/भण्डार केन्द्रों की भांति विद्युत उपकेन्द्रों, लाइनों, वितरण संयंत्रों का बीमा कराया जाए जिससे विद्युत दुर्घटना एवं वितरण संयंत्रों/परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता की मरम्मत में आने वाले व्ययभार को बीमा कम्पनी से प्राप्त किया जा सके।

यह भी संज्ञानित कराया जाना है कि कारपोरेशन द्वारा चलाए गये अनुरक्षण माह में भी अवर अभियन्ताओं को आवश्यक सामग्री एवं ट्रांसफार्मर ऑयल आदि प्राप्त नहीं हो सके। जिसके अभाव में वितरण प्रणाली के अनुरक्षण कल्पना आधारहीन/अनौचित्यपूर्ण है। उक्त आदेश के कारण पहले से ही कई समस्याओं/कार्यों से अतिभारित अवर अभियन्ताओं के समक्ष दिन-रात कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने के बाद भी बड़ी वेतन कटौती का संकट उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे संवर्ग के सदस्यों में भारी रोष और आक्रोष व्याप्त है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक संसाधन एवं सामग्री उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही आदेश संख्या–30 दिनांक 18.03.2023 को लागू किये जाने हेतु समुचित निर्देश देने की कृपा करें जिससे किसी भी एकतरफा एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की संभावना को समाप्त कर कारपोरेशन में आपसी विश्वास और कार्य का बेहतर वातावरण बनाए रखा जा सके। उक्त सम्बन्ध में किसी भी एकतरफा कार्यवाही पर संगठन प्रबल विरोध के लिए विवश होगा।

आदर सहित,

इं. बलबीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

X **X** **X**

पत्रांक : 60/डी.जी.-17 दिनांक : 23.03.2026

सेवा में,

मा. अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :- **Facial Attendence ERP** पर लिंक होने व नये सैलरी प्रोसेस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- (1) पत्रांक 46/डी.जी.-17 दिनांक : 22.02.2026।
(2) कारपोरेशन पत्रांक-141/RAPDRP-A/IT/UPPCL दिनांक : 19.01.2026।

आदरणीय महोदय,

सादर निवेदन है कि उपर्युक्त विषयक पत्र के माध्यम से संगठन द्वारा Facial Attendance को ERP से लिंक किए जाने तथा नई वेतन प्रक्रिया के सुचारू क्रियान्वयन हेतु समान रूप से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में कारपोरेशन स्तर से समुचित कार्यवाही/निर्णय प्रतीक्षित है, जबकि वितरण क्षेत्रों में कार्यरत अवर अभियन्ता/प्रोन्नत अभियन्ताओं एवं अन्य कार्मिकों के समक्ष कार्य की प्रकृति, आकस्मिक ड्यूटी, अवकाश दिवसों में कार्य, दुरूह भौगोलिक परिस्थितियां, दोहरे-तिहरे चार्ज तथा निर्धारित समय के अतिरिक्त कार्य करने जैसे व्यावहारिक कठिनाइयां निरंतर बनी हुई हैं।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि संगठन द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं/प्रस्तावित व्यवस्थाओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश यथाशीघ्र निर्गत करने का कष्ट करें, जिससे कार्य निष्पादन में सुगमता एवं कार्मिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

आदर सहित,

संलग्नक यथोपरोक्त।

इं. बलबीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

X **X** **X**

समाध्यम,

जिलाधिकारी महोदय

जनपद...................

प्रतिष्ठा में,

माननीय ए. के. शर्मा जी,

ऊर्जा मंत्री,

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय :- शीर्ष स्तर पर बनी सहमतियों के अनुरूप संगठन के पदाधिकारी सदस्यों का उत्पीड़न समाप्त कराये जाने का अनुरोध।

आदरणीय महोदय,

सादर संज्ञान में लाना है कि विगत दिनों उत्पादन निगम लि. द्वारा पत्र जारी कर संगठन के पदाधिकारियों/विद्युत कर्मियों को वर्ष 2023 में हुई सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में आरोप सिद्ध मानते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि :–

1. वर्ष 2023 में कुछ ज्वलंत मांगों/समस्याओं के निराकरण हेतु ऊर्जा प्रबंधन का ध्यानाकृष्ट कराया गया, जिस पर दिनांक 03.12.2022 को आप महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी की अध्यक्षता में ऊर्जा निगमों के प्रबन्धकों एवं संगठन प्रतिनिधियों के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में विभिन्न मांगों/समस्याओं के निश्चित समयावधि में निराकरण पर सहमति बनी और ऊर्जा क्षेत्र में उत्पन्न असंतोष समाप्त हुआ।
2. अग्रेतर समझौते के प्रमुख बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही न होने तथा परस्पर विश्वास का वातावरण समाप्त-प्राय होने के कारण ससमय नोटिस देते हुए मार्च 2023 में विभिन्न चरणों में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम एवं सांकेतिक हड़ताल हुई। इस दौरान संगठन प्रतिनिधियों से कई चक्र में वार्ताएं सम्पन्न हुईं और अंततः दिनांक 19.03.2023 को आप महोदय द्वारा प्रभावी हस्तक्षेप कर अपनी अध्यक्षता में चेयरमैन, समस्त ऊर्जा निगम, प्रबंध निदेशकगण एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के मध्य त्रिपक्षीय बैठक कराई। उक्त बैठक में बनी सहमतियों के उपरांत व्यापक जनहित में सांकेतिक हड़ताल समय से पूर्व वापस हो गई।
3. त्रिपक्षीय बैठक में आप महोदय द्वारा दिनांक 03.12.2022 के समझौते को लागू किए जाने का आश्वासन दिया गया तथा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को हड़ताल के दौरान विद्युत कर्मियों/संगठन पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों – जैसे निलंबन, दर्ज एफआईआर, वेतन कटौती आदि को वापस लिए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। साथ ही यह आह्वान किया गया कि सभी विद्युत कर्मी विभागीय हित में अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा से करेंगे, जिसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रसारित भी किया गया।

4. आपकी प्रेरणा से संगठन के सदस्य जूनियर इंजीनियर, प्रोन्नत अभियन्ता एवं अन्य विद्युत कर्मियों ने पूरी निष्ठा, अधिक परिश्रम के साथ कार्य किया जिसके फलस्वरूप ऊर्जा क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई, जिनमें प्रमुख रूप से एक दिन में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति (लगभग 32000 मे.वा.) का राष्ट्रीय रिकार्ड, महाकुंभ-2025 में निर्बाध/उत्कृष्ट विद्युत आपूर्ति, वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी डिस्काम की ग्रेडिंग एवं स्कोर में राज्य की डिस्कामों का बेहतरीन प्रदर्शन, रिकार्ड राजस्व वसूली आदि शामिल हैं। इन उपलब्धियों हेतु सरकार/ऊर्जा प्रबंधन द्वारा विद्युत कर्मियों को सम्मानित किया गया तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उनकी सराहना भी की गई।

दुखद है कि वर्ष 2023 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियाँ वापस लिए जाने के सरकार द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उत्पादन निगम प्रबंधन द्वारा पुनः संगठन के पदाधिकारियों एवं विद्युत कर्मियों पर हड़ताल का आरोप सिद्ध मानते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे संगठन के सदस्यों/विद्युत कर्मियों में भारी निराशा एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपर्युक्त तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बैठक में बनी सहमतियों के अनुरूप जूनियर इंजीनियर/विद्युत कर्मियों के विरुद्ध की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियाँ एवं उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा इस निमित्त जारी सभी पत्रों को वापस लिए जाने हेतु सम्बन्धित को समुचित निर्देश देने की महती कृपा करें जिससे आपके कुशल नेतृत्व में विद्युत कर्मी अधिक मेहनत एवं पूर्ण मनोयोग से विभागीय कार्यों का निष्पादन कर सकें।

पूर्ण आदर सहित,

भवदीय,

हस्ताक्षर.........................

नाम/पदनाम..................

दिनांक :.........................

प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में,

(1) श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महोदय के कुशल और सक्षम नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र एवं हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों में अपना योगदान देने वाले विद्युत कर्मियों के विरुद्ध की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को समाप्त किए जाने हेतु प्रभावी हस्तक्षेप कर सम्बन्धित को समुचित निर्देश देने की महती कृपा करें।

(2) डॉ. सोमेन्द्र तोमर जी,
माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. मा. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक भवन, लखनऊ।
2. मा. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि./उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।

( )

जनपद/परियोजना शाखा

केन्द्रीय पदाधिकारी : वर्ष-2026

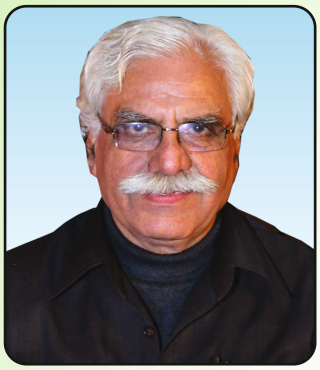

इं० सतनाम सिंह
संरक्षक

इं० सुशील चन्द्र दीक्षित
संरक्षक

इं० जी. वी. पटेल
केन्द्रीय अध्यक्ष

इं० बलबीर यादव
केन्द्रीय महासचिव

इं० सतवीर सिंह
केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष

इं० पंकज कुमार जायसवाल
केन्द्रीय उपाध्यक्ष

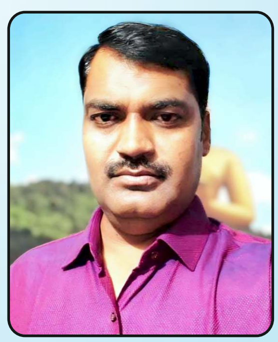

इं० संदीप मौर्या
केन्द्रीय उपाध्यक्ष (मुख्यालय)

केन्द्रीय पदाधिकारी : वर्ष-2026

इं० यू. सी. वर्मा
के. निर्वाचन अधिकारी

इं० प्रदीप कुमार
केन्द्रीय प्रचार सचिव

इं० संजय यादव
केन्द्रीय वित्त सचिव

इं० दीपक कुमार शर्मा
केन्द्रीय उप महासचिव
(मुख्यालय)

इं० अमित कु० प्रजापति
केन्द्रीय उप महासचिव
(सामान्य)

इं० दीपक गुप्ता
के. उप महासचिव
(पा.का.लि.)

इं० नित्यानंद सिंह
के. उप महासचिव
(उ.नि., ज.वि.नि.)

इं० अभय कु० सिंह
के. उप महासचिव
(केस्को)

इं० पंकज कुशवाहा
के. उप महासचिव
(ट्रांस्को)

इं० दिनेश कुमार
के. संगठन सचिव
(उ.नि.लि.)

इं० प्रवीण कुमार
के. संगठन सचिव
(केस्को)

इं० रमेश कुमार
के. संगठन सचिव
(ट्रांस्को)

इं० नीरज पटेल
के. संगठन सचिव
(पा.का.लि.)

इं० अनिल कुमार वर्मा
सचिव भवन

इं० अनिल कुमार सिंह
के. सह वित्त सचिव

इं० अरविन्द कुमार झा
के. लेखा निरीक्षक-1

केन्द्रीय पदाधिकारी : वर्ष-2026

इं० प्रदीप कुमार गुप्ता
के. लेखा निरीक्षक-2

इं० सुरेश चन्द्र सिंह
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० डी. के. चौधरी
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० एस. बी. सिंह
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० एस. एम. सिंह
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० आर. के. त्रिवेदी
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० अजय कुमार
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० जय प्रकाश
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० अनुराग सक्सेना
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० कप्तान सिंह
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० वरिन्दर कुमार शर्मा
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० इन्द्रमणि द्विवेदी
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० ज्ञानेन्द्र कुमार
विशेष आमंत्रित सदस्य

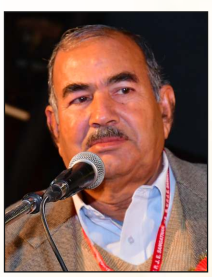
इं० एस. पी. सिंह
विशेष आमंत्रित सदस्य

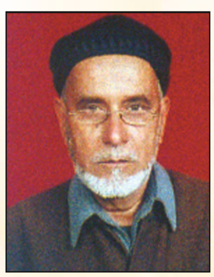
इं० एम. ए. आलम
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० डी. सी. शर्मा
विशेष आमंत्रित सदस्य

केन्द्रीय पदाधिकारी : वर्ष-2026

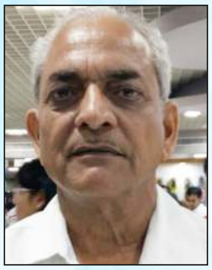

इं० वाई एन. सिंह
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० संजय शर्मा
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० राम जन्म यादव
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० इन्द्र पाल सिंह
विशेष आमंत्रित सदस्य

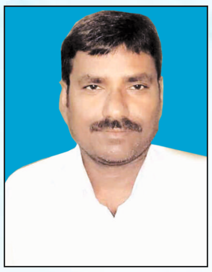

इं० दीन दयाल शर्मा
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० आर. एन. पाल
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० अवधेश मिश्रा
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० कैलाश सिंह यादव
विशेष आमंत्रित सदस्य

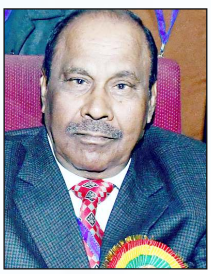

इं० एस. एन. बंसल
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० शिवपाल बिन्द
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० सी. पी. त्रिपाठी
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० राम इकबाल
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० अनिल कुमार पाठक
विशेष आमंत्रित सदस्य

इं० संदीप सिंह
विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री रमाशंकर
कार्यालय सहयोगी

श्री राम अवध
कार्यालय सहयोगी

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ.प्र.

केन्द्रीय पदाधिकारी

क्र.सं.	संगठन में पद	नाम पदाधिकारी	पत्राचार का पता	विभागीय पता	दूरभाष
1.	केन्द्रीय संरक्षक	इं. सुशील चन्द्र दीक्षित	4, ब्रह्मनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9415023468
2.	केन्द्रीय संरक्षक	इं. सतनाम सिंह	3-बी, आदर्श नगर, आलमबाग, लखनऊ	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9415901100
3.	केन्द्रीय अध्यक्ष	इं. गोपाल वल्लभ पटेल	आ.सं.–8, अधिकारी आवासीय कालोनी (उ.प्र.पा.का.लि.), प्राग नारायण रोड, लखनऊ	ईंधन इकाई (उ.नि.लि.), शक्ति भवन, लखनऊ	9415900262
4.	केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष	इं. सतवीर सिंह	गली नं. 4, पुष्पांजलि कालोनी, स्वर्ण जयन्ती नगर, अलीगढ़-202001	सहायक अभियन्ता (मीटर), अयोध्या	7017312199
5.	केन्द्रीय उपाध्यक्ष	इं. पंकज कुमार जायसवाल	ग्राम व पोस्ट कढ़हरा, हण्डिया, प्रयागराज–221503	अवर अभियन्ता वि.वि. मण्डल, वाराणसी	9129995710
6.	केन्द्रीय महासचिव	इं. बलवीर यादव	गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	सहायक अभियन्ता (वाणिज्य) मध्य क्षेत्र, लखनऊ	9451226682
7.	केन्द्रीय उप-महासचिव (सामान्य)	इं. अमित कुमार प्रजापति	ग्रा. व पो. मूसेपुर कला हसवर, अम्बेडकरनगर	अवर अभियन्ता 33/11 के.वी. उपकेन्द्र घाटमपुर, कानपुर	8795797399
8.	केन्द्रीय उप-महासचिव (उ.नि., ज.वि.नि.)	इं. नित्यानंद सिंह	बी.एम.डी. 1 बी.टी.पी.एस. 2x210 मेगावाट ओबरा परियोजना	बी.एम.डी. 1 बी.टी.पी.एस. 2x210 मेगावाट, ओबरा परियोजना, सोनभद्र	9415609891
9.	केन्द्रीय उपमहासचिव (पावर कारपोरेशन)	इं. दीपक गुप्ता	ग्रा. बिहरा बुजुर्ग पोस्ट गजेन्द्र पट्टी भेदौरा जिला-आजमगढ़-223223	अवर अभियन्ता, 33/11 के.वी विद्युत उपकेन्द्र, संकुल धारा, वाराणसी	8924099044
10.	केन्द्रीय उप-महासचिव (केस्को)	इं. अभय कुमार सिंह	गैलेक्सी हाइट अपार्टमेन्ट फेस-4, वृन्दावन योजना, लखनऊ–216014	सहायक अभियन्ता (परीक्षण), परेड विद्युत उपकेन्द्र, कानपुर	9453840355

क्र.सं.	संगठन में पद	नाम पदाधिकारी	पत्राचार का पता	विभागीय पता	दूरभाष
11.	केन्द्रीय उपमहासचिव (ट्रांस्को)	इं. पंकज कुमार कुशवाहा	पी.आर.-87, नेहरू इन्कलेव विश्वास खण्ड-3, गोमती नगर, लखनऊ	220 के.वी. कुर्सी रोड, विद्युत उपकेन्द्र, लखनऊ	7004078778
12.	केन्द्रीय संगठन सचिव (पावर कारपो.)	इं. नीरज पटेल	33/11 के.वी. सब-स्टेशन नईपालापुर, सीतापुर	33/11 के.वी. सब-स्टेशन, नईपालापुर, सीतापुर	9415663139
13.	केन्द्रीय संगठन सचिव (उत्पादन निगम)	इं. दिनेश कुमार	टी-3/बी-804, कासिमपुर, नई कालोनी, अलीगढ़	अवर अभियन्ता वि.अनु. खण्ड-II, सी.टी.पी.एस., हरदुआगंज	9412753346
14.	केन्द्रीय संगठन सचिव (केस्को)	इं. प्रवीण कुमार	टी-3, 5-ए, रूद्र ग्रीन अपार्टमेन्ट, कल्यानपुर, कानपुर-208017	टी-3, 5-ए, रूद्र ग्रीन अपार्टमेन्ट, कल्यानपुर, कानपुर-208017	9151895804
15.	केन्द्रीय संगठन सचिव (ट्रान्स्को)	इं. रमेश कुमार	म.नं.-962, मानस नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ	सहायक अभियन्ता, 132 के.वी. उपकेन्द्र, गोमतीनगर, लखनऊ	9450909480
16.	केन्द्रीय प्रचार सचिव	इं. प्रदीप कुमार	3/14, प्रागनरायन स्टाफ कालोनी (यू.पी.पी.सी.एल.), लखनऊ	अवर अभियन्ता ई.एम.टी.डी., पारेषण भवन, लखनऊ	7380443940
17.	केन्द्रीय वित्त सचिव	इं. संजय यादव	33x11 के.वी.वि. उपकेन्द्र जानकीपुरम्, सेक्टर-आई, जानकीपुरम्, लखनऊ	614/पी-19, के.एच.-153, 155, रहीमनगर, डूडीली, लखनऊ	7905286589
18.	केन्द्रीय लेखा निरीक्षक-1	इं. अरविन्द कुमार झा	वि-68, नेहरू इन्कलेव, गोमती नगर, लखनऊ	उपखण्ड अधिकारी, माध्यमिक कार्यखण्ड-झांसी	9335316101
19.	केन्द्रीय लेखा निरीक्षक-2	इं. प्रदीप कुमार गुप्ता	केसी-81, कविनगर, गाजियाबाद	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9873057646
20.	सचिव भवन	इं. अनिल कुमार वर्मा	497, औरंगाबाद जागीर, बिजनौर रोड, लखनऊ	सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता बरेली	9161224832

मनोनीत पदाधिकारी (मुख्यालय)

1.	केन्द्रीय उपाध्यक्ष (मुख्यालय)	इं. संदीप मौर्या	52, अवधपुरी खण्ड-2, खरगापुर, लखनऊ	उपखण्ड अधिकारी वि.वि. उपकेन्द्र, लालबाग, लखनऊ	9451846919
2.	केन्द्रीय उप-महासचिव (मुख्यालय)	इं. दीपक कुमार शर्मा	के.एच./7/117, खरगापुर, लखनऊ	अनु. इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ	8924879080

क्र.सं.	संगठन में पद	नाम पदाधिकारी	पत्राचार का पता	विभागीय पता	दूरभाष
3.	केन्द्रीय संगठन सचिव (मुख्या.)	इं.सुनील कुमार मिश्रा	वि. परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, पारेषण भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ	विद्युत परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, पारेषण भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ	9415608211
4.	केन्द्रीय सह-प्रचार सचिव (मुख्यालय)	इं. पंकज यादव	कृष्णा विहार, सेक्टर-14, लखनऊ	अवर अभियन्ता, 11 के.वी.एल.टी. लाइन, पुरनिया, अलीगंज, लखनऊ	9621346274
5.	केन्द्रीय सह-वित्त सचिव (मुख्यालय)	इं. अनिल कुमार सिंह	4/45, इन्द्रलोक हाइडिल कालोनी, कृष्णा नगर, लखनऊ	सहायक अभियन्ता (डिजाइन), जल विद्युत, शक्ति भवन, लखनऊ	7408429606

पदेन सदस्य

1.	केन्द्रीय निर्वाचन अधिकारी	इं. यू. सी. वर्मा	60/64, लक्ष्मण विहार जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9412749403
2.	विशेष आमंत्रित सदस्य (निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष)	इं. अजय कुमार	एम-19, कृष्णा नगर, लखनऊ	अधिशासी अभियन्ता सी.एम.यू.डी., शक्ति भवन, लखनऊ	9044678853

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य

1.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. सुरेश चन्द्र सिंह	बी-45, सेवा सदन, अलीशा नगर, जानकीपुरम् सेक्टर-आई, लखनऊ	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9792881144
2.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. एस. बी. सिंह	ग्राम-मामपुर (शोभीपुर), डाकघर बुधापुर (लम्भुआपुर), जिला-सुल्तानपुर-222302	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9415608422
3.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. सतीश चन्द्र श्रीवास्तव	126/48 ब्लाक आई, गोबिन्दनगर, कानपुर	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9935268494
4.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. जे. के. ओझा	पुरदीलपुर, निकट महात्मा गांधी विद्यालय, गोरखपुर	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	0551-2337541
5.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. डी. के. चौधरी	131, साकेत कालोनी, मेरठ	सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता	9897193748
6.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. एस. एम. सिंह	पी-2, 92 जलवायु विहार, सेक्टर-21, नोएडा-201301	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	8130599683
7.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. आर. के. त्रिवेदी	650 सी.आई.सी. कैम्पस, सिविल लाइन, झांसी	सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता	9415030677

क्र.सं.	संगठन में पद	नाम पदाधिकारी	पत्राचार का पता	विभागीय पता	दूरभाष
8.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. कप्तान सिंह	62, मानस नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ	सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता	9984040271
9.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. जय प्रकाश	पी.डी. नगर, सदर, उन्नाव	उपखण्ड अधिकारी, कुन्दन नगर, उन्नाव	7307876127
10.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. वरिन्दर कुमार शर्मा	भूतनाथ हाइडिल कालोनी, लखनऊ	सहायक अभियन्ता, ता.परि.ई., उ.नि.लि., शक्ति भवन, लखनऊ	9415900551
11.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. शिव नारायन पटेल	सी-11, शंकरपुरी कमता चिनहट, लखनऊ	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	8418051025
12.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. इन्द्रमणि द्विवेदी	67 तिलकनगर, अल्लापुर प्रयागराज	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9956906241
13.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. ज्ञानेन्द्र कुमार	एम.आई.जी.-10, टाईप-II डबल स्टोरी गोविन्दपुर हाउसिंग स्कीम, प्रयागराज	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9415114030
14.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. वाई.एन. सिंह	5/51, विकास नगर, लखनऊ	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9415408997
15.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. एस. एन. बंसल	ए-90, श्री राम पैलेस, दिल्ली रोड, मेरठ	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9837034560
16.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. बी. पी. गुप्ता	जे-202, के.डी.पी. ग्राण्ड, सवाना राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9837157022
17.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. शिव लखन राम गुप्ता	से-16/12 टी.-58 तुलसी नगर कालोनी, पो. तपोवन आश्रम, वाराणसी	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9415256021
18.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. इन्द्रपाल सिंह	नन्दिनी कुंज, भरेठवा, पोखरा, चिराममपारा भूलनपुर, वाराणसी	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	8953207019
19.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. डी. सी. शर्मा	204/सेक्टर-9, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा आगरा	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9412256927
20.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. एस. पी. सिंह	23-एच, वनस्थली अपार्टमेन्ट, सेक्टर-1, गोमतीनगर, लखनऊ	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9415607892
21.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. सी. पी. त्रिपाठी	5/446, विराम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	8004546000

क्र.सं.	संगठन में पद	नाम पदाधिकारी	पत्राचार का पता	विभागीय पता	दूरभाष
22.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. संजय शर्मा	प्रियंका अपार्टमेंट, जापलिंग रोड, लखनऊ	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ	9415901395
23.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. अवधेश मिश्रा	गोकुल विहार कालोनी, भिखारीपुर, वाराणसी	सेवानिवृत्त अधिशाषी अभियन्ता	9628688778
24.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. राम जनम यादव	ग्राम-भांवरेंपुर, पोस्ट-खुरहट, जिला-मऊ	सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता	9415900319
25.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. ए. के. वर्मा	कंचना विहार कालोनी मार्ग, जानकीपुरम्, लखनऊ	सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता	9415900271
26.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. हरिशंकर चौधरी	टावर ध्रुव बी-1904, पार्थ आद्यान्त, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9415901942
27.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. पवन कुमार	एच-1098, सत्यम् विहार, आवास विकास कालोनी, योजना-1, कल्याणपुर, कानपुर—208 017	सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता	9415900083
28.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. एम. ए. आलम	432/77, यासीनगंज, पोस्ट चौक, लखनऊ	सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता	8009888302
29.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. ए. के. सिंह	प्लाट नं. 58, शिवनीपुरम्, निकट 400 के.वी. उपकेन्द्र, सरोजनी नगर, लखनऊ	सेवानिवृत्त, उपनिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ	8004921079
30.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. आर. ए. सिंघल	बी-139, रामप्रस्थ कालोनी, गाजियाबाद-201011	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9871991845
31.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. दीन दयाल शर्मा	बी.एल. 151 (के.एन. 39) नियर व्यायामशाला, विष्णुलोक कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ	अधिशासी अभियन्ता, वि.वि.खण्ड, जनपद-कौशाम्बी	9161919190
32.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. के. एल. यादव	798, अशोक नगर कालोनी, हुमायूँपुर उत्तरी, गोरखपुर	सहा. अभि. (मीटर), वि.प.प्र.शाला मेहदावल, संत कबीर नगर	9005220502
33.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. शिवलाल बिन्द	492, आवास विकास कालोनी (शुक्ला), मिर्जापुर-231001	सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता	9415900800
34.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. अनुराग सक्सेना	म.नं.-15, हाइडिल आफिसर्स कालोनी, प्राग नारायण रोड, लखनऊ	अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण इकाई, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	9415900574

क्र.सं.	संगठन में पद	नाम पदाधिकारी	पत्राचार का पता	विभागीय पता	दूरभाष
35.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. आर. एन. पाल	B-4-ए, हरिहर नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	9415114087
36.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. पुनीत निगम	म.नं.-81, के. रामजानकी नगर, पो.-बशारतपुर, गोरखपुर-273004	अधिशासी अभियन्ता विद्युत	7355530470
37.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. रत्नेश सेठ	आ.सं.-33, विद्युत नगर कालोनी, भिखारीपुर, बी.एल.डब्ल्यू, वाराणसी-221004	सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र	9453047359
38.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. ललतेश यादव	म.नं.-72, नियर आई.आई. एम. कालोनी, निकट पंचशील कालोनी, क्वारसी रामघाट रोड, अलीगढ़-01	उपखण्ड अधिकारी राजनगर, गाजियाबाद	9528605589
39.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. रत्नदीप मौर्या	45, चन्द्रलोक आफिसर्स कालोनी, अलीगंज, लखनऊ	जल विद्युत निगम, शक्ति भवन, लखनऊ	7408429599
40.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. आशुतोष द्विवेदी	205, ट्रांजित हॉस्टल, जवाहरपुर तापीय परियोजना, एटा	जानपद निर्माण खण्ड तृतीय, 2x660 मेगावाट, जवाहरपुर तापीय परियोजना, एटा	9140555135
41.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. निखिल शेखर सिंह	ई-24-ई-ब्लाक वी.डी.ए. चांदमारी, वाराणसी बदलालपुर मुजियम के पास-221007	उपखण्ड अधिकारी	6392656724
42.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. अभय प्रताप सिंह	टाइप-14/46, ए.टी.पी.एस. कालोनी, अनपरा	ए.ई., सी.एच.डी.-I, बी.टी.पी.एस., अनपरा	8004921442
43.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. शैलेन्द्र कुमार	फ्लैट नं. 12 यू.पी.पी. सी.एल. अधिकारी आवास-3 प्रागनारायण रोड, लखनऊ	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, रामपुर	9839096206
44.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. पी. के. सिंह	बी.बी.डी. ग्रीन सिटी, अयोध्या रोड, लखनऊ	उपखण्ड अधिकारी, वि.वि. खण्ड, शहजहाँपुर	9453845152
45.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. कैलाश सिंह यादव	फ्लैट नं. जे.-1102, ग्रीनवुड अपार्टमेन्ट, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ	उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, तिलहर, शहजहाँपुर	9125591111, 9455279999
46.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. विनेश मलिक	के-38, डेल्टा-II, ग्रेटर नोएडा	उपखण्ड अधिकारी, ई.डी.एस.डी.-1, के.आर.सी. चोपला, बी.बी. नगर रोड, हापुड़	7906245621

क्र.सं.	संगठन में पद	नाम पदाधिकारी	पत्राचार का पता	विभागीय पता	दूरभाष
47.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. अशोक कुमार साहू	टाइप तृतीय 181, अनपरा कालोनी अनपरा, सोनभद्र	ई.एम.डी. तृतीय 'ब' ताप अनपरा, सोनभद्र	9412753389 7017444957
48.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. अनिल कुमार पाठक	33, राजीव नगर, पानी गांव के पास, लखनऊ–226016	सहायक अभियन्ता, तापीय परिचालन इकाई उ.नि.लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	9415900352 9161612939
49.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. शमून अहमद	टाइप-4/41, हरदुआगंज तापीय परियो. कालोनी, हरदुआगंज, अलीगढ़	सहायक अभियन्ता, राख संचालन खंड, सीटीपीएस हरदुआगंज तापीय परियोजना, हरदुआगंज, अलीगढ़	9415609931
50.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. संजय यादव	सर्वोदय नगर, बिछिया, गोरखपुर	विद्युत परीक्षण खण्ड, कुशीनगर	8052221243
51.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. संदीप सिंह	एल-81-से.-जी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ	सहायक अभियन्ता	9793820367
52.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. अभिषेक कुमार मौर्य	प्लाट नं.-56, अयोध्या धाम कालोनी, शिवपुरी, वाराणसी	विद्युत वितरण खण्ड, सलेमपुर	9756181300
53.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. अमर बहादुर यादव	10ए/91, आवास विकास कालोनी, झूंसी, प्रयागराज	उपखण्ड अधिकारी, शान्तीपुरम्, प्रयागराज	9140374918
54.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. आशीष कुमार सिंह	टाइप-4/108 टेनिस कोर्ट कासिमपुर पावर हाउस, अलीगढ़	ए.ई. आपरेशन स तापगृह, हरदुआगंज तापीय परि., अलीगढ़	8004922173
55.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. पुष्कर उपाध्याय	33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र, भदैनी, वाराणसी	अवर अभियन्ता, 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र भदैनी, वाराणसी	9936634884
56.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. सिद्दीक अहमद	S/o मो. लतीफ तुर्कियाना, पोस्ट चरखारी जनपद-महोबा-210421	सहायक अभियन्ता, मीटर विद्युत परीक्षण खण्ड, झांसी	9453840337
57.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. प्रवीण शाक्या	S/o श्री हनुमन्त सिंह ग्राम-गुडियाई, पोस्ट-गंजडुण्डवारा, कासगंज-207242	उपखण्ड अधिकारी, ई.डी.एस.डी.-III मलवा, फतेहपुर	9720355578 9450963695
58.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. राम इकबाल	प्रथम तल 3/10, विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	उपखण्ड अधिकारी, वि.वि.उ., गाजियाबाद	9369241112

क्र.सं.	संगठन में पद	नाम पदाधिकारी	पत्राचार का पता	विभागीय पता	दूरभाष
59.	विशेष आमंत्रित सदस्य	इं. सियाराम	सनातन नगर कालोनी, औढ़े बच्छांव, वाराणसी	विद्युत वितरण उपखण्ड भोपौली, सकलडीहा, चन्दौली	9935059255

केन्द्रीय संचालन समिति के मनोनीत सदस्य

1.	मनोनीत सदस्य	इं. ए. के. शर्मा	ए-13, लक्ष्मणपुरम् कालोनी देहरादून रोड, सहारनपुर	सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता	7017602662 7300801608
2.	मनोनीत सदस्य	इं. अहमद ताहिर	14/303, वृन्दावन योजना, लखनऊ–226029	सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता	9415900061
3.	मनोनीत सदस्य	इं. बी. डी. यादव	हाइडिल कालोनी, गायत्रीपुरम्, गोण्डा	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, अमरोहा	9415215009
4.	मनोनीत सदस्य	इं. राकेश कुमार सिंह	टाइप-4/79, कासिमपुर पावर हाउस कालोनी, कासिमपुर, अलीगढ़	तापीय परियोजना, हरदुआगंज, अलीगढ़	9415900407
5.	मनोनीत सदस्य	इं. डी. के. अग्रवाल	कार्या. अधि. अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, आजमगढ़	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, आजमगढ़	9839330034

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

महाशक्ति फूड्स प्रा.लि.

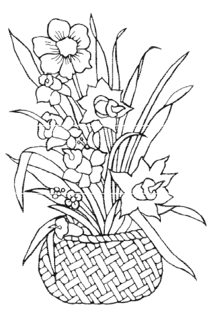

F.L.-7 से 13, गीडा, गोरखपुर

अखबार का कोना ▪

| संबोधन | जेई संगठन के वार्षिक महाधिवेशन में कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने कहा-मिलकर काम करेंगे तो घाटा खत्म होगा

पावर कॉरपोरेशन पर 55 हजार करोड़ रुपये का कर्ज

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डा. आशीष गोयल ने कहा कि कॉरपोरेशन वर्तमान में लगभग 55 हजार करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। कोई भी सरकार इतने बड़े घाटे को लंबे समय तक वहन नहीं कर सकती। इसलिए, विभाग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी कर्मचारियों को मिलकर घाटा कम करने के प्रयास करने होंगे। चेयरमैन शनिवार को चारबाग स्थित रविन्द्रालय प्रेक्षागृह में ...

रवीन्द्रालय में जेई संगठन के महाधिवेशन में कारपोरेशन के चेयरमैन भी शामिल हुए।

अवर अभियंता संवर्ग प्रताड़ित : महासचिव

संगठन के केंद्रीय महासचिव बलवीर यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रबंधन जानबूझकर अवर अभियंता संवर्ग को प्रताड़ित करने वाले निर्णय ले रहा है। उन्होंने नियम विरुद्ध आदेशों को वापस लेने और 4800 ग्रेड-पे की विसंगति को समाप्त करने की पुरजोर मांग की। आरके त्रिवेदी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड की तर्ज पर 4800 ग्रेड-पे समाप्त किया जाए। वहीं सतनाम सिंह ने स्पष्ट किया कि अभियंता हमेशा प्रबंधन के साथ रहे हैं, अतः उनके विरुद्ध हो रही उत्पीड़ात्मक कार्रवाई तुरंत रुकनी चाहिए। अजय कुमार ने कहा कि निलंबन के बहाली के बाद निचले स्तर के अधिकारी ... खिलाफ बदले की ...

बिजली की जांच बॉडी वार्न कैमरे के बिना नहीं होगी

लखनऊ। लखनऊ में बिजली चोरी रोकने के लिए की जाने वाली चेकिंग प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब बॉडी वार्न कैमरे का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। निदेशक वाणिज्य द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि कैमरा खराब है या उपलब्ध नहीं है, तो चेकिंग की कार्रवाई रोकनी होगी।

विभाग ने इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। विजिलेंस टीम के उप-निरीक्षक और विभागीय टीम के जेई या ... ता के घर ... तक की ... रिपोर्ट लेने ... ए वीडियो ... नोड किया ... अभियान ... से सबसे ...

बिजली परिसंपत्तियां बेचने की तैयारी

| आरोप |

- कर्मचारियों का विरोध 397वें दिन जारी
- एक जनवरी को विरोध दिवस आयोजित होगा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि एक लाख करोड़ की बिजली परिसंपत्तियां कौड़ियों में देने की तैयारी है। संघर्ष समिति 1 जनवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगा। ...

लगातार 397वें दिन भी जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि ...

विद्युत वितरण निगमों में बिजनेस प्लान के तहत 16.43 अरब रुपये खर्च कर... के बाद इन निगमों को निजी घरानों क... कौड़ियों के मोल बेचना कदापि स्वीका... नहीं है।

पावर कॉरपोरेशन द्वारा निजीकरण ... लिए तैयार किए गए आरएफपी डॉक्यू... के तहत इन विद्युत वितरण निगमों ...

विद्युत संशोधन बिल के आते ही काम बंद कर देंगे बिजलीकर्मी

- नेशनल को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज ने किया ऐलान

लखनऊ, विशेष संवाददाता। संसद के बजट सत्र में विद्युत संशोधन बिल आते ही बिजली कर्मचारी काम बंद कर देंगे। नेशनल को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने इसकी घोषणा की है। कमेटी ने यूपी सरकार से निजीकरण के ... विरोध में ... गई ... ही है। ... जक ... की ... गा है

कि केंद्र ... रखती है ... जाएगा। बिजलीक... उसी दिन ... से बाहर ... केंद्रीय ट्रेड ... रही राष्ट्र... बिजली क...

स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की जांच की मांग

लखनऊ। उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। 22 दिसंब... प्रदेश में कुल ...

... बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार सभी प्रीपेड मीटरों का साइट एक्सेप्टें... किया जाना अनिवार्य है। लेकिन ... केवल 34 लाख 32 हजार 80... मीटरों का ही साइट एक...

ऊर्जा मंत्री को सौंपा 12 की हड़ताल का नोटिस

लखनऊ। बिजली कर्मचारियों ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का नोटिस सौंप दिया है। कर्मचारियों ने विद्युत संशोधन बिल संसद में न लाने और पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि देशभर ... कर्मचारी इसमें शामिल होंगे।

संविदाकर्मियों ने रैली निकाली

लखनऊ। बिजली संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यूपी पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ ने शनिवार को एवरेडी तिराहे से तालकटोरा स्थित लेसा कार्यालय तक रैली निकाली। नाराज कर्मचारियों ने ऊर्जा प्रबंधन पर किए गए वादों से ... का आरोप लगाया। संगठन के ... महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय ने ... 26 नवंबर को शक्ति भवन ... वार्ता के दौरान प्रबंधन ने ... न दिया था कि किसी भी ... की छंटनी नहीं की जाएगी ... 2023 में निकाले गए कर्मियों ...

यूपी भी वापस ले निजीकरण का फैसला

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने यूपी से निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि पुडुचेरी ने टेंडर निरस्त कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बिजली का निजीकरण न किए जाने की घोषणा की है। पुडुचेरी ने साढ़े तीन साल पहले निजीकरण की टेंडर नोटिस प्रकाशित की थी। बिजली कर्मियों के विरोध के बाद सरकार ने इसके पहलुओं पर ...

जेइ व प्रोन्नत अभियंताओं को तकनीकी विषयों पर दिया गया प्रशिक्षण

लखनऊ। प्रदेश के जनपदों और विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं पर मंगलवार को राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन द्वारा तकनीकी दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग के जानकार व अनुभवी अधिकारियों-विशेषज्ञों द्वारा संगठन के सदस्यों को विभिन्न तकनीकी विषयों ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, विद्युत सुरक्षा, ईआरपी प्रणाली पर कार्य, ओटीएस को प्रभावी रूप से सफल बनाए जाने की रणनीति सहित अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गयी। केंद्रीय अध्यक्ष जीवी पटेल ने कहा कि कि कार्यस्थलों पर उच्च अधिकारियों एवं कार्मिकों के मध्य संवाद एवं समन्वय की भारी कमी है, जिसे शीघ्र दूर किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेवजह की दंडात्मक एवं उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां कार्मिकों को हतोत्साहित करती हैं, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के केंद्रीय संरक्षक इं. सतनाम सिंह ने कहा कि जूनियर इंजीनियर

हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करते हुए बेहतर, सुरक्षित एवं दक्ष ढंग से कार्य करने के लिए कृत संकल्पित हैं, बशर्ते उन्हें पर्याप्त सुरक्षा संसाधन एवं आव[श्यक] उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। [इसके] अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय महासचि[व] बलबीर यादव ने कहा कि जू[नियर] इंजीनियरों एवं प्रोन्नत अभियंताओं [के] विरुद्ध की जा रही उत्पीड़नात्[मक] कार्रवाइयों से सदस्यों में निराशा [व] आक्रोश व्याप्त है, जो निगम हित में नहीं [है।] इसे तत्काल दूर किया जाना आवश्यक [है।] कार्यक्रम में मुख्य रूप से इं.ए.के.सिंह, [इं.] संतोष कुमार विश्वकर्मा, इं. चंद्रशेखर, इं. पी.एस.तिवारी व इं. संदीप मौर्य सहि[त] अन्य कई पदाधिकारियों व सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये।

सभी जनपदों एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर तकनीकी दिवस का आयोजन

- जूनियर इंजीनियर एवं प्रोन्नत अभियंताओं को तकनीकी विषयों पर दिया गया प्रशिक्षण
- ओटीएस को सफल बनाए जाने की रणनीति पर हुई व्यापक चर्चा

लखनऊ (स्पष्ट आवाज)। लखनऊ। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष इं. गोपाल वल्लभ पटेल ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के सभी जनपदों एवं विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं पर संगठन द्वारा तकनीकी दिवस का सफ लतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाग के जानकार एवं अनुभवी अधिकारियों विशेषज्ञों द्वारा संगठन के सदस्यों को विभिन्न तकनीकी विषयों ...

विस्तार से एवं प्रभावी ढंग से व्याख्यान दिए गए। नॉलेज शेयरिंग के माध्यम से सदस्यों द्वारा नवीन तकनीकों के प्रयोग से दक्षतापूर्वक कार्य करने के अपने अनुभव भी साझा किए गए। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों द्वारा प्रदेश भर में संसाधनों की कमी सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता तथा मैनपॉवर की कमी ...

भारी कमी है जिसे शीघ्र दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेवजह की दंडात्मक एवं उत्पीडनात्मक कार्रवाइयां कार्मिकों को हतोत्साहित करती हैं जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होती हैए अतः इस पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। केंद्रीय अध्यक्ष ने ...

किया गया है। लखनऊ स्थित संगठन भवन में आयोजित तकनीकी दिवस कार्यक्रम में लेसा सहित अन्य वितरण एवं उत्पादन इकाइयों में कार्यरत संगठन के सदस्यों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के केंद्रीय संरक्षक इं. सतनाम सिंह ने कहा कि जूनियर इंजीनियर हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करते हुए बेहतर सुरक्षित एवं दक्ष ढंग से कार्य करने के लिए कृतसंकल्पित हैं बशर्ते उन्हें पर्याप्त सुरक्षा संसाधन एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि फील्ड में कार्यरत कर्मियों की समस्याओं को विभाग द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही वर्ष 2023 के आंदोलन के पश्चात की जा रही उत्पीड़नात्मक ...

तकनीकी के साथ सम्मान का ध्यान रखा जाए : पटेल

- प्रदेशभर में तकनीकी दिवस का आयोजन
- जूनियर इंजीनियर्स ने उत्पीड़न समाप्त करने को ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र

संदेश वाहक न्यूज

लखनऊ। राज्य विद्युत परिषद जनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर [प्रदेश के के]ंद्रीय अध्यक्ष इं गोपाल ... ने बताया कि प्रदेश के [जन]पदों एवं विद्युत उत्पादन [परियोजना]ओं पर संगठन द्वारा ... सफल आयोजन ...

इंजीनियरों एवं प्रोन्नत अभियंताओं को ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, विद्युत सुरक्षा, ईआरपी प्रणाली पर कार्य, ओटीएस को प्रभावी ढंग से सफल बनाए जाने की रणनीति सहित विभिन्न तकनीकी विषयों पर विस्तृत व्याख्यान दिए गए। नॉलेज शेयरिंग सत्रों के माध्यम से सदस्यों ने अपने कार्यानुभव भी साझा किए। कार्यक्रम ... में संसाधनों की ...

कार्यस्थलों पर संवाद एवं समन्वय के अभाव जैसे गंभीर मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बेवजह की दंडात्मक एवं उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां कार्मिकों के मनोबल को प्रभावित करती हैं, जिससे कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि संगठन की सभी शाखाओं द्वारा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को पत्र प्रेषित कर दिन... 19 मार्च 2023 की त्रिपक्षीय वार्ता ... बनी सहमतियों के अनुरूप सभी प्र... की उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों ... अविलंब समाप्त किए जाने का अ... किया गया है। संगठन भव[न में] आयोजित कार्यक्रम में लेसा ... एवं उत्पादन इकाइ...

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की मासिक बैठक हुई आयोजित

नेशनल एक्सप्रेस ब्यूरो।

फिरोजाबाद । मंगलवार को राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन फिरोजाबाद की मासिक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी शहर और ग्रामीण के ...

और भविष्य में इसे सही प्रकार से लागू कर सफल निर्णय लेने का प्रयास किया गया उपरोक्त के क्रम में सभी द्वारा अपने- अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को रखा गया और उनके समाधान हेतु विस्तृत रूप से चर्चा की ...

जेई संगठन ने आयोजित किया तकनीकी प्रशिक्षण कायक्रम

गाजीपुर (डीएनएन)। जेई संगठन की ओर से अंधऊ स्थित संगठन भवन में एक दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जूनियर इंजीनियरों एवं विभागीय कर्मचारियों को नवीन तकनीकी जानकारियों से अवगत कराते हुए कार्यकुशलता में वृद्धि ... मुख्य अतिथि के रूप ... उपखंड अधिकारी ... यादव उपस्थित रहे ...

- ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली पर हुआ मंथन

निराकरण पर विस्तृत ...

विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर की बैठक में समस्याओं पर मंथन

सांती में मंगलवार को हुई राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर की बैठक में उपस्थित जूनियर इंजीनियर • जागरण

संस, जागरण • टूंडला: राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की बैठक मंगलवार को सांती में हुई। बैठक में समस्याओं के निदान को लेकर मंथन किया गया।

इस बैठक में सभी जूनियर इंजीनियरों ने पावर परिवर्तक, वितरण परिवर्तक, 11 केवी, 33 केवी लाइन कार्य तथा मेजरमेंट बुक बिजनेस प्लान के अंतर्गत किए कार्यों की जांच रिपोर्ट और उनके निराकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की। सभी के द्वारा भविष्य में इसे सही प्रकार से लागू करने को प्रयास करने का फैसला लिया गया। इंजीनियरों ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को रखा और उनके समाधान के लिए आपस में चर्चा की। बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र पाठक, सचिव विशाल कुमार, रंजीत सिंह, बबलू गौतम, डोरीलाल, मुन्नाबाबू, राहुल कुमार, राहुल अग्रवाल, देवेंद्र कुमार, गणेश चंद, कयामुद्दीन, यतेंद्र सिंह, हरीश सोनी, अनिल कुमार, बलराम गुप्ता, आशुतोष शुक्ला आदि उपस्थिति रहे।

तकनीकि दिवस बैठक में विद्युत अवर अभियंताओं ने समस्याओं पर की चर्चा

बाँदा ब्यूरो। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की केंद्रीय कमेटी लखनऊ के आह्वान पर जनपद शाखा मे आयोजित समारोह मे तकनीकि दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमे विभिन्न मुद्दो पर विस्तार से चर्चा की गई। जनपद शाखा मे आयोजित तकनीकि दिवस कार्यक्रम मे पर्यवेक्षक ... सिद्दीक अहमद की उपस्थिति मे विद्युत विभाग मे प्रत्येक दिवस हो रही विद्युत दुर्घटनाओ, परिवर्तक, क्षतिग्रस्तता, आ रही जटिल समस्याओ के संबंध ... अवर अभियंताओ व प्रोन्नत अभियंताओ द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा की ... पावर एवं संसाधनो के अभाव की बात सभी ... विद्युत आपू...

उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के विरुद्ध जूनियर इंजीनियर्स हुए एकजुट

तकनीकी दक्षता के साथ सम्मान की मांग, उत्पीड़न समाप्त करने को ऊर्जा मंत्री के नाम पत्र

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन की ओर से मंगलवार को प्रदेश के समस्त जनपदों एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर तकनीकी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाग के अनुभवी अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जूनियर इंजीनियरों एवं प्रोन्नत अभियंताओं को ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, विद्युत सुरक्षा, ईआरपी प्रणाली पर कार्य, ओटीएस को प्रभावी ढंग से सफल बनाए जाने की रणनीति सहित विभिन्न तकनीकी विषयों पर विस्तृत संसाधनों की कमी, सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता, मैनपॉवर की कमी तथा कार्यस्थलों पर संवाद एवं समन्वय के अभाव जैसे गंभीर मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।

केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को पत्र प्रेषित कर त्रिपक्षीय वार्ता में बनी सहमतियों के अनुरूप सभी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को अविलंब समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। इंजीनियर सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बशर्ते उन्हें पर्याप्त सुरक्षा संसाधन एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने फील्ड में कार्यरत कर्मियों की समस्याओं के त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव इं. बलबीर यादव ने कहा कि संगठन सदैव सकारात्मक, रचनात्मक एवं जनहितकारी कार्यों में विश्वास रखता है, किंतु जूनियर इंजीनियर संवर्ग की लंबित मांगों एवं लगातार की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों से कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है, जो निगम हित में नहीं है। इसका शीघ्र

पावर प्लांट में जूनियर इंजीनियरों ने उठाईं मांगें

जवाहर तापीय परियोजना में मंगलवार को कार्यशाला में मौजूद राज्य विद्युत परिषद के जूनियर इंजीनियर्स • जागरण

बिजली आपूर्ति बेहतर, सुरक्षित व सुचारु बनाने की ली प्रतिज्ञा

तकनीकी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते इंजीनियर • सौ. संगठन

जासं. अलीगढ़ : विद्युत वितरण जूनियर इंजीनियर व तकनीशियन संगठन शाखा ने मंगलवार को तकनीकी दिवस मनाया। अवर पर्यवेक्षक डीवीवीएनएल यूनियन के सचिव डीके राजपूत ने मार्गदर्शन किया। मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल ने अपने अनुभव व विचार क्षतिग्रस्तता ... प्रशिक्षण व ... पर मंथन ... क्षेत्रीय अ...

उत्पीड़न समाप्त करने को ऊर्जा मंत्री को पत्र

लखनऊ (डीएनएन)। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, केंद्रीय अध्यक्ष इं. गोपाल वल्लभ पटेल ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के ... एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर संगठन द्वारा तकनीकी दिवस का सफल ... गया। इस अवसर पर विभाग के अनुभवी अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञ ... इंजीनियरों एवं प्रोन्नत अभियंताओं को ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, विद्युत ... कार्य, ओटीएस को प्रभावी ढंग से सफल ... विषयों पर विस्तृत ...

प्रदेशभर में तकनीकी दिवस का आयोजन, उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के विरुद्ध जूनियर इंजीनियर्स का संगठित स्वर

लखनऊ (जनसंदेश टाइम्स)। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उत्तर प्रदेश द्वारा आज प्रदेश के सभी जनपदों एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर तकनीकी दिवस का सफल आयोजन किया गया। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष इं० गोपाल वल्लभ पटेल ने बताया कि तकनीकी दिवस के अवसर पर अनुभवी अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, विद्युत सुरक्षा मानक, ईआरपी प्रणाली पर कार्य, ओटीएस को प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति ... महत्वपूर्ण विषयों पर ... कार्यक्षमता पर पड़ता है। लख... स्थित संगठन भवन में आयो... कार्यक्रम में लेसा सहित वि... वितरण एवं उत्पादन इकाइयों के ... ने भाग लिया। केंद्रीय संरक्ष... सतनाम सिंह ने कहा कि ... इंजीनियर हर चुनौती के लिए ... बशर्ते उन्हें पर्याप्त सुरक्षा संसा... आवश्यक उपकरण उपलब... जाएं। वहीं केंद्रीय महास... बलबीर यादव ने लंबित मां... समाधान पर बल देते हु...

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अपने पुत्र रंजीत को उसका चाल-चलन व आचरण ठीक न होने के ... सभी चल-अचल ...

लोढ़ी स्थित कलक्ट्रेट में मंगलवार को ऊर्जा मंत्री को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपते जूनियर इंजीनियर संगठन के लोग। • हिन्दुस्तान

शामली के खेड़ी करमू बिजली घर स्थित कार्यालय पर बैठक में मौजूद अवर अभियंता • सौ. स्वयं

उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति व गुणवत्ता सुधार पर जोर

जागरण संवाददाता, शामली: राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने तकनीकी ...

जूनियर इंजीनियरों ने मनाया तकनीकी ...

जूनियर इंजीनियरों ने सौंपा ज्ञापन

सोनभद्र। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश शाखा सोनभद्र की मासिक बैठक मंगलवार को हाइडिल कॉलोनी स्थित संगठन भवन में हुई। इस दौरान तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। केन्द्रीय समिति से नामित रत्नेश सेठ ने तकनीकी प्रशिक्षण दिया। अनैतिक दमनकारी कार्यवाहियों के विरोध में ऊर्जा मंत्री को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर ई. बाबूनन्दन, श्रवण सिंह, विनोद मौर्या, अमितमद त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

जूनियर इंजीनियर्स ने उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ उठाई आवाज

LUCKNOW (10 Feb): राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उप्र द्वारा मंगलवार को प्रदेश के सभी जनपदों एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर तकनीकी दिवस का आयोजन किया गया. केंद्रीय अध्यक्ष गोपाल वल्लभ पटेल ने बताया कि इस दौरान ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, विद्युत सुरक्षा, ईआरपी प्रणाली और ओटीएस को सफल ... जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने ... ने कहा कि अनावश्यक दंडात्मक व उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों से कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है. संगठन की सभी शाखाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजकर 19 मा... 2023 की त्रिपक्षीय वार्ता के अनुरूप उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां समाप्त करने की मांग की. कार्यक्रम में लेसा सहित विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे. इस मौके पर केंद्रीय महासचिव बलबीर यादव एके सिंह, संतोष ... संदीप ...

निगमादेश
(उ.प्र.पा.का.लि.)

अवर अभियन्ताओं (वै. एवं यां./जानपद) के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में

संख्या : 1542/प.वि.वि.नि.लि./मे./हा./ई-1/जन./पी.एफ. दिनांक : 13.12.2025

मुख्य अभियन्ता (वितरण), प.वि.वि.नि.लि.,
मेरठ-प्रथम, द्वितीय/गाजियाबाद-प्रथम, द्वितीय, तृतीय/बुलन्दशहर/ अति महत्वपूर्ण
मुरादाबाद/गजरौला/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/नोएडा/(जानपद), मेरठ।
अधीक्षण अभियन्ता, पविविनिलि, विद्युत कार्यशाला/निर्माण एवं कार्य मण्डल-प्र., द्वि., मेरठ।
अपर पुलिस अधीक्षक (प्रवर्तन दल), पविविनिलि, मेरठ।
अधिशासी अभियन्ता (डी.पी.), प.वि.वि.नि.लि., मेरठ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपर सचिव (02), उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि., लखनऊ के पत्र संख्या-1839-अ.प्र.-07/पा.का.लि./25-25-अ.प्र-07/25 दिनांक 30.12.2025 (छायाप्रति संलग्न), का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निम्नांकित सूची में वर्णित अवर अभियन्ता (वै. एवं यां.) के सम्बन्ध में निम्नवत् बिन्दुवार आख्या अतिशीघ्र ई-मेल : ds.07@uppcl.org पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है :–

(1) अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित/संस्थित/निलम्बन/रिकवरी, यदि कोई हो, में अनियमितता की अवधि एवं वसूली का विवरण का उल्लेख करते हुए प्रकरण के संक्षिप्त विवरण सहित आरोप-पत्र निर्गत होने की तिथि (आरोप-पत्र संख्या सहित)

(2) आपराधिक आरोप, यदि कोई हो, के आधार पर अभियोजन की कार्यवाही लम्बित होने की स्थिति में, अनियमितता की अवधि का उल्लेख करते हुए प्रकरण के संक्षिप्त विवरण सहित मा. न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि (आरोप-पत्र संख्या सहित) तथा

(3) निर्णीत अनुशासनिक कार्यवाही, यदि कोई हो, में प्रदत्त दण्ड/वृहद दण्ड।

(4) कार्यरत्ता (निलम्बन/दिवंगत/प्रतिनियुक्ति, यदि कोई हो) की स्थिति।

इस सम्बन्ध में अपर सचिव (02), उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि., लखनऊ के उक्त पत्र संख्या-1839 दिनांक 30.12.2025 की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त पत्र में अंकित तालिका में आपके क्षेत्र से सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वै. एवं यां./जानपद) की अपेक्षित सूचना (हस्ताक्षरित प्रति) सम्बन्धित साक्ष्यों सहित निम्न प्रारूप पर तत्काल आज ही इस कार्यालय की ई-मेल se.hydel@pvvnl.org पर प्रेषित करें, ताकि सूचना कारपोरेशन मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके :–

क्र. सं.	अवर अभि. का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	गृह जनपद/ वर्तमान तैनाती स्थान	वरिष्ठता क्रमांक (SAP ID)	अनुशासनिक जाँच लम्बित है अथवा नहीं	यदि अनुशासनिक जाँच प्रचलित है, तो आरोप-पत्र निर्गत है अथवा नहीं। (आरोप-पत्र निर्गत होने की तिथि)	रिकवरी यदि कोई हो तो, अनियमितता की अवधि एवं वसूली की विवरण का उल्लेख	निलम्बन/ट्रैप/ आपराधिक आरोप की स्थिति/मा. न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	डिस्कॉम स्तर पर प्रदत्त दण्ड एवं दण्डादेश (छायाप्रति सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

उपरोक्तानुसार वांछित सूचना प्रेषित किये जाने के उपरान्त यदि प्रेषित की गयी सूचना में कोई परिवर्तन अथवा उपरोक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण प्रारम्भ हुआ हो अथवा दण्ड प्रदान कर समाप्त कर दिया गया हो तो सम्बन्धित अभिलेख सहित अद्यतन परिवर्तित पूर्ण सूचना प्राथमिकता पर तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

विशाल वर्मा
अधिशासी अभियन्ता (हा.)

UNIFORM ESTIMATES निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में

संख्या : 87/रेस्पो/क्वालिटी सेल — दिनांक : 17.12.2025

निदेशक (तकनीकी),
विद्युत वितरण निगम लि.,
पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/
दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/
केस्को-कानपुर।

महोदय,

कृपया कारपोरेशन के पत्र सं.-228/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 30.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समस्त वितरण निगमों के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे प्राक्कलनों में समरूपता के दृष्टिगत कारपोरेशन स्तर से उपलब्ध कराये गये Uniform Estimates के आधार पर प्राक्कलन तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अवगत कराना है कि कारपोरेशन ज्ञाप सं.-241/सी.एम.यू.(डी)/एस.ई.-1/2024 दिनांक 25.10.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से Received Back Material हेतु नीति लागू कर दी गई है, जिसके क्रम में पावर एवं वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि से सम्बन्धित प्राक्कलनों को संशोधित कर लिया गया है एवं संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित हैं कि वितरण निगमों के अन्तर्गत तैयार किये जा रहे क्षमतावृद्धि से सम्बन्धित प्राक्कलनों को संलग्न Uniform Estimates के आधार पर ही तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय
ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी
निदेशक (वितरण)

Estimate for Increasing capacity of 11/0.4 KV Substation 25 KVA to 63 KVA by using old and used 63 kVA T/F

S.No.	Descriptions	Unit	Qty.	Rate (Inclusive GST)	Amount
1	11/0.4 KV T/F 63 KVA (old & used)	Nos.	1	0.00	0
2	LT PVC Cable 3.5x70/35 sq mm	Mtr.	8	270	2160
3	LT Fuse Set	Nos.	1	4000	4000
4	Earthing Complete	Nos.	1	664	664
5	Danger baord Barbed wire including jumper	Nos.	1	1702	1702
		Total (P)		**Rs.**	**8526**
				Cost of Material Excl GST (A)	7,225.42
				Cartage Charges on A @ 15% (B)	1,083.81
				GST on B @18% (C)	195.09
				Total (P+B+C=D)	9,804.90
				Contingency Charges on (D) @ 3% Rs. (E)	294.15
				T&P Charges on (D) @ 1.5% Rs. (F)	147.07
				Total (D+E+F=G)	**10,246.12**
				Say Rs.	10,246.00
1	**Received Back Material 25 KVA T/F**	**Nos.**	**1**	**1 no. 25 kVA DT shall be returned to Store**	
				Total G	**10,246.00**

Note: The above estimate has been prepared as an example for the Business Plan works and is only indicative in nature. The quantities of materials shown are illustrative and may vary depending on site conditions. The type and quantity of materials (earthing, fuse set, LT cable etc.) may change, and additional materials may also be required as per site requirements. The return of materials shall be proposed strictly in accordance with the process and standards specified in the estimate.

Estimate for Increasing capacity of 11/0.4 KV Substation 63 KVA to 100 KVA by using old and used 100 kVA T/F

S.No.	Descriptions	Unit	Qty.	Rate (Inclusive GST)	Amount
1	11/0.4 KV T/F 100 KVA (old & used)	Nos.	1	0.00	0
2	LT PVC Cable 3.5x150/70 sq mm	Mtr.	8	516.00	4128
3	LT Fuse Set	Nos.	1	4000	4000
4	Earthing Complete	Nos.	1	664	664
5	Danger baord Barbed wire including jumper	Nos.	1	1,702.00	1702
		Total (P)		**Rs.**	**10494**
				Cost of Material Excl GST (A)	8,893.22
				Cartage Charges on A @ 15% (B)	1,333.98
				GST on B @18% (C)	240.12
				Total (P+B+C=D)	12,068.10
				Contingency Charges on (D) @ 3% Rs. (E)	362.04
				T&P Charges on (D) @ 1.5% Rs. (F)	181.02
				Total (D+E+F=G)	**12,611.16**
				Say Rs.	**12,611.00**
1	**Received Back Material 63 KVA T/F**	**Nos.**	**1**	**1 no. 63 kVA DT shall be returned to Store**	
				Total G	**12,611.00**

Note: The above estimate has been prepared as an example for the Business Plan works and is only indicative in nature. The quantities of materials shown are illustrative and may vary depending on site conditions. The type and quantity of materials (earthing, fuse set, LT cable etc.) may change, and additional materials may also be required as per site requirements. The return of materials shall be proposed strictly in accordance with the process and standards specified in the estimate.

Estimate for Increasing capacity of 11/0.4 KV Substation 100 KVA to 250 KVA by using old & used 250 kVA T/F					
S.No.	**Descriptions**	**Unit**	**Qty.**	**Rate (Inclusive GST)**	**Amount**
1	11/0.4 KV T/F 250 KVA (old & used)	Nos.	1	0.00	0.00
2	PCC Pole 11 Mtr. Long	Nos.	2	7500	15,000.00
3	MS Channel (Dropper) 100x50x2028mm	Nos.	2	905	1,810.00
4	Stone pad 300x300x75mm	Nos.	2	168	336.00
5	Clamps for LT T-off with bolts & Nuts	Nos.	1	363	363.00
6	Holding clamps for top channel TPMO &	Nos.	12	325	3,900.00
7	MS Top channel (125x65x2240mm)	Nos.	1	1007	1,007.00
8	11 KV Disc Insulator T&C type 4500kg.	Nos.	3	121.50	364.50
9	11 KV Disc fitting	Nos.	3	119.63	358.89
10	MS Channel 125x65x1300mm (T-off)	Nos.	1	579	579.00
11	11 KV Pin insulator (Polymeric)	Nos.	3	157.21	471.63
12	11 KV TPMO	Nos.	1	8216.00	8,216.00
13	11 KV fuse Set	Nos.	1	2458.76	2,458.76
14	LT incoming panel with metering equipment & fixing arrangement (LS)	Nos.	1	20000	20,000.00
15	Copper L-piece 50x225x10mm (LS)	Nos.	4	1210	4,840.00
16	Copper L-piece 62x225x12 mm (LS)	Nos.	4	1320	5,280.00
17	LT PVC Cable Al 3.5x400 sq mm	Mtr.	15	1447	21,705.00
18	LT PVC Cable Al 1x400 sq mm	Mtr.	20	382	7,640.00
19	LT PVC Cable Al 1x240sq mm	Mtr.	50	235	11,750.00
20	Al Leg long barrel off size (LS)	Nos.	32	60	1,920.00
21	Henley Type Tailless Unit for 250 kVA	Nos.	1	56000	56,000.00
22	Danger baord Barbed wire including	Nos.	1	1702	1,702.00
23	Stay set Complete 16x1800	Nos.	2	522.99	1,045.98
24	Concreting of poles	Nos.	2	942	1,884.00
25	Earthing of pole by MS earthing rod of	Nos.	2	922	1,844.00
26	Red oxide paint	Lt.	2	192	384.00
27	Aluminium paint	Lt.	2	268	536.00
28	Plinth for size 2x2x1.5M	Nos.	1	18379	18,379.00
		Total (P)		**Rs.**	**1,89,774.76**
				Cost of Material Excl GST (A)	1,60,826.07
				Cartage Charges on A @ 15% (B)	24,123.91
				GST on B @18% (C)	4,342.30
				Total (P+B+C=D)	2,18,240.97
				Contingency Charges on (D) @ 3% Rs. (E)	6,547.23
				T&P Charges on (D) @ 1.5% Rs. (F)	3,273.61
				Total (D+E+F=G)	**2,28,061.82**
				Say Rs.	**2,28,061.00**
1	**Received Back Material 100 KVA T/F**	**Nos.**	**1**	**1 no. 100 kVA DT shall be returned to Store**	
				Total G	**2,28,061.00**

Note: The above estimate has been prepared as an example for the Business Plan works and is only indicative in nature. The quantities of materials shown are illustrative and may vary depending on site conditions. The type and quantity of materials (earthing, Tailless Units, LT cable etc.) may change, and additional materials may also be required as per site requirements. The return of materials shall be proposed strictly in accordance with the process and standards specified in the estimate

Estimate for Increasing capacity of 11/0.4 KV Substation 250 KVA to 400 KVA by using old & used 400 kVA T/F					
S.No.	**Descriptions**	**Unit**	**Qty.**	**Rate (Inclusive GST)**	**Amount**
1	11/0.4 KV T/F 400 KVA (old & used)	Nos	1	0.00	0
2	Copper L-piece 50x225x10mm (LS)	Nos	4	1,210.00	4840
3	Copper L-piece 62x225x12 mm (LS)	Nos	4	1,320.00	5280
4	Henley Type Tailless Unit for 400 kVA	Nos	1	56,000.00	56000
5	LT PVC Cable Al 1x400 sq mm	Mtr	30	382.00	11460
6	LT PVC Cable Al 1x240sq mm	Mtr	15	235.00	3525
7	Al Leg long barrel off size (LS)	Nos	32	60.00	1920
		Total (P)		**Rs.**	**83025**
				Cost of Material Excl GST (A)	70,360.17
				Cartage Charges on A @ 15% (B)	10,554.03
				GST on B @18% (C)	1,899.72
				Total (P+B+C=D)	95,478.75
				Contingency Charges on (D) @ 3% Rs. (E)	2,864.36
				T&P Charges on (D) @ 1.5% Rs. (F)	1,432.18
				Total (D+E+F=G)	**99,775.29**
				Say Rs.	**99,775.00**
1	**Received Back Material 250 KVA T/F**	**Nos.**	**1**	**1 no. 250 kVA DT shall be returned to Store**	
				Total G	**99,775.00**

Note: The above estimate has been prepared as an example for the Business Plan works and is only indicative in nature. The quantities of materials shown are illustrative and may vary depending on site conditions. The type and quantity of materials (earthing, Tailless Units, LT cable etc.) may change, and additional materials may also be required as per site requirements. The return of materials shall be proposed strictly in accordance with the process and standards specified in the estimate.

Estimate for Increasing Capacity of 33/11 KV Substation from 2x5 MVA to 5+10 MVA

S.No.	Descriptions	Unit	Qty.	Rate (Inclusive GST)	Amount
1	33/11 KV 10 MVA Transformer	Nos.	1	9350570.53	9350570.53
2	Water Level T/F Neutral and Body Earthing	Nos.	2	20,000.00	40000.00
3	M.S. Nut Bolt off size with washer	Kg.	2	220.00	440.00
4	Repairing of Plinth for Power Transformer	No.	1	25,000.00	25000.00
5	Dismantling of old Transformer from plinth and kept aside in switchyard	No	1	40,000.00	40000.00
6	Hiring of D/G Set 63 KVA 3 Phase for Testing	Per/Day	1	10,000.00	10000.00
		Total (P)		**Rs.**	**9466010.53**
	Cost of Material Excl GST (A)			**(A)**	**8022042.82**
				GST on Sl. No. 2 to 6 @ 18% on (C)	20,779.20
				Total (P+B+C=D)	**94,86,789.73**
				Labour Cess @1% On D= (E)	**94,867.90**
				Contingency Charges on (D) @ 3% Rs.F	284603.6919
				T&P Charges on (D) @ 1.5% Rs. (G)	142301.846
				Total (D+E+F+G=H)	**1,00,08,563.17**
Receipt Back of Material from Site					
1	33/11 KV 5 MVA Transformer	No.	1	**1 no. 5MVA PT shall be returned to Store**	
				Total(I)	**1,00,08,563.17**
				Say Rs.	**1,00,08,563.00**

Note: The above estimate has been prepared as an example for the Business Plan works and is only indicative in nature. The quantities of materials shown are illustrative and may vary depending on site conditions. The type and quantity of materials may change, and additional materials may also be required as per site requirements. The return of materials shall be proposed strictly in accordance with the process and standards specified in the estimate.

Estimate for Increasing Capacity of 33/11 KV Substation by installing Addl 5 MVA (Old & used)					
S.No.	**Descriptions**	**Unit**	**Qty.**	**Rate (Inclusive GST)**	**Amount**
1	33/11 KV 5 MVA Transformer (old & used)	Nos.	1	0.00	0.00
2	3×300 mm2, 11 KV XLPE Cable	mtr	100	1,501.63	1,50,163.42
3	11 KV cable jointing kit 3×300 mm outdoor heat shrinkable Type	No.	2	5,634.82	11,269.64
4	11 KV cable jointing kit 3×300mm indoor heat shrinkable Type	No.	2	5,149.15	10,298.30
5	33 KV VCB 1250A, 750 MVA with Steel Structure	No.	1	2,72,258.00	2,72,258.00
6	Plinth & foundation of VCB	No.	1	27,832.00	27,832.00
7	11 KV VCB (Out going) 200/100/5A 350 MVA	No.	2	3,43,431.12	6,86,862.24
8	11 KV VCB 600/300/5A , 350 MVA I/C	No	1	4,07,039.78	4,07,039.78
9	11 KV Bus Coupler	No	1	3,29,546.00	3,29,546.00
10	11 KV 3×185 mm2 XLPE Cable	Mtr.	60	1,024.40	61,463.96
11	11 KV cable jointing kit 3×185 mm outdoor heat shrinkable Type	No.	4	5,103.48	20,413.92
12	11 KV cable jointing kit 3×185 mm Indoor heat shrinkable Type	No.	4	5,149.15	20,596.60
13	Making of 11 KV Cable Box and mounting on Switch Gear and Transformer	No.	8	23,385.00	1,87,080.00
14	2×2.5 mm2 Control Cable	Mtr	200	98.45	19,689.40
15	4×2.5 mm2 Control Cable	Mtr	200	115.46	23,092.60
16	Laying of various typt of control cables	Mtr	400	100.00	40,000.00
17	Water Level T/F Neutral and Body Earthing	No	6	20,000.00	1,20,000.00
18	GI pipe 50 mm dia (3 Mtr long) over the 3x300/185 sqmm XLPE	Mtr	9	700.00	6,300.00
19	Holding Clamp for 3×300 XLPE 11 KV Cable	No.	8	213.00	1,704.00
20	M.S. Nut Bolt off size with washer	Kg.	4	196.00	784.00
21	Digging & Laying of 11 KV Cable including cost of sand & Bricks	Mtr.	135	250.00	33,750.00
22	Structure For cable support & "L" Type Structure for Neutral	Job	1	5,000.00	5,000.00
23	Plinth for New 5 MVA Transformer	No.	1	1,48,167.00	1,48,167.00
24	Double Pole Structure 11 Mtr STP Pole As per Annexure	No	1	73,528.00	73,528.00
25	33 KV LA	No	3	5,089.00	15,267.00
26	Structure of 33 KV LA (125x65x6MM G.I Channel)	No	1	9,558.00	9,558.00
27	33 KV C.T 400/200/1A or 200/100/1A	No	3	26,124.48	78,373.44
28	Structure of 33 KV CT (125x65x6MM G.I Channel)	No	1	11,469.00	11,469.00
29	33 KV Fuse Set	No	1	13,177.37	13,177.37
30	33 KV Bus Isolator	No	1	38,491.02	38,491.02
31	Structure of 33 KV Bus Isolator (125x65x6MM G.I Channel)	No	1	23,865.00	23,865.00
32	ACSR Dog Conductor	Mtr	100	98.820	9,882.01
33	33 KV Post Insulator	No	6	632.27	3,793.62
34	Structure of 33 KV Post Insulator (125x65x6MM G.I Channel)	No	2	11,469.00	22,938.00
35	Control Panel I/C for 33KV Single T/F	No	1	1,41,354.00	1,41,354.00
36	24 Volt Battery & Battery Charger	Set	1	1,24,276.00	1,24,276.00
37	P.G Clamp For Dog to Panthar	No	12	300.00	3,600.00
38	Outdor Earthing (Eartmat, Delta)	No	0.5	5,60,458.00	2,80,229.00
39	Indor Equipment Earthing	No	0.5	39,054.00	19,527.00
40	Control Cable Tranch	Mtr.	40.0	1,452.00	58,080.00
41	SSO Approach Road	Mtr.	40.0	2,288.00	91,520.00
42	Copper Bus Bar 2.4 mtr Long	No	3.0	6,000.00	18,000.00
43	Construction of Fire Wall between Transformers	Job	1.0	1,15,000.00	1,15,000.00
		Total (P)		**Rs.**	**37,35,239.31**
		Cost of Material Excl GST (A)			**31,65,457.05**
		Cartage Charges on A @ 7% (B)			**2,21,581.99**
		GST on B @18% (C)			**39,884.76**
		Total (P+B+C=D)			**39,96,706.07**
		Contingency Charges on (D) @ 3% Rs. (E)			**1,19,901.18**
		T&P Charges on (D) @ 1.5% Rs. (F)			**59,950.59**
		Total (D+E+F=G)			**41,76,557.84**
		Say Rs.			**41,76,557.00**

Note: The above estimate has been prepared as an example for the Business Plan works and is only indicative in nature. The quantities of materials shown are illustrative and may vary depending on site conditions. The type and quantity of materials may change, and additional materials may also be required as per site requirements.

"बिजली बिल राहत योजना-2025-26" के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्रथम चरण की अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में

संख्या : 3850 /मु.अ.(वाणिज्य)/सी.यू.-दो/ओ.टी.एस.(16) दिनांक : 31.12.2025

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लि.
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केस्को कानपुर।
[md@pvvnl.org/md@dvvnl.org/md@mvvnl.org/
md@puvvnl.in/mdkesco@kesco.org.in]

महोदया/महोदय,

विदित है कि इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 3308/मु.अ.(वाणिज्य)/सी.यू.-दो/ओ.टी.एस.(16) दिनांक 13.11.2025 निर्गत करते हुए समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.12.2025 से 28.02.2026 तक एल.एम.वी.-1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एल.एम.वी.-2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" लागू की गयी है। योजना में पंजीकरण हेतु प्रथम चरण की अवधि दिनांक 01.12.2025 से 31.12.2025 तक निर्धारित है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्रथम चरण की अवधि को दिनांक 03.01.2026 तक विस्तारित किया जाता है।

"बिजली बिल राहत योजना 2025-26" की अन्य नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय
प्रशान्त वर्मा
निदेशक (वाणिज्य)

कॉस्ट डाटा बुक–2026 के सम्बन्ध में

संख्या : 16/रेस्पो/Cost Data Book-2026 दिनांक : 02.01.2026

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि.,
पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/
दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/
केस्को-कानपुर।

महोदया/महोदय,

अवगत कराना है कि मा. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पत्र सं. UPERC/Secy/D(D)/2025-1214 दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से नई कॉस्ट डाटा बुक-2026 निर्गत कर दी गई है।

अतः अपेक्षित है कि पत्र के साथ संलग्न नई कॉस्ट डाटा बुक डिस्कॉम के समस्त सम्बन्धित विभागों/इकाईयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचना, अभिलेख तथा आवश्यक अनुपालन हेतु उपलब्ध कराये जाने, डिस्कॉम की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एवं प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक तथा व्यापक प्रसारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

उक्त नई कॉस्ट डाटा बुक दिनांक 12 जनवरी, 2026 से प्रभावी (लागू) होगी।

संलग्नक : कॉस्ट डाटा बुक-2026।

भवदीय,
ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी
निदेशक (वितरण)

मा. उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत कॉस्ट डाटा बुक-2026 के सम्बन्ध में

संख्या : 54 /रेस्पो/Cost Data Book-2026 दिनांक : 09.01.2026

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि.,
पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/
दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/
केस्को-कानपुर।

महोदया/महोदय,

अवगत कराना है कि मा. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पत्र सं.-UPERC/Secy/D(D)/2025-1214 दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से निर्गत एवं कारपोरेशन के पत्र सं.-16/रेस्पो/Cost Data Book-2026 दिनांक 02.01.2026 द्वारा वितरण निगमों के समस्त सम्बन्धित विभागों/इकाईयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध करायी गई नई कॉस्ट डाटा बुक-2026 से सम्बन्धित उल्लेखनीय बिन्दु निम्नवत् हैं :—

1. आवेदक द्वारा देय कुल शुल्क में Processing Fee, Security, Metering Charge (पूर्व में फिक्स्ड सर्विस लाइन शुल्क) तथा Supply Affording Charge (पूर्व में वेरिएबल लाइन शुल्क) शामिल होंगे। डिस्कॉम द्वारा आवेदकों को उपलब्ध कराये जाने वाले प्राक्कलन (Estimate) तथा रसीदों (Reciepts) में उक्त चारों घटकों को स्पष्ट रूप से व अलग-अलग दर्शाया जायेगा।
2. विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु डिस्कॉम द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जाएगा, जिसमें लैंडेड कॉस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। लैंडेड कॉस्ट में सामग्री लागत, ढुलाई/परिवहन, लेबर तथा अन्य ओवरहेड शुल्क शामिल होंगे। डिस्कॉम द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन पर कॉस्ट डाटा बुक के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या-8 के अनुसार जी.एस.टी. भारित की जायेगी।
3. प्रतिभूति धनराशि (**Security**) के सम्बन्ध में :—
   - (a) लाइफलाइन उपभोक्ता (lifeline consumer) से प्रतिभूति धनराशि नहीं ली जायेगी। यदि लाइफलाइन उपभोक्ता, सामान्य उपभोक्ता में परिवर्तित होता है, तो उसके द्वारा कॉस्ट डाटा बुक के अध्याय-4 में दी गई तालिकानुसार प्रतिभूति धनराशि देय होगी।
   - (b) यदि वर्तमान में संयोजित किसी विद्युत संयोजन को पोस्ट-पेड मोड से प्री-पेड मोड में परिवर्तित किया जाता है, तो डिस्कॉम द्वारा प्रतिभूति धनराशि को उपभोक्ता के बकाया बिल, यदि कोई हो तो, में समायोजित किया जायेगा। यदि कोई बकाया देय नहीं है, तो आवश्यकतानुसार आगमी बिलों में क्रेडिट के रूप में समायोजन किया जाएगा।
4. मीटरिंग शुल्क (**Metering Charge**) के सम्बन्ध में :-
   - (a) "फिक्स्ड सर्विस लाइन चार्ज" को अब "मीटरिंग शुल्क" कहा जाएगा।
   - (b) सिंगल फेज संयोजन (PTW के अतिरिक्त) के लिए, AMI संगत स्मार्ट मीटर की कुल लागत रु. 2800 (1-Ph 2-W) में से रु. 1000 अग्रिम भुगतान के रूप में लिया जाएगा एवं शेष राशि उपभोक्ता के बिजली बिल में संयोजन की तिथि से 24 महीनों तक रु. 84 के समान मासिक किस्त के रूप में वसूली

जाएगी। आवेदक के पास विकल्प होगा कि वह आवेदन के समय मीटरिंग शुल्क का भुगतान एकमुश्त भी कर सके।

(c) उपभोक्ता परिसर पर उपयुक्त रेटिंग के प्रोटेक्शन उपकरण जैसे MCB, MCCB, VCB आदि की स्थापना की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। यदि उपभोक्ता द्वारा प्रोटेक्शन उपकरण स्थापित नहीं किए जाते हैं, तो संयोजन को उर्जीकृत नहीं किया जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में उपभोक्ता द्वारा प्रोटेक्शन उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो डिस्कॉम अपने विवेकाधिकार से, उपभोक्ता के अनुरोध पर या अन्यथा, प्रोटेक्शन उपकरण उपलब्ध करायेगा व स्थापित करेगा, जिस हेतु उपभोक्ता से कुल वास्तविक लागत अग्रिम रूप से अथवा अग्रेतर वसूली जायेगी।

5. सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क (**Supply Affording Charge**) के सम्बन्ध में (निजी नलकूप के अतिरिक्त) :-

(a) "वैरियेबल लाइन चार्ज" को अब "सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क" कहा जाएगा।

(b) विद्युतीकृत क्षेत्रों में 150 कि.वॉ. तक के विद्युत संयोजन हेतु निकटतम् डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स से अधिकतम 300 मीटर की दूरी के अन्तर्गत आने वाले आवेदकों से आवेदन के समय एकमुश्त नियत धनराशि जमा कराई जायेगी। इस 300 मीटर की दूरी तक के संयोजनों को दो भागों, क्रमशः 100 मीटर तक तथा 101 मीटर से 300 मीटर तक, में विभाजित किया गया है। आवेदक द्वारा इन दूरियों, जो भी लागू हो, के आधार पर कॉस्ट डाटा बुक के अध्याय-5A के अनुसार सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क देय होगा।

(c) विद्युतीकृत क्षेत्रों में 150 कि.वॉ. तक के विद्युत संयोजन हेतु आवेदक के परिसर की विद्यमान लाइन से दूरी 300 मीटर से अधिक होने पर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा एवं कॉस्ट डाटा बुक के अध्याय-5A के अनुसार उपभोक्ता को अवगत कराया जायेगा।

(d) विद्युतीकृत क्षेत्रों में 150 कि.वॉ. से अधिक विद्युत भार के विद्युत संयोजन हेतु कॉस्ट डाटा बुक के अध्याय-5B के अनुसार सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क देय होगा।

(e) लाइफलाइन उपभोक्ता (lifeline consumer) के लिए सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क (केवल 100 मीटर तक की दूरी के लिए) के कुल शुल्क रु. 1000 में से रु. 500 अग्रिम भुगतान के रूप में लिया जाएगा एवं शेष राशि उपभोक्ता के बिजली बिल में संयोजन की तिथि से 12 महीनों तक रु. 45 के समान मासिक किस्त के रूप में वसूली जाएगी। आवेदक के पास विकल्प होगा कि वह आवेदन के समय सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क का भुगतान एकमुश्त भी कर सके।

(f) संयोजन की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर, यदि किसी लाइफलाइन उपभोक्ता की खपत टैरिफ आदेश में निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उसे सामान्य उपभोक्ता की श्रेणी में बदला जाता है, तो स्लैब के अनुसार सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क का अंतर उपभोक्ता द्वारा देय होगा।

(g) कॉस्ट डाटा बुक में उल्लिखित सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क में लेबर तथा ओवरहेड शुल्क सम्मिलित है। अतः पृथक से किसी भी प्रकार का लेबर अथवा ओवरहेड शुल्क उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा।

(h) भूमिगत केबल के माध्यम से संयोजन निर्गत करने के प्रकरणों में सम्बन्धित प्राधिकरणों जैसे NHAI, UPPWD, नगर निगम आदि द्वारा लिये जाने वाले रोड रिस्टोरेशन शुल्क वास्तविक लागत के अनुसार उपभोक्ता द्वारा देय होंगे।

(i) विद्युतीकृत क्षेत्रों में 150 कि.वॉ. तक (300 मीटर की दूरी तक) के विद्युत संयोजन, जिनको नई कॉस्ट डाटा बुक-2026 के आधार पर संयोजन निर्गत किया गया है, के विद्युत भार में वृद्धि (उपभोक्ता के आवेदन पर अथवा किसी माह में अतिरिक्त भार के उपयोग के परिणामस्वरूप) होती है, तो संयोजन की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के अन्दर विद्युत भार के एक स्लैब से दूसरे स्लैब में जाने की स्थिति

में सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क का अंतर उपभोक्ता द्वारा देय होगा। अन्य सभी उपभोक्ताओं, जिनमें वर्तमान में संयोजित उपभोक्ता भी सम्मिलित हैं, के भार में वृद्धि उ.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता-2005 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

(j) Multi-point/Multi-storey buildings/complexes के आवेदकों पर सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क लागू नहीं होगा एवं उनके द्वारा मीटरिंग शुल्क का भुगतान कॉस्ट डाटा बुक के अनुसार किया जायेगा। उन पर विद्युत प्रदाय संहिता-2005 के 13वें संशोधन एवं तत्क्रम में मा. आयोग द्वारा निर्गत आदेशों में यथाप्रावधानित व्यवस्था लागू रहेगी।

(k) विद्युतीकृत क्षेत्रों में 150 कि.वॉ. तक (निजी नलकूप के अतिरिक्त) एवं 300 मीटर की दूरी तक के विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु, विद्युत अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता होने अथवा नहीं होने की स्थिति में, उ.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता-2005 (यथासंशोधित) के बिन्दु संख्या-4.7 तथा 4.8 में उल्लिखित समयावधि के अनुसार संयोजन निर्गत किये जायेंगे।

6. उक्त बिन्दु संख्या-5 में दर्शायी गयी व्यवस्था अविकसित/अविद्युतीकृत कॉलोनियों पर लागू नहीं होगी। इस सम्बन्ध में मा. आयोग के आदेश संख्या-1/2025 दिनांक 27.02.2025 एवं कारपोरेशन के पत्र संख्या-984/रेस्पो/एस-1/अविकसित कॉलोनी दिनांक 21.05.2025 के माध्यम से यथाप्रावधानित व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी। उक्त आदेशों में निर्दिष्ट शुल्कों के अतिरिक्त इन कॉलोनियों के आवेदकों द्वारा मीटरिंग शुल्क का भुगतान कॉस्ट डाटा बुक के अनुसार किया जायेगा।
7. विद्युतीकृत क्षेत्रों में 50 कि.वॉ. तक (निजी नलकूप के अतिरिक्त) किसी भी दूरी के विद्युत संयोजन हेतु विद्युत अवसंरचना का निर्माण डिस्कॉम द्वारा किया जायेगा एवं आवेदक द्वारा कॉस्ट डाटा बुक में निर्धारित दरों के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
8. विद्युतीकृत क्षेत्रों में 51 कि.वॉ. से 150 कि.वॉ. तक विद्युत भार एवं 300 मीटर की दूरी तक के विद्युत संयोजन हेतु विद्युत अवसंरचना का निर्माण डिस्कॉम द्वारा किया जायेगा एवं आवेदक द्वारा कॉस्ट डाटा बुक में निर्धारित दरों के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
9. विद्युतीकृत क्षेत्रों में 51 कि.वॉ. से 150 कि.वॉ. तक विद्युत भार एवं 300 मीटर से अधिक दूरी के विद्युत संयोजन हेतु विद्युत अवसंरचना का निर्माण आवेदक द्वारा सुपरविजन शुल्क जमा कराकर किया जा सकता है। डिस्कॉम यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक द्वारा निर्माण में उपयोग की गई सामग्री डिस्कॉम के तकनीकी विशिष्टीकरणों के अनुरूप हों।
10. आवेदक के अनुरोध पर 50 कि.वा. से अधिक भार के इलेक्ट्रिक वेहिकल (LMV-11 श्रेणी) के विद्युत संयोजन, एल.टी. विभव पर निर्गत किये जा सकते हैं, जिस हेतु आवेदक द्वारा समस्त वास्तविक शुल्क वहन किया जायेगा, जो कि वितरण नेटवर्क की तकनीकी सम्भाव्यता एवं क्षमता उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।
11. कॉस्ट डाटा बुक-2026 दिनांक 12 जनवरी, 2026 से प्रभावी (लागू) होगी।

सूच्य है कि प्रदेश में नये विद्युत संयोजन मा. आयोग द्वारा निर्गत कॉस्ट डाटा बुक-2026 के अनुसार ही निर्गत किये जायेंगे। अतः अपेक्षित है कि पत्र के साथ संलग्न कॉस्ट डाटा बुक-2026 डिस्कॉम के समस्त सम्बन्धित विभागों/इकाईयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचना, अभिलेख एवं अनुपालन हेतु उपलब्ध कराये जाने एवं डिस्कॉम की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक :— कॉस्ट डाटा बुक-2026

भवदीय

ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी

निदेशक (वितरण)

''बिजली बिल राहत योजना 2025-26'' के अन्तर्गत किश्तों में जमा की जाने वाली शेष बकाया राशि का ''एकमुश्त पूर्ण भुगतान'' किये जाने के सम्बन्ध में

संख्या : 105/मु.अ. (वाणिज्य)/सी.यू.-दो/ओ.टी.एस. (16) दिनांक : 08.01.2026

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल,
विद्युत वितरण निगम लि.,
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केस्को कानपुर।
[md@pvvnl.org/md@dvvnl.org/md@mvvnl.org/
md@puvvnl.in / mdkesco@kesco.org.in]

विदित है कि इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 3308/मु.अ. (वाणिज्य)/सी.यू.-दो/ओ.टी.एस. (16) दिनांक 13.11.2025 निर्गत करते हुए समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.12.2025 से 28.02.2026 तक एल. एम.वी.-1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एल.एम.वी.-2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु ''बिजली बिल राहत योजना 2025-26'' लागू की गयी है।

योजना के बिन्दु–5(ज) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार किश्तों में भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा मासिक विद्युत बिल व मासिक किश्त से अधिक धनराशि का एडवांस भुगतान किया जा सकेगा। एडवांस भुगतान करने पर भी उपभोक्ता को अगले महीने के विद्युत बिल व मासिक किश्त का भुगतान नियत तिथि तक करना होगा अन्यथा किश्त डिफाल्ट हो जायेगी। पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा किये गये एडवांस भुगतान को अंतिम किश्तों के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि किश्तों में भुगतान करने हेतु पंजीकृत उपभोक्ता, किश्तों में जमा की जाने वाली शेष बकाया राशि का एकमुश्त पूर्ण भुगतान भी कर सकता है। ऐसा करने पर उपभोक्ता को किश्तों में भुगतान हेतु निर्धारित छूट दी जायेगी।

अनुरोध है कि उक्त से सभी सम्बन्धित कार्मिकों को अवगत कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

पंकज कुमार
प्रबन्ध निदेशक

उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना को नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के मध्य प्रचारित किये जाने के सम्बन्ध में

संख्या : 1/37716/2026-ज.श.प्र.सु. एवं प्रशि./C-51573 दिनांक : 20.01.2026

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि./केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी वितरण निगमों के नियमित कार्मिकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-412-का.वि.नी. एवं वे.प्र.-29/पाकालि/2025-10-का.वि.नी./24, दिनांक 15.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना लागू की गयी है।

उक्त योजना के अन्तर्गत Technical Program हेतु M.Tech. (Electrical/Electronics & Communication Engineering/Computer Science & Information Technology/Power and Energy System/Ph.D तथा Management Program हेतु M.B.A./P.G.D.M. (Finance/H.R./Power/Energy Management/Energy Audit) तथा Professional Program हेतु C.A./C.M.A./C.F.A./C.S. इत्यादि पाठ्यक्रमों में चयनित कार्मिकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित समेकित फीस (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) इत्यादि प्रायोजित की जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा National Institute Ranking Framework (NIRF) के अन्तर्गत Engineering एवं Management के पाठ्यक्रमों हेतु अद्यतन प्रकाशित पृथक-पृथक सूचियों में Top 50 सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों (2025 की सूची संलग्न) से उपरोक्त कोर्स किए जाने के लिए योजना के माध्यम से प्रायोजित किए जाने हेतु विचारित किया जायेगा। N.I.R.F. के सूचीबद्ध सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों में C.A./C.M.A. आदि पाठ्यक्रमों का उल्लेख न होने के कारण उक्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु N.I.R.F. में सूचीबद्ध होने की बाध्यता नहीं होगी।

प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण निगमों के कुल 10 कार्मिकों (Technical Program-05, Management Program-04 तथा Professional Program-01) को उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रायोजित किया जायेगा।

सीधी भर्ती के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर नियुक्त ऐसे कार्मिक, जिन्होंने नियमानुसार कारपोरेशन में 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जिनका सेवाकाल अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् कम से कम 05 वर्ष शेष रह जाए, को ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रायोजित किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया इस प्रोत्साहन नीति/योजना को अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के मध्य व्यापक रूप से प्रचारित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय
डा. जॉन मथाई
निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.)

INCENTIVE POLICY FOR HIGHER EDUCATION

संख्या : 412-का.वि.नी. एवं वे.प्र.-29/पा.का.लि./2025-10-का.वि.नी./24 दिनांक : 15.05.2025

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.02.2025 को सम्पन्न 211वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों के नियमित कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

1. कारपोरेशन द्वारा कार्मिकों को केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु प्रायोजित किया जायेगा, जो कार्मिकों को उनके कार्यक्षेत्र में कारपोरेशन के कार्यहित में उपयोगी बना सकें। इस हेतु निम्नलिखित तकनीकी, प्रबंधकीय एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को समग्रता में विचारोपरान्त प्रायोजित किया जायेगा :-

S.R.	Technical Programmes	Management Programmes	Professional Programmes
1.	M.Tech (Electrical)	M.B.A. / P.G.D.M. (Finance)	C.M.A.
2.	M.Tech (Electronics & Communication Engineering)	M.B.A./P.G.D.M. (H.R.)	C.S.
3.	M.Tech (Computer Science & Information Technology)	M.B.A. / P.G.D.M. (Power / Energy Management)	–
4.	M.Tech (Power and Energy System) or Related Fields	M.B.A. / P.G.D.M. (Energy Audit)	–
5.	Ph.D. in above Mentioned Subjects or Similar / Related Fields	– –	

2. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत National Institutional Ranking Framework (N.I.R.F.) द्वारा Engineering & Management के पाठ्यक्रमों हेतु निर्गत अद्यतन प्रकाशित सूची (Latest Published List) के सरकारी/निजी शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) की धनराशि को प्रायोजित किया जायेगा। प्रोत्साहन नीति में N.I.R.F. द्वारा Engineering एवं Management के पाठ्यक्रमों हेतु जारी पृथक-पृथक सूचियों में टॉप-50 सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण निगमों के नियमित कार्मिकों को प्रायोजित किया जा सकेगा।

   N.I.R.F. में सूचीबद्ध सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों में C.A./C.M.A./C.F.A. व C.S. के पाठ्यक्रमों का उल्लेख न होने के कारण प्रस्तावित उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत उक्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु N.I.R.F. में सूचीबद्ध होने की बाध्यता नहीं होगी।

3.(i) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत कारपोरेशन द्वारा प्रायोजित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) अथवा अधिकतम रु. 20 लाख, जो भी कम हो, को प्रायोजित किया जायेगा। किसी पाठ्यक्रम विशेष हेतु संस्थान में यदि समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) रु. 20 लाख से अधिक देय है, तो ऐसी स्थिति में कारपोरेशन द्वारा प्रायोजित धनराशि की अधिकतम सीमा से अधिक की अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबन्धन संस्थान (IIM) एवं इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रायोजित किये गये कारपोरेशन कार्मिकों को प्रायोजित धनराशि की अधिकतम सीमा रु. 20 लाख से मुक्त रखा जायेगा, अर्थात् इन संस्थानों में प्रायोजित किये जाने की स्थिति में वास्तविक समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) का भुगतान कारपोरेशन स्तर से किया जायेगा।

(iii) नीति के उपरोक्त बिन्दु–1 में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त यदि कोई पाठ्यक्रम विशेष कारपोरेशन के परिप्रेक्ष्य में अधिक उपयोगी प्रतीत होता है, तो अध्यक्ष, उ.प्र.पा.का.लि. की अध्यक्षता में गठित समिति को यह विशेषाधिकार होगा कि कारपोरेशन हित में N.I.R.F. की अद्यतन सूची के टॉप-50 सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन करने हेतु कारपोरेशन के

कार्मिकों को प्रायोजित किया जा सकेगा, जिसमें उक्त विशेष उपयोगिता वाले पाठ्यक्रम की वास्तविक समेकित फीस (Total Fees) (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान (जैसा भी निर्धारित किया जाये) कारपोरेशन स्तर से किया जा सकेगा। अर्थात् उक्त विशेष उपयोगिता वाले पाठ्यक्रम को प्रायोजित किये जाने हेतु धनराशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(4) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण निगमों के कुल मिलाकर लगभग 10 कार्मिकों को उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रायोजित किया जायेगा, जिसका पाठ्यक्रमानुसार सूचक (Indicative) विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रायोजित कार्मिकों की संख्या
1.	Technical Programme	05
2.	Management Programme	04
3.	Professional Programme	01
	Total	10

उपरोक्त तालिका में प्रायोजित कार्मिकों की संख्या में अध्यक्ष, उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा आवश्यकतानुसार बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

(5) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत कार्मिकों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रायोजित किया जायेगा :—

(i) सीधी भर्ती के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर नियुक्त ऐसे कार्मिक, जिन्होंने नियमानुसार कारपोरेशन में 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा, साथ ही ऐसे कार्मिकों जिनका सेवाकाल अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् कम से कम 05 वर्ष शेष रह गया हो, को ही प्रोत्साहन स्वरूप उच्च शिक्षा हेतु प्रायोजित किया जायेगा।

(ii) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों के नियमित कार्मिकों को उनकी जॉब प्रोफाइल के अनुसार पाठ्यक्रम विशेष का अध्ययन करने हेतु प्रायोजित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पाठ्यक्रम का लाभ कारपोरेशन को प्राप्त होगा।

(iii) प्रोत्साहन (Incentive) केवल तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं व्यवसायिक शिक्षा से सम्बन्धित विषयों पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रदान किया जाएगा। उक्त उच्च शैक्षिक योग्यता का उपयोग आवश्यकतानुसार कारपोरेशन कार्यहित में किया जायेगा, जिसके लिये कोई अतिरिक्त वैतनिक लाभ, पदोन्नति में वरीयता का लाभ अथवा अन्य कोई वित्तीय या सेवा शर्तों का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) कार्मिकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त किये जाने हेतु प्रोत्साहन (Incentive) योजना का लाभ एक बार ही प्रदान किया जायेगा।

(v) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत प्रायोजित किये गये कारपोरेशन कार्मिकों को अध्ययन अवधि में ड्यूटी पर मानते हुए नियमानुसार वेतन देय होगा। इस नीति के तहत अध्ययन अवधि को पदोन्नति, ए.सी.पी. एवं वेतनवृद्धि की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(vi) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना (Incentive Policy for Higher Education) के अन्तर्गत अध्ययन कार्यक्रम में कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन (Zone of Consideration) के अन्तिम वर्ष से एक वर्ष पहले की वार्षिक गोपनीय आख्या के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप सं. 1380-काविनी एवं वे.प्र.-29/पाकालि/24-12-काविनी/24 दिनांक 26.12.24 एवं तत्क्रम में समय-समय पर निर्गत होने वाले अन्य संशोधनों में प्राविधानित व्यवस्था का अनुसरण किया जायेगा।

(vii) प्रोत्साहन नीति/योजना के अन्तर्गत कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण निगमों के कार्मिकों को तकनीकी, प्रबन्धकीय एवं व्यवसायिक शिक्षा से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन हेतु शिक्षण संस्थानों में आवेदन करने तथा प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रायोजकता (Sponsorship) हेतु इच्छुक कार्मिकों के आवेदन उचित माध्यम से संयुक्त सचिव (ज.श. प्रशि. एवं कार्य) को प्रेषित किये जायेंगे। प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ.प्र. पा.का.लि. की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

(viii) उपरोक्त नीति के अन्तर्गत कारपोरेशन द्वारा प्रायोजित कार्मिकों को अध्ययन पर गमन से पूर्व रु. 100/- मूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टैम्प पर इस आशय का शपथ-पत्र (अनुबन्ध/बॉण्ड) देना होगा कि वह प्रश्नगत अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् कम से कम 05 वर्ष तक उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. एवं सहयोगी वितरण निगमों में कार्य सुनिश्चित करेंगे।

(ix) उपरोक्त बिन्दु—(viii) में उल्लिखित 05 वर्ष की अवधि में कार्मिक को किसी भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थानों में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति तथा प्रतिनियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) निर्गत नहीं किये जायेंगे। किन्तु यदि कार्मिक उपरोक्त निर्धारित 05 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पूर्व किसी अन्य संस्थान में नियुक्ति हेतु इच्छुक होगा, तो ऐसी स्थिति में उसे कारपोरेशन की सेवा से निःशर्त त्याग-पत्र देना होगा एवं उच्च शिक्षा हेतु कारपोरेशन द्वारा वहन/प्रायोजित की गई कुल धनराशि को उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. के संगत खाते में जमा करनी होगी, तदुपरान्त ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) निर्गत करने हेतु प्रकरण को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(x) उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना के अन्तर्गत प्रायोजित कार्मिक अध्ययन पूर्ण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के भीतर यदि कारपोरेशन की सेवा से पदच्युत किया जाता है तो ऐसी दशा में उच्च शिक्षा हेतु कारपोरेशन द्वारा वहन/प्रायोजित की गई कुल धनराशि को सम्बन्धित कार्मिक से वसूल किया जायेगा।

(xi) उक्त के क्रम में प्रायोजित किये गये कार्मिक यदि शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी भी पारिवारिक/अन्य कारणों से पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कारपोरेशन द्वारा उच्च शिक्षा हेतु व्यय की गई कुल धनराशि की वसूली भी सम्बन्धित कार्मिक से की जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद अधीनस्थ अभियन्ता (ई. एण्ड एम.) सेवा विनियमावली—1972

संख्या : I-38721/2026/Document Number/काविनी एवं विनियम-29 कम्प्यू.सं.-22532 दिनांक : 23.01.2026

कार्यालय-ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.

के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.11.2025 को सम्पन्न 216(22)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद अधीनस्थ अभियन्ता (ई. एण्ड एम.) सेवा विनियमावली—1972 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत निम्नानुसार सीधी भर्ती के पद पर त्वरित एवं पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु, स्तम्भ-01 के अनुसार लागू अद्यतन व्यवस्था को एतद्द्वारा नवीन व्यवस्था (स्तम्भ-02) से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

अद्यतन व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
PART-V : Regulation No. 13 : Recruitment as Apprentice Supervisor (later Junior Engineer) shall be made on the basis of selection to be held from time to time in accordance with such procedure as may be prescribed by the Board from time to time.	**वेतनमान —** **अवर अभियन्ता (ई. एण्ड एम.)** सप्तम् वेतन लेवल—7 (रु. 44900-142400) (4600/- ग्रेड-पे) **शैक्षिक योग्यता :** इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्यूनीकेशन विधा में 03 वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र./ए.आई.सी.टी.ई./केन्द्र या राज्य के विधि द्वारा स्थापित/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से हो। (अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिप्लोमा मान्य नहीं होंगे)। **सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति/चयन हेतु प्रक्रिया :** 1. चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उ.प्र. लोक सेवा आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जायेगा। जिस संस्था के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही की जा रही है, इन नियमों में उसे भर्ती संस्था कहा जायेगा। 2. उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के PET Score या इसी प्रकार की राज्य अथवा केन्द्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के Score (जैसा कि निर्धारित किया जाय) के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। 3. **चयन के निम्नवत् दो चरण होंगे :-** प्रथम चरण :- रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 05 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक-2 में उल्लिखित परीक्षा के Score के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा। शार्टलिस्टिंग हेतु

अद्यतन व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	कटऑफ का निर्धारण भर्ती संस्था द्वारा किया जायेगा। द्वितीय चरण :- शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जायेगी। 4. द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा का प्रश्न-पत्र निम्न दो भागों में विभाजित होगा :- प्रथम चरण में NIELIT के "O" लेवल स्तर के पाठ्यक्रमानुसार कम्प्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे। कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित 50 प्रश्नों में 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। द्वितीय भाग के 200 प्रश्न निम्नानुसार होंगे :- (1) सामान्य अध्ययन – 20 (2) सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण – 15 (3) सामान्य अंग्रेजी – 15 (4) विषय ज्ञान – 150 (लिखित परीक्षा के दोनों भाग में प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 04 अंक दिये जायेंगे एवं गलत उत्तर के लिए 01 अंक की कटौती की जायेगी) 5. द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर ही अन्तिम मेरिट तैयार की जायेगी।

(ii) सेवा विनियमावली के अन्तर्गत विद्यमान विनियमों अथवा अन्य संगत आदेशों को उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुक्रम में पढ़ा जायेगा। नवीन व्यवस्था के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं साम्यपूर्ण रीति निर्धारण एवं किसी नियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. अधिकृत होंगे।

(iii) उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद अधीनस्थ अभियन्ता (ई. एण्ड एम.) सेवा व नियमावली–1972 (यथा संशोधित) को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा। शेष अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

नई वर्टिकल व्यवस्था में पेंशनरों एवं सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में

संख्या : 201-पें. एवं आर.-28/पाकालि/26-02-पी. एण्ड आर./2026 दिनांक : 27.01.2026

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल एवं केस्को
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।

महोदया/महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वितरण निगमों में कार्यात्मक प्रशासनिक संरचना एवं प्रक्रिया सरलीकरण हेतु नई वर्टिकल व्यवस्था लागू की गयी है, जिसमें कार्मिकों के अधिष्ठानिक कार्यों के सम्पादन एवं निस्तारण का कार्य सम्बन्धित डिस्कॉम के अंतर्गत अधिशासी अभियन्ता (पी.आर./एडमिन/रेड/हेल्पडेस्क एवं मा.सं.) को आवंटित किया गया है।

अतः जिन वितरण निगमों में उपरोक्त नई वर्टिकल व्यवस्था प्रभावी हो गई है, उनमें नामित अधिशासी अभियन्ता (पी.आर./एडमिन/रेड/हेल्पडेस्क एवं मा.सं.) को आवंटित अधिष्ठानिक कार्यों के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्ववर्ती उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद सम्प्रति उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. एवं सम्बन्धित वितरण निगमों में आमेलित सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन/अनन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा चिकित्सा भत्ते के भुगतान, सेवा सत्यापन (फार्म-के), अदेयता प्रमाण-पत्र, सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. इत्यादि से सम्बन्धित समस्त कार्यों के साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवा अभिलेखों को संरक्षित रखे जाने सम्बन्धी कार्य भी अधिशासी अभियन्ता (पी.आर./एडमिन/रेड/हेल्पडेस्क एंव मा.सं.) द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

कृपया डिस्कॉम स्तर पर की गयी उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन कराये जाने का कष्ट करें, ताकि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को कोई असुविधा न हो तथा सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्ति तिथि को ही पेंशन/ग्रेच्युटी प्रपत्र प्रदान किया जाना सम्भव हो सके।

भवदीय
डा. जॉन मथाई
निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.)

''बिजली बिल राहत योजना 2025-26'' के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु द्वितीय चरण की अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में

संख्या : 372/मु.अ. (वाणिज्य)/सी.यू.-दो/ओ.टी.एस. (16) दिनांक : 31.01.2026

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लि.,
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केस्को कानपुर।
[md@pvvnl.org/md@dvvnl.org/md@mvvnl.org/
md@puvvnl.in / mdkesco@kesco.org.in]

महोदया/महोदय,

विदित है कि इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 3308/मु.अ. (वाणिज्य)/सी.यू.-दो/ओ.टी.एस. (16) दिनांक 13.11.2025 निर्गत करते हुए समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.12.2025 से 28.02.2026 तक एल.

एम.वी.-1 (घरेलू) अधिकतम 2 किलोवाट भार तक तथा एल.एम.वी.-2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु ''बिजली बिल राहत योजना 2025-26'' लागू की गयी है। योजना में पंजीकरण हेतु द्वितीय चरण की अवधि दिनांक 01.01.2026 में 31.01.2026 तक निर्धारित है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ''बिजली बिल राहत योजना 2025-26'' के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु द्वितीय चरण की अवधि को दिनांक 05.02.2026 तक विस्तारित किया जाता है।

''बिजली बिल राहत योजना 2025-26'' की अन्य नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय
प्रशान्त वर्मा
निदेशक (वाणिज्य)

पुनरीक्षित मासिक फ्लैट रेन्ट दिनांक 01.06.2025 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में

संख्या : I/13630/2025-स.प्र.वि.-26/पाकालि/34-जी.ए./90/25 दिनांक : 10.06.2025

कार्यालय-ज्ञाप

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. के नियंत्रणाधीन लखनऊ स्थित आवासीय कालोनियों के आवासों के किराये (फ्लैट रेन्ट) के निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत परिषद/कारपोरेशन के आदेशों को अवक्रमिक करते हुए कारपोरेशन के आवासों की श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कालम 5 के अनुसार पुनरीक्षित मासिक फ्लैट रेन्ट दिनांक 01.06.2025 से लागू किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :—

उ.प्र. पावर कारपोरेशन की कालोनियों के आवासों का पुनरीक्षित मासिक फ्लैट रेन्ट (रु. में)

क्र.सं.	आवासों की श्रेणी	लिविंग एरिया (वर्ग मीटर में)	दिनांक 01.05.2012 से कारपोरेशन द्वारा निर्धारित मासिक फ्लैट रेन्ट	दिनांक 01.06.2025 से कारपोरेशन द्वारा पुनरीक्षित मासिक फ्लैट रेन्ट	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्रेणी—01	30 तक	60	110	शौचालय 02 से अधिक आवासों के लिए होने पर
2.	श्रेणी—01	30 तक	90	160	शौचालय 02 आवासों के लिए होने पर
3.	श्रेणी—01	30 तक	150	270	शौचालय प्रत्येक आवास के लिए अलग होने पर
4.	श्रेणी—01	30 तक	210	380	300 वर्ग फिट तथा अधिक कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर
5.	श्रेणी—01	30 तक	210	380	350 वर्ग फिट कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर
6.	श्रेणी—01	32 से 40	360	650	—
7.	श्रेणी—02	34.50	360	650	425 वर्ग फिट कुर्सी क्षेत्रफल का आवास होने पर

1	2	3	4	5	6
8.	श्रेणी–02	41 से 50	450	820	–
9.	श्रेणी–02	44 से 55	510	930	–
10.	श्रेणी–03	56 से 65	630	1150	–
11.	श्रेणी–03	66 से 75	690	1260	–
12.	श्रेणी–03	76 से 91.50	870	1580	–
13.	श्रेणी–04	106 तक	1110	2020	–
14.	श्रेणी–05	106 तक	1260	2290	–
15.	श्रेणी–05	159.50 तक	1560	2840	–
16.	श्रेणी–05	159.50 से अधिक	1800	3280	–
17.	श्रेणी–05	189.50 से 224.50	2100	3820	–
18.	श्रेणी–05	243 से 350	3000	5460	–
19.	श्रेणी–05	350.50 से 522	3600	6550	–

अध्यक्ष

उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना को नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के मध्य प्रचारित किये जाने के सम्बन्ध में

संख्या : 1/40697/2026-ज.श.प्र.सु. एवं प्रशि./C-51573 दिनांक : 09.02.2026

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि./केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र संख्या-I/37716/2026-ज.श. प्र.सु. एवं प्रशि. दिनांक 20.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी वितरण निगमों के नियमित कार्मिकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-412-का.वि.नी. एवं वे.प्र.-29/पाकालि/2025-10-का.वि.नी./24, दिनांक 15.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उच्च शिक्षार्थ प्रोत्साहन नीति/योजना लागू की गयी है।

उक्त योजना के अन्तर्गत Technical Program हेतु M.Tech. (Electrical/Electronics & Communication Engineering/Computer Science & Information Technology/Power and Energy System)/Ph.D तथा Management Program हेतु M.B.A./P.G.D.M. (Finance/H.R./Power/Energy Management/Energy Audit) तथा Professional Program हेतु C.A./C.M.A./C.F.A./C.S. इत्यादि पाठ्यक्रमों में चयनित कार्मिकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित समेकित फीस (हॉस्टल एवं मेस फीस सहित) इत्यादि प्रायोजित की जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा National Institute Ranking Framework (NIRF) के अन्तर्गत Engineering एवं Management के पाठ्यक्रमों हेतु अद्यतन प्रकाशित पृथक-पृथक सूचियों में Top 50 सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों से उपरोक्त कोर्स किए जाने के लिए योजना के माध्यम से प्रायोजित किए जाने हेतु विचारित किया जायेगा। N.I.R.F. के सूचीबद्ध सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों में C.A./C.M.A. आदि पाठ्यक्रमों का उल्लेख न होने के कारण उक्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु N.I.R.F. में सूचीबद्ध होने की बाध्यता नहीं होगी।

प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कारपोरेशन एवं सहयोगी वितरण निगमों के कुल 10 कार्मिकों (Technical Program-05, Management Program-04 तथा Professional Program-01) को उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु सामान्यतः प्रायोजित किया जायेगा।

सीधी भर्ती के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर नियुक्त ऐसे कार्मिक, जिन्होंने नियमानुसार कारपोरेशन में 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जिनका सेवाकाल अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात् कम से कम 05 वर्ष शेष रह जाए, को ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रायोजित किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में पुनः अनुरोध है कि कृपया इस प्रोत्साहन नीति/योजना को अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के मध्य व्यापक रूप से प्रचारित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

डा. जॉन मथाई

निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.)

अधिशासी अभियन्ता (वै. एवं यां.) के पद पर प्रोन्नति

संख्या : 156-अ.प्र. (2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26 दिनांक : 16.02.2026

कार्यालय-ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर श्री कमलेश कुमार (अभि.सं. 2016046, सैप आई.डी. 11007793) (गृह जनपद—सोनभद्र) (सेवानिवृत्ति तिथि 31.08.2039), सहायक अभियन्ता, यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि., लखनऊ अन्तर्गत उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. को अधिशासी अभियन्ता (वै. एवं यां.) के पद पर प्रोन्नत कर यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. को आवंटित किया जाता है।

2. परिषदादेश संख्या 1849-का.वि.नि./रा.वि.प.-29/97-14 काविनी/87, दिनांक 8 अक्टूबर, 1997 में निहित प्राविधानानुसार श्री कमलेश कुमार को उनके आसन्न कनिष्ठ अधिकारी श्री नवरत्न राम (अभि. सं. 2016047, सैप आई.डी.-11001431) की सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता (वै. एवं यां.) के पद पर प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि 01.01.2026 से अधिशासी अभियन्ता (वै. एवं यां.) के पद पर प्रोन्नत माने जाते हुये नोशनल प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
3. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि प्रोन्नत अधिकारी ने कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं. 5910-गोपन/पाकालि(03)-2001 दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण कर दिया है।
4. उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञाप सं. 2900-प्रशि.-10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास, उ.प्र.पा.का.लि., लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा, जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।
5. उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय। प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार तैनाती प्रदान की जाय।
6. यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
7. कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं.-2777-ज.श. प्र.सु. एवं प्रशि.-01/2023, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में प्रोन्नत उपरोक्त अधिकारी की Joining/Relieving ई.आर.पी. प्रणाली पर ही किया जाना है।
8. उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं.-4274/2022, आशुतोष कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. में अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।

अध्यक्ष

दृष्टिगत फेलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा की मान्यता बहाल

संख्या : 105-पारे.अनु.-.01/पाट्राकालि-2026 दिनांक : 23.02.2026

कार्यालय-ज्ञाप

उ.प्र.पा.का.लि. के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3536/औ.सं./2024-11(04)ए.एस./2023 (टी.सी.-1) दिनांक 11.11.2024 द्वारा कारपोरेशन के कार्मिकों के कैशलेस उपचार में बरती गई अनियमितताओं एवं जांच के दृष्टिगत फेलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा की सामान्य एवं कैशलेस उपचार की आस्थगित (kept in abeyance) मान्यता को एतद्द्वारा सम्बन्धित चिकित्सालय को इस अंतिम चेतावनी के साथ बहाल किया जाता है कि उनके द्वारा भविष्य में मानक प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त मान्यता 30.04.2026 तक लागू रहेगी।

अध्यक्ष

म्युचुअल फंड में निवेश से होने वाली आय/लाभ एवं हानियों के सम्बन्ध में

संख्या : 1/43045/2026-कार्य/चौदह-पाकालि/2026 (वित्त इकाई) दिनांक : 27.02.2026

कार्यालय-ज्ञाप

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक मण्डल की 217वीं बैठक दिनांक 24.12.2025 की मद संख्या-217(8) में पारित निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं.-2433-कार्य/चौदह-पाकालि/2024 (वित्त इकाई) दिनांक 18.12.2024 द्वारा उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. के लेखों में प्रदर्शित आयों को विद्युत वितरण कम्पनियों में हस्तांतरित करने हेतु प्रदान किये आधार के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं आगामी वर्षों में म्युचुअल फण्ड में निवेश से होने वाली आय/लाभ एवं हानियों को विद्युत वितरण कम्पनियों में आवंटन करने हेतु निम्न आधार निर्धारित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	आय का विवरण	आधार
1.	Income/Profit and loss from Mutual Funds	The income/profit and loss arising from investment made in mutual funds shall be allocated to the DISCOMs in proportion to their revenue from operations of the previous financial year and Director (Finance) and DGM (Fund) be and is hereby severally authorized to issue necessary directions to Discoms in relation thereto.

कार्यालय ज्ञाप सं. 2433-कार्य/चौदह-पाकालि/2024 (वित्त इकाई) दिनांक 18.12.2024 के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

Capacity Building Unit (CBU) का गठन

संख्या : I/43176/2026-ज.श. प्र.सु. एवं प्रशि.-01/CN-95563 दिनांक : 28.02.2026

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यात्मक क्षमता, कार्यक्षेत्र एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन और समय-समय पर बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित और सक्षम बनाने के लिए जारी Standard Operating Procedure (SoP) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. (विभाग) स्तर पर एतद्द्वारा Capacity Building Unit (CBU) का गठन किया जाता है जिसका स्वरूप निम्नवत् है :-

क्र.सं.	पदनाम	CBU के अन्तर्गत पद विवरण
1.	निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.), उ.प्र.पा.का.लि.।	अध्यक्ष (Head)
2.	मुख्य अभियन्ता (रेस्पो), उ.प्र.पा.का.लि.।	सदस्य
3.	उप महाप्रबंधक (लेखा एवं प्रशा.), उ.प्र.पा.का.लि.।	सदस्य
4.	निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।	सदस्य सह सचिव

Capacity Building Unit (CBU) की Roles and Responsibilities निम्नानुसार होगी :-

1. The Departmental CBU will serve as the Department's nodal body for all training, competency development and Capacity Building Plan (CBP) related activities.
2. Lead the preparation, implementation, monitoring and periodic review of the Department's Capacity Building Plan in alignment with State priorities.
3. Oversee the onboarding and training of all departmental employees on iGOT Karmayogi Platform and ensure timely completion of online courses and participation in offline workshops/training.
4. Department will liaise with ATIs and State Capacity Building Unit for necessary support required from time to time.
5. Conduct weekly/fortnightly meetings to track CBP progress and address any operational bottlenecks.
6. Reports monthly to the State CBU for overall monitoring and coordination.

अध्यक्ष
उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.

गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में डिस्काम स्तर पर निलम्बित किये गये कार्मिकों की बहाली के सम्बन्ध में

संख्या : 10-काविनी एवं वे.प्र.-29/पाकालि/2026-35-वे.प्र.(30)/1999 (टी.सी.-4) दिनांक : 06.03.2026

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन के आदेश सं. I/8196/2025-ज.श. प्र.सु. एवं प्रशि.-01 दिनांक 07.04.2025 द्वारा गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में डिस्कॉम स्तर पर निलम्बित किये गये कार्मिकों को बहाली के समय उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. मुख्यालय को समर्पित किये जाने के आदेश किये गये हैं।

2. कारपोरेशन के आदेश सं. I/8196/2025-ज.श. प्र.सु. एवं प्रशि.-01 दिनांक 07.04.2025 के अनुसार कारपोरेशन मुख्यालय में समर्पित कॉमन कैडर के कार्मिकों को यात्रा भत्ता विषयक कारपोरेशनादेश सं. 995-काविनी एवं वे.प्र.-29/पाकालि/2020-35-वे.प्र.(30)/99 दिनांक 02.09.2020 के अन्तर्गत यात्रा भत्ते की अनुमन्यता एतद्द्वारा निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है :-

(I) निलम्बित कार्मिक को सेवा में बहाल कर समर्पित किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक सम्बद्धता स्थल पर ही उपस्थित रहेगा एवं ई-मेल के माध्यम से अपनी योगदान आख्या उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. (मु.) को प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. (मु.) के स्तर से नवतैनाती के आदेश किये जाने पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु समर्पित कार्मिक सम्बद्धता स्थल से नवतैनाती स्थल की ओर प्रस्थान करेगा। उक्त के दृष्टिगत सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व तैनाती स्थल से सम्बद्धता स्थल एवं सम्बद्धता स्थल से नवतैनाती स्थल तक की स्वयं की यात्रा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति वित्तीय नियमों के अनुसार की जायेगी।

(II) पूर्व तैनाती स्थल एवं नवतैनाती स्थल को संज्ञान में लेते हुए सम्बन्धित कार्मिक की अर्हता श्रेणी एवं वित्तीय नियमों के अनुसार मात्र एक बार एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट), घरेलू सामान की ढुलाई एवं उसके आश्रितों को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

उपरोक्तानुसार संगत प्रकरणों में कार्यवाही किया जाना अभीष्ठ है।

अध्यक्ष

नगरों के बाहरी इलाकों में स्थित अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत तंत्र निर्माण हेतु निर्धारित दर रु. 70 प्रति वर्ग फीट के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में

संख्या : 398/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक : 06.04.2026

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि.,
पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/ दर पुनरीक्षण—1
दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/
केस्को-कानपुर।

महोदया/महोदय,

अवगत हैं कि मा. उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के आदेश संख्या-1/2025 दिनांक 27.02.2025 द्वारा अनुमोदित तथा कारपोरेशन के पत्र सं.-984/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक 21.05.2025 (पत्र सं. 328/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक 18.03.2026 के माध्यम से यथासंशोधित) द्वारा लागू योजना के अनुसार अविकसित/अविद्युतीकृत कॉलोनियों में रु. 70 प्रति वर्ग फीट की दर से विद्युत तंत्र का निर्माण करते हुये विद्युत संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं।

मा. आयोग द्वारा लागू व्यवस्था के क्लॉज सं.-2(B)(ii) (After each year from the date of roll-out of the scheme, an escalation equivalent ot change in WPI of preceding 12 months shall be allowed on the current rate to compute development charge applicable for the subsequent year) के अनुपालन में विगत वर्ष (माह-फरवरी, 2025) के सापेक्ष माह-फरवरी, 2026 में WPI इंडेक्स में हुई वृद्धि (2.13%) के क्रम में वर्तमान में लागू दर रु. 70 प्रति वर्ग फीट को पुनरीक्षित करते हुये रु. 71.50 प्रति वर्ग फीट की नई दर अग्रिम आदेश/पुनरीक्षण तक निर्धारित की जाती है, जो कि दिनांक 07.04.2026 से लागू (प्रभावी) होगी। कारपोरेशन पत्र सं.-984/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक 21.05.2025 (पत्र सं.-328/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक 18.03.2026 के माध्यम से यथासंशोधित) में उल्लिखित अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत संयोजन निर्गत करने सम्बन्धी अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

अतः अपेक्षित है कि उपरोक्त पुनरीक्षण को डिस्कॉम के समस्त सम्बन्धित विभागों/इकाइयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचना, अभिलेख तथा आवश्यक अनुपालन हेतु उपलब्ध कराये जाने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक :- भवदीय
1. पत्र सं.-328/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक : 18.03.2026। ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी
2. पत्र सं.-984/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक : 21.05.2026। निदेशक (वितरण)

संख्या : 328/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक : 18.03.2026

विषय :- नगरों के बाहरी इलाकों में स्थित अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत तंत्र स्थापित करने से सम्बन्धित योजना में संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि.,
पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ/
दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/
केस्को-कानपुर।

महोदया/महोदय,

अवगत हैं कि मा. उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के आदेश संख्या-1/2025 दिनांक 27.02.2025 द्वारा अनुमोदित तथा कारपोरेशन के पत्र सं.-984/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक 21.05.2025 द्वारा लागू योजना के अनुसार अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं।

उक्त के क्रम में अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों के उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत मा. उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के पत्र सं. UPERC/Secy/D(D)/2026-1485 दिनांक : 06.03.2026 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेशन पत्र सं.-984/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक 21.05.2025 में उल्लिखित ''एक से दस आवेदन प्राप्त होने पर'' तथा ''कुल आवेदन/संयोजन दस से अधिक हो जाने पर'' के श्रेणीकरण को विलोपित करते हुये निम्न संशोधन किये जाते हैं :–

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
बिन्दु सं.–**1** : ऐसी चिन्हित कालोनियों के निवासियों/प्लॉट मालिकों द्वारा कनेक्शन के आवेदन करने पर निम्नानुसार धनराशि जमा की जानी होगी – (i) कास्ट डाटा बुक के अनुसार संयोजन राशि (प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी, विद्युत मीटर, 40 मीटर आरमर्ड सर्विस केबिल के सापेक्ष धनराशि एवं लेबर/ओवरहेड चार्जेज)।	बिन्दु सं.–**1** : ऐसी चिन्हित कालोनियों के निवासियों/प्लॉट मालिकों द्वारा कनेक्शन के आवेदन करने पर कॉस्ट डाटा बुक के अनुसार निम्न संयोजन राशि जमा की जानी होगी– (i) प्रोसेसिंग फीस (ii) सिक्योरिटी (प्री-पेड मीटर के अतिरिक्त अन्य मीटरों हेतु)। (iii) मीटरिंग चार्जेज़।
बिन्दु सं.–**4** : कालोनी से प्राप्त हुए कुल आवेदनों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार कनेक्शन दिये जायेंगे :- 1. एक से दस आवेदन प्राप्त होने पर – (i) यदि आवेदनकर्ता का प्लॉट/भवन, पहले से स्थापित एल.टी. लाइन के पोल (चाहे वह इसी योजना में स्थापित हो) से 250 मीटर के भीतर हो तो आवेदित विद्युत भार के अनुसार उचित क्षमता की आरमर्ड सर्विस केबिल लगाकर तथा परिसर पर (परन्तु परिसर के बाहर) प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाकर कनेक्शन दिया जायेगा। आरमर्ड सर्विस केबिल वर्तमान एल.टी. विद्युत तंत्र के अन्तिम पोल से सीधे उपभोक्ता के मीटर में संयोजित की जाएगी।	बिन्दु सं.–**4** : कालोनी के निवासियों/प्लॉट मालिकों (एक अथवा एक से अधिक) से आवेदन प्राप्त होने पर निम्नानुसार कनेक्शन दिये जायेंगे :- (i) आवेदित विद्युत भार के अनुसार उचित क्षमता की आरमर्ड सर्विस केबिल लगाकर तथा परिसर पर (परतु परिसर के बाहर) प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाकर कनेक्शन दिया जायेगा।
(ii) उक्त हेतु पहले से स्थापित एल.टी. लाइन के पोल से आवेदनकर्ता के प्लाट/भवन तक अधिकतम 08 पी.सी.सी. पोल लगाकर एवं उन पर आरमर्ड सर्विस केबल लगाकर कनेक्शन दिया जायेगा। यह पोल इस प्रकार लगाये जायें कि भविष्य में विद्युत तंत्र विकसित करने हेतु इनका प्रयोग किया	(ii) कनेक्शन दिए जाने हेतु एच.टी. एवं एल.टी. लाइन निर्माण अथवा क्षमतावृद्धि व ट्रांसफार्मर की स्थापना अथवा क्षमतावृद्धि सहित तंत्र का आवश्यक विकास बिन्दु सं. 3 में उल्लिखित विद्युतीकरण प्लान के अनुसार विभाग द्वारा किया जाएगा।

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
जा सके। इस हेतु उपरोक्त बिन्दु सं. 3 में उल्लिखित विद्युतीकरण प्लान के अनुसार कार्यवाही की जाये। (iii) पहले से स्थापित ट्रांसफार्मर में यदि संयोजित भार के अनुसार नये आवेदनों हेतु क्षमतावृद्धि आवश्यक है, तो ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 16 एवं 25 के.वी.ए. से 63 के.वी.ए., 63 के.वी.ए. से 100 के.वी.ए. तथा 100 के.वी.ए. से 250 के.वी.ए. तक की जा सकती है। एल.टी. लाईन को भी बदलकर अधिक क्षमता की एल.टी. लाईन स्थापित की जा सकती है।	
(2) कुल आवेदन/संयोजन दस से अधिक हो जाने पर— (i) बिन्दु सं. 4(1) के माध्यम से निर्गत विद्युत संयोजनों एवं नये आवेदनों को सम्मिलित करते हुये कुल आवेदनों कनेक्शनों की संख्या 10 से अधिक हो जाने पर उपरोक्त बिन्दु सं.-3 के अनुसार एच.टी. एवं एल.टी. लाइन निर्माण एवं ट्रांसफार्मर की स्थापना सहित तंत्र का विकास किया जाये तथा कनेक्शन दिए जाएं। (ii) यदि पूर्व में कालोनी के अन्तर्गत आरमर्ड केबिल के माध्यम से 250 मी. दूरी तक के कनेक्शन निर्गत किये गये हैं तो उन्हें भी इस नयी ए.टी. लाइन से जोड़ दिया जाए। इस हेतु विद्युत पोलों पर स्थापित आरमर्ड सर्विस केबिलों को हटाकर उपभोक्ता के परिसर के नजदीक अन्तिम पोल से उसके मीटर तक आरमर्ड सर्विस केबिल सामान्य संयोजन की तरह यथावत रखी जाये। इस प्रकार संयोजन में परिवर्तन के समय उपभोक्ता से पुनः आरमर्ड सर्विस केबिल की धनराशि नहीं ली जायेगी, क्योंकि यह धनराशि पूर्व में ही उपभोक्ता से ली जा चुकी है। (iii) उदाहरण हेतु यदि पूर्व में उपभोक्ता को आरमर्ड केबिल के माध्यम से 220 मी. की दूरी से कनेक्शन निर्गत किया गया था, परन्तु वर्तमान में एल.टी. तंत्र के निर्माण के बाद उसके परिसर के निकटतम पोल की दूरी 40 मी. हो गयी है, तो बिना मीटर में छेड़छाड़ किये हुये आरमर्ड केबिल को दूसरे	

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
सिरे (पोल पर) से काट कर पोल पर स्थापित डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जोड़कर कनेक्शन ऊर्जीकृत कर दिया जाये तथा शेष 160 मी आरमर्ड केबिल का उपयोग इस योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत अन्य कनेक्शन निर्गत करने में किया जाये।	
बिन्दु सं.—5 उपरोक्त बिन्दु सं.-4(2) के अनुसार कॉलोनी में निर्मित नये तंत्र से भविष्य में कालोनी के किसी अन्य प्लॉट मालिक/निवासी को कनेक्शन दिये जाने के लिए भी प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुसार रु. 70 प्रति वर्ग फीट की दर (अथवा नवीनतम प्रभावी दर) से धनराशि जमा कराकर कनेक्शन दिया जाए।	**बिन्दु सं.—5** कालोनी में निर्मित नये तंत्र से भविष्य में कालोनी के किसी अन्य प्लॉट मालिक/निवासी को कनेक्शन दिये जाने के लिए भी प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुसार रु. 70 प्रति वर्ग फीट की दर (अथवा नवीनतम प्रभावी दर) से धनराशि जमा कराकर कनेक्शन दिया जाएगा।

कारपोरेशन पत्र सं.-984/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक 21.05.2025 में उल्लिखित अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत संयोजन निर्गत करने सम्बन्धी अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

अतः अपेक्षित है कि उपरोक्त संशोधनों को डिस्कॉम के समस्त सम्बन्धित विभागों/इकाइयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचना, अभिलेख तथा आवश्यक अनुपालन हेतु उपलब्ध कराये जाने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक :-

1. पत्र सं.-984/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी दिनांक : 21.05.2025।

भवदीय

ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी

निदेशक (वितरण)

संख्या : 984/रेस्पो/एस-1/अविकसित कालोनी — दिनांक : 21.05.2025

विषय :- प्रदेश के जनपदों में नगर के बाहरी इलाकों में स्थित अविकसित/ अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत तंत्र स्थापित करने से सम्बन्धित योजना।

प्रबन्ध निदेशक,
समस्त विद्युत वितरण निगम लि.,
उ.प्र.पा.का.लि.।

महोदया/महोदय,

नगरों के बाहरी इलाकों में स्थित अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत तंत्र स्थापित कर उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु पूर्व में विभाग द्वारा रु. 35 प्रति वर्ग फुट प्लॉट क्षेत्रफल के आधार पर धनराशि जमा कराकर विद्युत तंत्र निर्माण कर संयोजन निर्गत करने की योजना उ.प्र. पावर कारपोरेशन के पत्रांक 58/पीपीएसडीडी/2019 दिनांक 29.06.2019 के माध्यम से लागू की गई थी। इस योजना में उपभोक्ताओं को आ रही समस्याओं के दृष्टिगत उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा प्रेषित योजना के सरलीकरण के प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 27.02.2025 को मा. विद्युत नियामक आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा सरलीकृत योजना

का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस सरलीकृत योजना के आधार पर नगर के बाहरी इलाकों में उपभोक्ताओं को अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में संयोजन निर्गत करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जाए :-

(1) ऐसी चिन्हित कालोनियों के निवासियों/प्लॉट मालिकों द्वारा कनेक्शन के आवेदन करने पर निम्नानुसार धनराशि जमा की जानी होगी :-

(i) कास्ट डाटा बुक के अनुसार संयोजन राशि (प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी, विद्युत मीटर, 40 मीटर आरमर्ड सर्विस केबिल के सापेक्ष धनराशि एवं लेबर/ओवरहेड चार्जेज)।

(ii) जिस प्लॉट/मकान/सम्पत्ति पर कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है उसकी रजिस्ट्री के अनुसार प्लॉट के क्षेत्रफल के आधार पर रु. 70 प्रति वर्ग फीट की दर (या नयी लागू दर बिन्दु सं.-21 के अनुसार) यह राशि विद्युत तंत्र निर्माण की धनराशि के सापेक्ष होगी।

(2) तंत्र निर्माण की धनराशि कालोनी के किसी भी प्लॉट/भवन/सम्पत्ति में दिए जाने वाले पहले संयोजन के लिए तथा एक ही बार जमा कराई जाएगी। उसी प्लॉट/भवन/सम्पत्ति पर एक से अधिक संयोजन लेने या लोड बढ़वाने के लिए तंत्र निर्माण की धनराशि पुनः जमा नहीं कराई जाएगी, किन्तु कास्ट डाटा बुक के अनुसार अन्य आवश्यक धनराशि जमा करायी जायेगी। तंत्र निर्माण की राशि उक्त चिन्हित कालोनी के प्रत्येक प्लॉट/मकान/सम्पत्ति मालिक/आवेदनकर्ता से जमा करायी जायेगी, भले ही वहाँ पर पूर्व आवेदनों के क्रम में विभागीय व्यय पर विद्युतीकरण हो गया हो।

(3) इस योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनी का सर्वे कर सर्वप्रथम कालोनी की सीमाएं/विस्तार निर्धारित किए जाएं। यदि अधिकतम 500 मीटर एच.टी. एवं 250 मी. एल.टी. लाइन का निर्माण कर तथा 11/0.4 के.वी. ट्रांसफार्मर लगाकर कालोनी के सभी अथवा बड़ी संख्या में प्लाटों पर कनेक्शन दिया जा सकता हो, तो प्लॉटों पर विद्युतीकरण का प्लान तैयार कर लिया जायेगा। इस हेतु विद्युतीकरण प्लान पर बिन्दु सं.12 के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। आवेदकों की कम संख्या अथवा Scattered distribution (छितरे हुए प्लॉट) के दृष्टिगत यदि एच.टी. या एल.टी. विद्युत तंत्र का विकास करना तत्समय आवश्यक/सम्भव न हो तो मात्र पोल लगाकर आरमर्ड केबिल के माध्यम से कनेक्शन निर्गत किए जायेंगे। जैसे-जैसे आवेदकों की संख्या बढ़ेगी तो उस क्षेत्र का ससमय विद्युतीकरण प्लान तैयार कर लिया जायेगा। यदि किसी अविकसित/अविद्युतीकरण कालोनी का विद्युतीकरण प्लान नहीं बन सकता है, तो उस निर्णय का अनुमोदन भी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) द्वारा दिया जायेगा।

(4) कालोनी से प्राप्त हुए कुल आवेदनों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार कनेक्शन दिये जायेंगे :-

(1) एक से दस आवेदन प्राप्त होने पर :-

(i) यदि आवेदनकर्ता का प्लॉट/भवन, पहले से स्थापित एल.टी. लाइन के पोल (चाहे वह इसी योजना में स्थापित हो) से 250 मीटर के भीतर हो तो आवेदित विद्युत भार के अनुसार उचित क्षमता की आरमर्ड सर्विस केबिल लगाकर तथा परिसर पर (परन्तु परिसर के बाहर) प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाकर कनेक्शन दिया जायेगा। आरमर्ड सर्विस केबिल वर्तमान एल.टी. विद्युत तंत्र के अन्तिम पोल से सीधे उपभोक्ता के मीटर में संयोजित की जाएगी।

(ii) उक्त हेतु पहले से स्थापित एल.टी. लाइन के पोल से आवेदनकर्ता के प्लाट/भवन तक अधिकतम 08 पी.सी.सी. पोल लगाकर एवं उन पर आरमर्ड सर्विस केबल लगाकर कनेक्शन दिया जायेगा। यह पोल इस प्रकार लगाये जायें कि भविष्य में विद्युत तंत्र विकसित करने हेतु इनका प्रयोग किया जा सके। इस हेतु उपरोक्त बिन्दु सं. 3 में उल्लिखित विद्युतीकरण प्लान के अनुसार कार्यवाही की जाये।

(iii) पहले से स्थापित ट्रांसफार्मर में यदि संयोजित भार के अनुसार नये आवेदनों हेतु क्षमतावृद्धि आवश्यक है, तो ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 16 एवं 25 के.वी.ए. से 63 के.वी.ए., 63 के.वी.ए. से 100 के.वी.ए. तथा 100 के.वी.ए. से 250 के.वी.ए. तक की जा सकती है। एल.टी. लाईन को भी बदलकर अधिक क्षमता की एल.टी. लाईन स्थापित की जा सकती है।

(2) कुल आवेदन/संयोजन दस से अधिक हो जाने पर :-

(i) बिन्दु सं.-4(1) के माध्यम से निर्गत विद्युत संयोजनों एवं नये आवेदनों को सम्मिलित करते हुये कुल आवेदनों/कनेक्शनों की संख्या 10 से अधिक हो जाने पर उपरोक्त बिन्दु सं. 3 के अनुसार एच.टी. एवं एल.टी. लाइन निर्माण एवं ट्रांसफार्मर की स्थापना सहित तंत्र का विकास किया जाये तथा कनेक्शन दिए जाएं।

(ii) यदि पूर्व में कालोनी के अन्तर्गत आरमर्ड केबिल के माध्यम से 250 मी. दूरी तक के कनेक्शन निर्गत किये गये हैं तो उन्हें भी इस नयी ए.टी. लाइन से जोड़ दिया जाए। इस हेतु विद्युत पोलों पर स्थापित आरमर्ड सर्विस केबिलों को हटाकर उपभोक्ता के परिसर के नजदीक अन्तिम पोल से उसके मीटर तक आरमर्ड सर्विस केबिल सामान्य संयोजन की तरह यथावत रखी जाये। इस प्रकार संयोजन में परिवर्तन के समय उपभोक्ता से पुनः आरमर्ड सर्विस केबिल की धनराशि नहीं ली जायेगी, क्योंकि यह धनराशि पूर्व में ही उपभोक्ता से ली जा चुकी है।

(iii) उदाहरण हेतु यदि पूर्व में उपभोक्ता को आरमर्ड केबिल के माध्यम से 200 मी. की दूरी से कनेक्शन निर्गत किया गया था, परन्तु वर्तमान में एल.टी. तंत्र के निर्माण के बाद उसके परिसर से निकटतम पोल की दूरी 40 मी. हो गयी है, तो बिना मीटर में छेड़छाड़ किये हुये आरमर्ड केबिल को दूसरे सिरे (पोल पर) से काट कर पोल पर स्थापित डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जोड़कर कनेक्शन ऊर्जीकृत कर दिया जाये तथा शेष 160 मी. आरमर्ड केबिल का उपयोग इस योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत अन्य कनेक्शन निर्गत करने में किया जाये।

(5) उपरोक्त बिन्दु सं.-4 (2) के अनुसार कालोनी में निर्मित नये तंत्र से भविष्य में कालोनी के किसी अन्य प्लॉट मालिक/निवासी को कनेक्शन दिये जाने के लिए भी प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुसार रु. 70 प्रति वर्ग फीट की दर (अथवा नवीनतम प्रभावी दर) से धनराशि जमा कराकर कनेक्शन दिया जाए।

(6) इस प्रक्रिया से घरेलू, वाणिज्यक, निजी/सार्वजनिक संस्थान तथा औद्योगिक (LMV-01, 02, 04 & 06) प्रकार के कनेक्शन दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कालोनी में अस्थाई संयोजन (LMV-09) भी दिये जा सकते हैं। अस्थाई संयोजन के लिए भी प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुसार रु. 70 प्रति वर्ग फीट की दर (अथवा नवीनतम प्रभावी दर) से धनराशि जमा करायी जाए। भविष्य में सम्बन्धित प्लॉट मालिक द्वारा स्थाई संयोजन के लिए आवेदन करने पर तंत्र निर्माण की धनराशि पुनः जमा नहीं करायी जायेगी किन्तु नियमानुसार स्थाई संयोजन की राशि जमा कराई जायेगी।

(7) यदि पूर्व में कालोनी के निवासियों/प्लॉट मालिकों द्वारा अस्थाई व्यवस्थाओं से संयोजन लिये गये हैं, तो ऐसे निवासियों में भी रु. 70 प्रति वर्ग फीट की दर (अथवा नवीनतम प्रभावी दर) से धनराशि जमा कराकर नये तंत्र से जोड़ा जायेगा। बिन्दु सं. 3 के अनुसार किये जाने वाले सर्वे में अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनी की बाउण्ड्री क्षेत्र में स्थित अस्थायी तंत्र से पूर्व निर्गत संयोजनों को भी अंकित किया जायेगा। ऐसे निवासियों द्वारा तंत्र निर्माण की धनराशि जमा न करने पर यह धनराशि उनके विद्युत बिलों में जोड़ते हुए वसूल की जायेगी।

(8) ऐसे निवासी जिनके द्वारा पूर्व में लागू योजना के अनुसार रु. 35 प्रति वर्ग फीट की दर से धनराशि जमा की जा चुकी है उनसे कोई भी अतिरिक्त धनराशि जमा नहीं करायी जायेगी।

(9) यह योजना सभी अविकसित कालोनियों/प्लॉटिंग क्षेत्रों के लिए होगी। ऐसी अविकसित कालोनियों/प्लॉटिंग क्षेत्रों में आंशिक विद्युतीकरण/निजी संयोजनों के लिए पूर्ण जमा मद को प्रतिबन्धित किया जाता है। यदि विकासकर्ता द्वारा कालोनी के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए आवेदन किया जाता है तो पूर्ण जमा मद में विद्युतीकरण कराया जा सकता है। विकास प्राधिकरणों/हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों में यह योजना लागू नहीं होगी।

(10) ऐसे विकासकर्ता की भूमि जिसने प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर विकास कार्य के लिए धन लिया हो लेकिन विकासकर्ता बीच में ही अविकसित भूमि को छोड़कर चला गया हो, तो वहां भी आवेदकों को इस योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत कनेक्शन दे दिया जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परिस्थिति में आवेदकों को बिन्दु संख्या-1 के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी।

(11) कालोनी में किये जाने वाले विद्युतीकरण में विद्युत उपकरणों पर कलर कोडिंग की जायेगी। समस्त विद्युत खम्भों पर 80 mm चौड़ाई की 03 पट्टिकाएं (लाल रंग से चारों बिम पर) Non-washable (Preferably Epoxy based) Paint से बनाई जाएंगी। यह पट्टिकाएं खम्भे के आधार से 4.5 मीटर की ऊँचाई पर बनाई जाएंगी तथा इनके बीच में 30 mm का Gap भी रखा जाए (ड्राइंग संलग्न)। इस प्रकार इन कालोनियों हेतु विकसित तंत्र को पृथक रूप से चिन्हित किया जा सकेगा एवं भविष्य में इस तंत्र से कनेक्शन निर्गत करने में योजना के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक राशि जमा कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(12) इस योजना के अधीन अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में दिये जाने वाले संयोजनों एवं एच.टी. व एल. टी. के विद्युत तंत्र निर्माण में योजना के नियमों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) का होगा।

(13) उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार कालोनी के सभी आवेदनकर्ताओं/उपभोक्ताओं से संयोजन राशि सहित तंत्र निर्माण की धनराशि जमा कराने के लिए उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे :-

(i) अवर अभियन्ता (वितरण) – मुख्य उत्तरदायित्व

(ii) उपखण्ड अधिकारी (वितरण) – पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व

(iii) अधिशासी अभियन्ता (वितरण) – प्रशासकीय उत्तरदायित्व एवं नियमित अनुश्रवण

(14) इस योजना में कनेक्शन दिये जाने के लिए आवेदित विधा/भार के आधार पर कारपोरेशन के आदेश संख्या-1330-कार्य/चौदह-पाकालि/2024/138-के-2011/निदेशक (वाणिज्य) दिनांक 10.07.2024 (संलग्न) के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित अभियन्ता/अधिकारी अधिकृत होंगे :-

क्र.सं.	अभियन्ता का पदनाम	विधा	भार स्वीकृति अधिकार
(i)	अवर अभियन्ता (वि.)	घरेलू तथा एकल वाणिज्यिक दुकान (LMV-1 & LMV-2)	04 KW तक
(ii)	उपखण्ड अधिकारी अथवा सहा. अभि. (वि.)	घरेलू तथा एकल वाणिज्यिक दुकान (LMV-1 & LMV-2)	05-25 KW तक
		अन्य वाणिज्यिक, सार्वजनिक अथवा निजी संस्थान, औद्योगिक तथा अस्थायी (LMV-2, 4, 6 & 9)	25 KW तक
(iii)	अधिशासी अभियन्ता (वि.)	घरेलू, वाणिज्यिक, सार्वजनिक अथवा निजी संस्थान, औद्योगिक तथा अस्थायी (LMV-1, 2, 4, 6 & 9)	25 KW से अधिक तथा 3,600 KW तक

(15) योजनान्तर्गत कालोनियों में निर्गत संयोजनों एवं तंत्र विकास से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड वितरण खण्ड कार्यालय स्तर पर ई-ऑफिस पर पृथक पत्रावली में ही रखे जायेंगे। योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु अधिशासी अभियन्ता (वि.) द्वारा मासिक रूप से निम्नलिखित विवरण उक्त पत्रावली पर अपडेट कराया जाएगा :-

क्र. सं.	कालोनी का प्रचलित नाम	कालोनी में विद्युतीकरण की अद्यतन स्थिति				
		प्रथम संयोजन निर्गत करने की तिथि	कुल निर्गत संयोजनों की संख्या	तंत्र विकास हेतु जमा की गयी कुल धनराशि (रु. लाख में)	तंत्र विकास में प्रयुक्त कुल धनराशि (रु. लाख में)	तंत्र विकास में प्रयुक्त धनराशि एवं जमा की गयी धनराशि का अन्तर (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7 (=5–6)

(16) इस योजना का प्रयोग ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विद्युत तंत्र विकसित करने में नहीं किया जायेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य पृथक योजनाओं के माध्यम से किये जाते हैं।

(17) इस योजना की शर्तों के विरुद्ध इन कालोनियों में संयोजन निर्गत करने/स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी/अधिकारक सीधे उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(18) योजना को सफल रूप से लागू करने के लिए तथा उचित लेखांकन के लिए आई.टी. प्रणाली से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

(i) योजना का ई.आर.पी. पर एक अलग मद (Head (Code-UNDEVCOL_70) बनाया जाएगा तथा सभी तंत्र निर्माण कार्यों को इसी मद में दर्ज किया जायेगा। ARR में इस विवरण का अलग से उल्लेख किया जाना है।

(ii) योजना के अन्तर्गत कनेक्शन के आवेदन के लिए झटपट पोर्टल पर भौगोलिक स्थिति (विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत) के चयन हेतु Check Box की व्यवस्था की जायेगी।

(iii) बिलिंग साफ्टवेयर में इन संयोजनों को अलग से चिन्हित करने की व्यवस्था की जायेगी।

(19) तंत्र विकास/सुदृढ़ीकरण हेतु वांछित धनराशि आवेदनकर्ताओं से प्राप्त कुल धनराशि से कम होने की स्थिति में तंत्र विकास हेतु अनुमानित वार्षिक अतिरिक्त वांछित धनराशि की व्यवस्था बिजनेस प्लान (BP) मद में कर कार्य का सम्पादन करा लिया जाए। इस व्यवस्था का उचित लेखा-जोखा रखा जाये। कालोनी से अतिरिक्त संयोजनों के आवेदन तथा राशि प्राप्त होने की स्थिति में तद्नुसार BP मद में समायोजन कर लिया जाए। यदि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अंत तक कालोनी में तंत्र विकास हेतु BP मद से प्रयोग की गयी अतिरिक्त राशि कालोनी से प्राप्त नहीं होती है तो इस राशि की प्राप्ति Capex के रूप में ARR के माध्यम से की जाए।

(20) योजना के अन्तर्गत तंत्र निर्माण के लिए जमा की जाने वाली धनराशि की दर रु. 70 प्रति वर्ग फीट, प्रत्येक वर्ष अपडेट की जायेगी। यह नवीन दर पिछले 12 माह के WPI (Wholesale Price Index) के अनुसार तय की जायेगी।

(21) रु. 70 प्रति वर्ग फीट की उपरोक्त दर, योजना लागू होने की तिथि (27.02.2025) से एक वर्ष के लिए अर्थात् माह फरवरी 2026 के अन्त तक अथवा इस दर के परिवर्तन हेतु जारी होने वाले आदेश तक लागू रहेगी।

(22) इस योजना के क्रियान्वयन में बड़ी मात्रा में आरमर्ड सर्विस केबिल की आवश्यकता होगी। अतः अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनी की भौगोलिक स्थिति एवं प्लाटों के क्षेत्रफल के अनुसार संयोजनों के

अनुमानित विद्युत भार के आधार पर विभिन्न साइज के आरमर्ड सर्विस केबिल क्रय कर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक :-

1. पोल ड्राइंग
2. पावर कारपोरेशन आदेश सं. 1330-कार्य/चौदह-पाकालि/2024/138-के-2011/निदेशक (वाणिज्य) दिनांक 10.07.2024।

भवदीय
ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी
निदेशक (वितरण)

संख्या : 984/रेस्पो/एस-1/अविसित कालोनी दिनांक : 21 मई, 2025

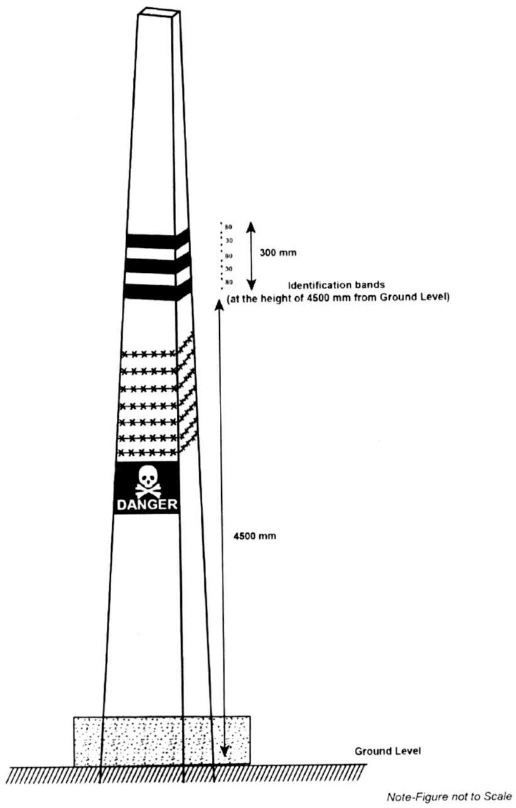

Identification of Poles in Undeveloped colony

संख्या : 1330-कार्य/चौदह-पाकालि/2024/138-के-2011/निदेशक (वाणिज्य) दिनांक : 10.7.2024

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा विकास प्राधिकरणों, प्राईवेट निर्माताओं, प्रमोटर्स, कालोनी निर्माता, संस्थानों एवं व्यक्तिगत आवेदकों द्वारा विकसित किये जाने वाले बहुमंजिला भवनों अथवा कालोनियों में विद्युत संरचना (Electrical Infrastructure) के लिए भार स्वीकृति अथवा अतिरिक्त भार स्वीकृति हेतु तथा व्यक्तिगत आवेदकों को नये

संयोजनों की भार स्वीकृति अथवा भार वृद्धि हेतु पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुये निम्नवत् आदेश निर्गत किये जाते हैं :—

1.(A) **बहुमंजिला भवन अथवा कालोनी :**

(a) बहुमंजिला भवन से अभिप्राय बेसमेंट (किसी भवन का वह भाग जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जमीनी स्तर से नीचे हो) को छोड़कर चार मंजिल से अधिक मंजिलों (भूतल सहित) वाले भवन से है, परन्तु Stilt Floor (भूतल पर चारों ओर से खुला स्थान जहाँ आमतौर पर पार्किंग सहित एक जनरेटर कक्ष, स्विच रूम आदि होते हैं) मंजिलों की गिनती में सम्मिलित होगा।

(b) समस्त घरेलू, गैर-घरेलू बहुमंजिला भवनों अथवा कालोनियों में निजी स्वामियों अथवा निवासियों को विद्युत आपूर्ति हेतु नये संयोजन, बहु-बिन्दु (Multi-point) पर ही अवमुक्त किये जायेंगे।

(c) मल्टीप्लेक्स, वैवाहिक हॉल एवं सेन्ट्रलाइज्ड एयरकन्डीशंड भवनों में एकल बिन्दु (Single-point) पर भी संयोजन दिया जा सकता है।

(d) इस कार्यालय ज्ञाप हेतु विद्युत संरचना (Electrical Infrastructure) का अर्थ अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) के विद्युत उपकेन्द्र (220/132/33 के.वी. अथवा 33/11 के.वी. अथवा 11/0.4 के.वी.) से व्यक्तिगत भवन स्वामी के परिसर तक समस्त विद्युत संरचना से है।

(B) विद्युत संरचना (Electrical Infrastructure) भार स्वीकृति हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

(a) घरेलू, गैर-घरेलू बहुमंजिला भवनों अथवा कालोनियों में विद्युत संरचना के भार की स्वीकृति हेतु आवेदक अर्थात् विकासकर्ता द्वारा स्वयं अथवा उचित अधिकार पत्र सहित अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन डिस्कॉम के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को प्रस्तुत किया जायेगा।

नोट :- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वह नामित व्यक्ति होता है जिसे किसी पंजीकृत सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी (LLC), हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) अथवा कम्पनी की ओर से, व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया हो।

(b) विकासकर्ता अथवा विकासकर्ता के अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन के साथ निम्न स्वः प्रमाणित (Self Attested) प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे :—

(i) अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के प्रकरण में समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति के नाम पर प्राधिकार-पत्र।

(ii) बहुमंजिला भवन अथवा कालोनी का सम्बन्धित विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित मानचित्र

अथवा

पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित मानचित्र

अथवा

प्रमाणित मानचित्र के अभाव वाले प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वः प्रमाणित मानचित्र।

(iii) नोटराइज्ड शपथ-पत्र जिसमें आवेदक द्वारा निम्न वर्णन किया जायेगा कि :—

- आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वः प्रमाणित मानचित्र में जो भी निर्मित क्षेत्रफल (Constructed Area) दर्शाया गया है, उससे अधिक का निर्माण नहीं कराया जायेगा। यदि कभी यह पाया जाता है कि अधिक क्षेत्रफल का निर्माण किया गया है, उस स्थिति में विकासकर्ता आवश्यक विद्युत संरचना (अतिरिक्त भार हेतु) बनाने के लिये उत्तरदायी होगा।

- सक्षम प्राधिकरण की आपत्ति अथवा विध्वंस हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जायेगी एवं इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा तथा वह किसी भी प्रकार की धनराशि अथवा सामग्री की वापसी का दावा नहीं कर सकेगा।
- आवेदक द्वारा लाईसेंसी के आपूर्ति बिन्दु से इनकमिंग सप्लाई पर रेफरेन्स मीटर तक की विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) को बिना किसी भुगतान या किसी प्रकार के व्यय की वापसी का दावा किये, डिस्कॉम को हस्तान्तरित किया जायेगा।
- विद्युतीकरण हेतु आवेदित भू-भाग अथवा स्थान पर वर्तमान में विद्युत देय का कोई बकाया नहीं है। यदि कोई विद्युत बकाया भविष्य में संज्ञानित होता है, तो उसका भुगतान शपथकर्ता द्वारा किया जायेगा।
- इनकमिंग सप्लाई बिन्दु के पश्चात् समस्त आन्तरिक वायरिंग में तथा आन्तरिक प्रणाली में कमी अथवा उत्पन्न दोष निवारण हेतु अनुरक्षण कार्य का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
- खराब होने पर ट्रांसफार्मर का अनुरक्षण/बदलने का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
- बस बार, वितरण बक्सों एवं मीटर कक्ष का सुचारू रूप से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड (Electrically Insulated) होना तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित करने का दायित्व शपथकर्ता का होगा।

(iv) विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) का सिंगल लाइन डायग्राम (SLD) जिसमें प्रत्येक सामग्री की संख्या, मात्रा, टेक्नीकल स्पेसीफिकेशन (Technical Specifications) और क्षमता आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। विद्युतीकरण के कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक सामग्री डिस्कॉम द्वारा अनुमोदित गारंटीड टेक्नीकल पर्टीकुलर्स (Guaranteed Technical Particulars-GTP) के अनुसार ही होनी चाहिए।

(v) बस बार के प्राविधान तथा रेफरेन्स मीटर के स्थान सहित बहु बिन्दु आपूर्ति के लिये विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) का विस्तृत प्लान।

(vi) भार के अनुरूप प्रक्रमण शुल्क (Processing Fee) तथा ड्राइंग अनुमोदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा वितरण खण्ड के बैंक खाते में (यू.पी.आई., इनटरनेट बैंकिंग, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड अथवा काउन्टर जमा पर्ची के माध्यम से) जमा करने का साक्ष्य।

(vii) विद्युत संरचना में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का क्रय एस्टीमेट, मेक एवं परिवर्तकों की गारण्टी डिस्कॉम को उपलब्ध कराने तथा निर्दिष्ट कार्यों का संतोषजनक रूप से पूर्ण कर हस्तान्तरित होने तक कार्यस्थल पर उपलब्ध लाइनों और परिवर्तक आदि के समुचित रख-रखाव हेतु सहमति पत्र।

(viii) भूमि के स्वामित्व, पट्टा-विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी अथवा वैध अधिग्रहण से सम्बन्धित दस्तावेज।

(ix) आवेदक द्वारा पूर्ण जमा योजना अथवा सुपरविजन चार्ज जमा कर स्वयं विद्युतीकरण कराने का स्पष्ट उल्लेख आवेदन के समय ही किया जायेगा। पूर्ण जमा योजना में प्राक्कलन धनराशि जमा करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब की स्थिति में भी आवेदक सुपरविजन चार्ज जमा कर स्वयं विद्युतीकरण करा सकता है, ऐसी स्थिति में डिस्कॉम द्वारा आवेदक को सुपरविजन चार्ज व जी.एस.टी. (GST) के अतिरिक्त प्राक्कलन की शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी। सुपरविजन चार्ज जमा कर आवेदक द्वारा स्वयं विद्युतीकरण का कार्य डिस्काम में सूचीबद्ध (Empanelled) ठेकेदार से ही कराना होगा।

(C) विद्युत भार का आंकलन व स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही :-

(a) निर्मित क्षेत्र (Constructed Area) की गणना निम्नवत् की जायेगी :–

(i) कालोनी	प्लाट एरिया x एफ.ए.आर. (FAR) (दोनों आंकड़े उपलब्ध कराये गये मानचित्र अनुसार)
(ii) घरेलू/गैर घरेलू बहुमंजिला भवन	उपलब्ध कराये गये मानचित्र अनुसार

(i) प्लाट एरिया से आशय कालोनी में रोड, पार्क आदि को छोड़कर भवन निर्माण हेतु उपलब्ध एरिया से है तथा एफ.ए.आर. (फ्लोर एरिया रेशियो) इंगित करता है कि किसी भू-भाग पर कितना निर्माण किया जा सकता है।

(ii) निर्मित क्षेत्र की गणना में कार पार्किंग, सीढ़ी तथा बालकनी के क्षेत्र का 50 प्रतिशत क्षेत्र ही आंकलित होगा। पानी की टंकी व छज्जा प्रोजेक्शन का क्षेत्र निर्मित क्षेत्र की गणना में सम्मिलित नहीं होगा।

(iii) यदि स्वीकृत प्लान के अनुसार एक ही परिसर में दो उससे अधिक भवन हैं तो निर्मित क्षेत्र की गणना में सभी भवनों के निर्मित क्षेत्रफल को जोड़ा जायेगा।

(b) विद्युत भार का आंकलन निम्न मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा (विद्युत प्रदाय संहिता-2005 के संलग्नक 4.6 के अनुसार) :–

(i) भार = निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी.) x [0.5 (घरेलू हेतु) या 1.5 (गैर घरेलू हेतु)]/10 x डायवर्सिटी फैक्टर KW

(ii) घरेलू – 500 वाट प्रति 10 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र या अपेक्षित भार, जो भी अधिक हो।

(iii) वाणिज्यिक – 1500 वाट प्रति 10 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र या अपेक्षित भार, जो भी अधिक हो।

(iv) अधिकतम भार की गणना हेतु विविध कारक (डायवर्सिटी फैक्टर) निम्नवत् हैं :–

घरेलू क्षेत्र	–	0.50
गैर घरेलू क्षेत्र	–	0.75

(v) उक्त भार में लिफ्ट की मोटर, जलापूर्ति की मोटर, स्ट्रीट लाइट, यदि कोई हो, कॉरिडोर, कैम्पस लाइटिंग एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का वास्तविक भार जोड़ा जायेगा।

(vi) भार की गणना में उपरोक्त बिन्दु सं. (v) में लिये गये क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(D) विद्युत संरचना (Electrical Infrastructure) भार की स्वीकृति हेतु अधिकारियों को निम्नवत् अधिकार प्रदान किये जाते हैं :–

क्र.सं.	स्वीकर्ता अधिकारी	भार स्वीकृति अधिकार (KW/KVA)
(i)	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	3,600 KW अथवा 4,000 KVA तक
(ii)	अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)	3,600 KW अथवा 4,000 KVA से अधिक

(E) प्राक्कलन :–

(a) विद्युत संरचना (Electrical Infrastructure) हेतु भार स्वीकृति के साथ ही सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा विद्युत संरचना (लाईसेंसी के आपूर्ति बिन्दु से इनकमिंग सप्लाई पर रेफरेन्स मीटर तक) के सिंगल लाइन डायग्राम की स्वीकृति भी प्रदान की जायेगी, तत्पश्चात् अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा प्राक्कलन तैयार कराया जायेगा।

(b) विद्युत संरचना के विकास अथवा विस्तार हेतु प्राक्कलन में आंकलित विद्युत भार के समरूप या समकक्ष मानकीकृत अथवा विद्युत वितरण निगम द्वारा क्रय की जा रही क्षमता के उपकरणाों एवं सामग्री का

ही प्राविधान किया जायेगा। किसी भी दशा में ये उपकरण वितरण निगम द्वारा प्रयुक्त उपकरणों से निम्न मानक व गुणवत्ता के नहीं होंगे।

(c) ऊर्जा खपत एवं ऊर्जा ह्रास की समुचित गणना हेतु निम्न स्थानों पर मीटर स्थापित किये जायेंगे :-

(i) HT विभव की इनकमिंग सप्लाई पर रेफरेन्स मीटर।

(ii) प्रत्येक ट्रांसफार्मर की LT साईड पर।

(d) 11 KV अथवा उससे अधिक विभव पर इनकमिंग सप्लाई तथा ट्रांसफार्मर की LT पर उचित क्षमता के सर्किट ब्रेकर लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा इसका सम्पूर्ण व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

(F) प्राक्कलन का भुगतान :–

(a) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा निर्गत नियम व शर्तों (Terms & Conditions) के सापेक्ष देय धनराशि का भुगतान विकासकर्ता द्वारा अधिकतम 90 दिनों में किया जायेगा।

(b) विकासकर्ता द्वारा ही विद्युत संरचना के विकास हेतु सम्पूर्ण व्यय वहन किया जायेगा। यदि विकासकर्ता स्वयं फीडर का निर्माण कराना चाहता है तो उसे नियमानुसार सुपरविजन चार्ज जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान की जायेगी। निर्माण हेतु आंकलित व्यय का शत-प्रतिशत प्राप्त होने पर ही डिस्कॉम द्वारा निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(G) निर्माण कार्य हेतु अस्थायी विद्युत संयोजन :–

(a) बहुमंजिला भवन अथवा कालोनी के निर्माण कार्य के लिए आवेदक अस्थायी संयोजन के लिये पृथक आवेदन करेगा। यह अस्थायी संयोजन निर्माण की प्रस्तावित अवधि अथवा प्रथम चरण में अधिकतम दो वर्ष के लिए स्वीकृत किया जायेगा। निर्माण कार्य में अधिक समय लगने की स्थिति में स्वीकृत समयावधि पूर्ण होने के पूर्व ही अस्थायी संयोजन की अवधि विस्तार हेतु प्रार्थना-पत्र देना होगा।

(b) अस्थायी संयोजन का भार कुल विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) हेतु आगणित भार के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा यह अस्थायी संयोजन मीटर लगाकर ही अवमुक्त किया जायेगा।

(H) बहुमंजिला भवनों, कालोनी में बहुबिन्दु संयोजन :–

(a) प्रत्येक व्यक्तिगत आवेदक (Individual Applicant) द्वारा आवेदन सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी तथा संयोजन हेतु आवश्यक धनराशि (प्रोसेसिंग फीस, प्रतिभूति धनराशि, मीटर का मूल्य, लाइन चार्ज आदि) का भुगतान करना होगा।

(b) प्रत्येक भावी उपभोक्ता को उसकी आवश्यकतानुसार संयोजन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई टेक्नीकल फीजिबिलिटी रिपोर्ट (TFR) की आवश्यकता नहीं होगी।

(c) विकासकर्ता अथवा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) द्वारा मिश्रित/कॉमन सुविधाओं के संयोजन हेतु पृथक आवेदन व भुगतान किया जायेगा।

(d) बहुमंजिला भवनों में सभी एनर्जी मीटर भूतल अथवा अधोतल पर लगाये जायेंगे। मीटर लगाने के लिये विकासकर्ता द्वारा पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

(I) विद्युत प्रणाली को डिस्कॉम को हस्तान्तरित करने के पश्चात् विकासकर्ता, विकास प्राधिकरण, RWA आदि के दायित्व :–

(a) आन्तरिक वायरिंग तथा आंतरिक प्रणाली में कमी अथवा उत्पन्न दोष निवारण हेतु अनुरक्षण कार्य करना।

(b) खराब होने पर ट्रांसफार्मर का अनुरक्षण/बदलना।

(c) बस बार, वितरण बक्सों एवं मीटर कक्ष का सुचारू रूप से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड (Electrically Insulated) होना तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित करना।

2. **व्यक्तिगत आवेदन** (Individual Application) :—

(a) व्यक्तिगत आवेदक (Individual Applicant) को नये संयोजन हेतु भार स्वीकृत करने अथवा विद्यमान संयोजनों पर भार वृद्धि करने हेतु अभियन्ताओं को निम्नवत् अधिकार प्रदान किये जाते हैं :—

क्र.सं.	अभियन्ता का पदनाम	विधा	भार स्वीकृति अधिकार
(i)	अवर अभियन्ता (वि.)	घरेलू तथा एकल वाणिज्यिक दुकान (LMV-1 & LMV-2)	04 KW तक
(ii)	उपखण्ड अधिकारी अथवा सहा. अभि. (वि.)	घरेलू तथा एकल वाणिज्यिक दुकान (LMV-1 & LMV-2)	05-25 KW तक
		अन्य वाणिज्यिक, सार्वजनिक अथवा निजी संस्थान (LMV-2 & LMV-4) व अन्य समस्त विधा	25 KW तक
		निजी नलकूप (LMV-5)	25 HP तक
(iii)	अधिशासी अभियन्ता (वि.)	समस्त विधा	25 KW से अधिक तथा 3,600 KW (4,000 KVA) तक
(iv)	अधीक्षण अभियन्ता (वि.)	समस्त विधा	3,600 KW (4,000 KVA) से अधिक

(b) व्यक्तिगत आवेदक द्वारा नये संयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन झटपट, निवेश मित्र अथवा पी.टी. डब्ल्यू. (P.T.W.) पोर्टल पर किया जायेगा।

3. (a) ट्रांसफार्मर की क्षमता अथवा आवेदित भार के निर्धारण हेतु KW से KVA में परिवर्तन पावर फैक्टर 0.90 के आधार पर किया जायेगा।

(b) विद्युत प्रदाय संहिता—2005 के खण्ड 3.3(घ) में वर्णित है कि अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली की तकनीकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए संहिता के खण्ड 3.2 में निर्दिष्ट वर्गीकरण से भिन्न विभव (Voltage) और फेज (Phase) पर आपूर्ति कर सकता है। अतः निर्दिष्ट वर्गीकरण से भिन्न विभव, फेज पर संयोजन की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) द्वारा समुचित परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जा सकेगी।

(c) 33 के.वी. व उच्च विभव पर विद्युतीकरण अथवा संयोजन हेतु टेक्नीकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट (TFR) तथा प्राक्कलन पारेषण इकाई से प्राप्त करने होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल
उ.प्र.पा.का.लि.

उ.प्र. सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, **1956** में उ.प्र. शासन द्वारा किये गये संशोधन के सम्बन्ध में

संख्या : I/46950/2026-काविनी एवं विनियम-29 कम्प्यूटर सं. 31776 दिनांक : 07.04.2026

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि.,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,
केस्को-कानपुर/उ.प्र. रिनिवेबल एण्ड ई.वी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (UPREV)।

महोदय,

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. एवं सहयोगी डिस्कामों में कार्यरत कार्मिकों हेतु उ.प्र. सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 यथा संशोधनों सहित लागू है। उपरोक्त के दृष्टिगत उ.प्र. शासनादेश सं.-191/सैंतालिस-का-1-2026-13(5)/1998 दिनांक 11 मार्च, 2026 द्वारा प्रख्यापित 'उ.प्र. सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली-2026' की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि। निदेशक (का.प्र. एवं प्रशासन)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या-1/2026/191/सैंतालिस-का-1-2026-13(5)/1998

लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2026

दिनांक 11 मार्च, 2026 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. मीडिया सलाहकार, मा. मुख्यमंत्री जी।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-5 खण्ड-क में दिनांक 11 मार्च, 2026 की तिथि में प्रकाशित करते हुए मुद्रित अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—1

संख्या-1/2026/191/सैंतालिस-का-1-2026-13(5)/1998

लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-21 का प्रतिस्थापन

2. उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
लगाई हुई पूंजियाँ : 21(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्त्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। उदाहरण कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को कोई सिनेमा गृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा।	लगाई हुई पूंजियाँ : 21(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्त्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। (3) यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक की रकम स्टॉक, शेयर अथवा अन्य लगाई हुई पूंजियों (विनिधान) में विनिहित करता है तो ऐसी लगाई हुई पूंजियों (विनिधान) की सूचना समुचित प्राधिकारी को दी जाएगी।

नियम-24 का संशोधन **3.** उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम-**24** में, नीचे स्तम्भ-**1** में दिए गए विद्यमान उपनियम (**2**) और उपनियम (**3**) के स्थान पर स्तम्भ-**2** में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
चल, अचल तथा बहुमूल्य संपत्ति :	चल, अचल तथा बहुमूल्य संपत्ति :
(**2**) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय-विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।	**24**(**2**) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय-विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।
(**3**) प्रथम नियुक्ति के समय और तदोपरान्त हर पाँच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिये।	(**3**) प्रथम नियुक्ति के समय और तदोपरान्त हर एक वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिये।

आज्ञा से
एम. देवराज
प्रमुख सचिव

अप्रैल 2026 शक्ति विश्वास/**89**

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 1/2026/191/47-Ka-1-2026-13(5)/1998, dated March 11, 2026.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

KARMIK ANUBHAG-I

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 1/2026/191/47-Ka-1-2026-13(5)/1998

Dated : Lucknow, March 11, 2026

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constituion, the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956 :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT (AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement 1. (1) These Rules may be called "The Uttar Pradesh Government Servants Conduct (Amendment) Rules, 2026"

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 21 2. In the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956, herein-after referred to as the said rules, for existing rule-21 set out in column-I below, the rule set out in column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule as hereby substituted
Investment 21(1) No Government servant shall make or permit any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of official duties. (2) If any question arises whether a security or investment is of the nature referred to in subrules(1) the decision of the Government thereon shall be final. ***Illustration*** A District Judge shall not permit his wife or son, to open a cinema house or to purchase a share therein, in the district where he is posted and if he is transferred to a district where a member of his family has already made such an investment, he shall immediately inform his superior authority.	21(1) No Government servant shall make or permit any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of official duties. (2) If any question arises whether a security or investment is of the nature referred to in sub-rules(1) the decision of the Government thereon shall be final. (3) If a Government servant invests an amount exceeding six months' basic pay in stocks, shares or other investments in a calendar year, such investment shall be reported to the appropriate authority.

Amendment of rule 24 3. In the said rules, in existing rule-24 for existing sub-rule(2) and sub-rule(3) set out in column-1 below. the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Existing Sub-Rules	Column-2 Sub-Rules as hereby substituted
Movable, Immovable and Valuable property	
21(2) A Government servant who inters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his basic pay for one month whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority.	21(2) A Government servant who inters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his basic pay for two months whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority.
Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.	Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.
(3) At the time of first appointment and there after at intervals of five years, every Government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property owned, acquired or inherited by him or hold by him on lease or mortgage, and of shares and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or any way dependent upon him. Such declaration should state the full particular of the property, shares and other investment.	(3) At the time of first appointment and there after each years, every Government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property owned, acquired or inherited by him or hold by him on lease or mortgage, and of shares and other investments, which may, from time to time he held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or any way dependent upon him. Such declaration should state the full particular of the property, shares and other investment.

By Order
M. Devaraj
Principal Secretary

वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता को कम करने व उत्तरदायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में

संख्या : 330/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक : 18.03.2026

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि.,
पूर्वांचल-वाराणसी/मध्यांचल-लखनऊ,
दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ,
केस्को-कानपुर।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत हैं कि कारपोरेशन स्तर से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए समस्त वितरण निगमों को वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता दर में कमी लाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है। क्षतिग्रस्तता में कमी लाने के दृष्टिगत 100 के.वी.ए. क्षमता तक के वितरण परिवर्तकों पर Fuse Set एवं 100 के.वी.ए. से अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों पर Tailless Unit स्थापन का कार्य युद्ध स्तर पर कराया गया है। साथ ही 100 के.वी.ए. व उससे कम क्षमता के ट्रांसफार्मरों पर शत-प्रतिशत फ्यूज सेट लगाने हेतु सभी डिस्काम को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत लाईनों, उपकेन्द्रों एवं परिवर्तकों के प्री-मॉनसून तथा पोस्ट-मॉनसून अनुरक्षण कार्यों हेतु प्रत्येक वर्ष दो बार "अनुरक्षण माह" भी मनाया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त परिवर्तक क्षतिग्रस्तता में कमी लाने हेतु निरंतर अनुश्रवण करने एवं अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के सम्बन्ध में पूर्व में कारपोरेशन पत्र सं.-30/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 05.01.2024 के माध्यम से उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। किन्तु इसके उपरान्त भी वितरण परिवर्तकों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति बनी हुई है। स्पष्ट है कि परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता कम करने हेतु अधिक परिश्रम व अनुश्रवण किये जाने की आवश्यकता है।

अतः उक्त के आलोक में वितरण परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने पर सम्बन्धित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों की मरम्मत पर होने वाले व्यय की recovery हेतु निम्नानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है :–

क्षमता	मरम्मत व्यय का अभियन्ता-वार उत्तरदायित्व			
	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
10 के.वी.ए. से 63 के.वी.ए. तक	मुख्य उत्तरदायित्व (50%)	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व (30%)	प्रशासनिक उत्तरदायित्व (20%)	–
100 के.वी.ए. से 250 के.वी.ए. तक	मुख्य उत्तरदायित्व (40%)	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व (40%)	प्रशासनिक उत्तरदायित्व (20%)	–
400 के.वी.ए. से 1000 के.वी.ए. तक	मुख्य उत्तरदायित्व (30%)	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व (30%)	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व (30%)	प्रशासनिक उत्तरदायित्व (10%)

उक्त रिकवरी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा नियम-10 का नोटिस जारी करके नियमानुसार अग्रेतर आदेश जारी किये जायेंगे।

चूँकि सभी क्षमता के ट्रॉंसफार्मरों पर शत-प्रतिशत फ्यूज सेट/टेललेस यूनिट लगाने हेतु सभी डिस्काम को निर्देशित किया गया है। अतः अपेक्षित है कि वितरण ट्रांसफार्मरों को डैमेज से बचाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जायें तथा जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनायी जाये।

डा. आशीष कुमार गोयल
अध्यक्ष

सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने हेतु

संख्या : 1001-औ.सं./2026-11(28) ए.एस./2004/(वाल्यूम-3) दिनांक : 10.04.2026

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के आदेश संख्या-3330-औ.सं./2018-11(28)ए.एस./2004(VOI-2015/CGHS) दिनांक 08.08.2018 एवं आदेश सं.-85-औ.सं.-17/पाकालि/2024-11(28)ए.एस./04 (VOI-2015) दिनांक 04 जनवरी, 2024 को अवक्रमित करते हुए उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. एवं सहयोगी डिस्कॉम के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने हेतु सी.जी.एच.एस. के आदेश सं.-F.No. 05-16/CGHS(HQ)/HEC/2024(Part-1) (Comp No. 8365027) दिनांक 03.10.2025 द्वारा पुनरीक्षित सी.जी.एच.एस.-2025 की दरों/पैकेज दरों एवं नियमों को कारपोरेशन में निम्नानुसार अंगीकृत किये जाने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

1. कारपोरेशन कार्मिकों को उ.प्र. में एवं उ.प्र. से बाहर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों में अन्तः रोगी/वाह्य रोगी के रूप में उपचार कराने पर सी.जी.एच.एस. के आदेश सं.-F.No. 05-16/CGHS/(HQ)/HEC/2024(Part-1) (Comp. No. 8365027) दिनांक 03.10.2025 द्वारा टियर-1, टियर-2 एवं टियर-3 शहरों हेतु निर्धारित सी.जी.एच.एस.-2025 की दरें अनुमन्य की जायेगी।
2. प्रदेश में एवं प्रदेश से बाहर गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार कराने पर सी.जी.एच.एस.-2025 की दरों पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।
3. देश के सभी अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थानों एवं पी.जी.आई. स्तर के चिकित्सालयों, उ.प्र. के सभी राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों एवं राजकीय मेडिकल कालेजों में भर्ती होकर कराये गये उपचार की वास्तविक दरों (नॉन एडमिसिबल आइटम को छोड़कर) पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।
4. हृदय के उपचार में लगने वाले इम्प्लान्ट्स, कूल्हे एवं घुटने के प्रत्यारोपण, इन्ट्राओकूलर लेन्स, अन्य इम्प्लांट्स की दरें सी.जी.एच.एस. द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप अनुमन्य की जायेगी।
5. उपचार हेतु भर्ती के दौरान कक्ष का किराया एवं वार्ड की पात्रता का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

Description	NABH/NABL Hospital	Non-NABH Hospital
General Ward	Rs. 1500/-	Rs. 1500/-
Semi-Private Ward	Rs. 3000/-	Rs. 3000/-
Private Ward	Rs. 4500/-	Rs. 4500/-
ICU/ICCU/NICU/PICU/HDU/ Isolation Ward	Rs. 5400/-	Rs. 5400/-
Day Care	Rs. 1500/-	Rs. 1500/-

6. चिकित्सा/उपचार हेतु वार्ड की पात्रता निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

S.No.	As per Seventh Pay Commission Pay Matrix	Ward Entitlement
1.	Level 1 to Level 5	General Ward
2.	Level 6 to Level 9	Semi-Private Ward
3.	Level 10 & Above	Private Ward

7. सी.जी.एच.एस.-2025 की दरों में सी.जी.एच.एस. द्वारा अग्रेतर निर्गत किये जाने वाले संशोधन/परिवर्धन आदेश, निर्गमन की तिथि से कारपोरेशन में भी प्रभावी माने जायेंगे।

8. उक्त दरें आदेश जारी किये जाने के उपरान्त करायी गई चिकित्सा पर लागू होगी। आदेश निर्गत होने से पूर्व के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे कारपोरेशन द्वारा पूर्व निर्धारित दरों/नीति के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे तथा पूर्व में निस्तारित किये जा चुके प्रकरण पुनरूद्धाटित नहीं किये जायेंगे। चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित दरों/पैकेज दरों सम्बन्धी पूर्व में निर्गत समस्त आदेश एतद्द्वारा अतिक्रमित माने जायेंगे।
9. उक्त व्यवस्था में नीति के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष, उ.प्र.पा.का.लि. का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सृजन वात्सल्य हॉस्पिटल प्रा.लि., सिविल लाइन्स, प्रयागराज को मान्यता प्राप्त

संख्या : 169-मेडिकल सेल/पाट्राकालि-2026 दिनांक : 13.04.2026

कार्यालय-ज्ञाप

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. एवं उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित/पुनरीक्षित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-medical पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औ.सं.-17/पाकालि/2002 दिनांक 09.12.2002 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), पू.वि.वि.नि.लि., प्रयागराज की निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 24 दिनांक 16.07.2025 जो दिनांक 15.07.2026 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी.जी.एच.एस.-2025 की मानक दरों पर एतद्द्वारा सृजन वात्सल्य हॉस्पिटल प्रा.लि., 8/1/6, एल्गिन रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज को सामान्य उपचार हेतु आदेश निर्गमन की तिथि से दिनांक 30.04.2027 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं.-2088-एन.जी.-02/एस.ई.बी.(चार) 29-एन.जी.-02/78 दिनांक 24.05.1978 एवं आदेश सं.-1001-औ.सं./2026-11(28)ए.एस./2004 (वाल्यूम-3) दिनांक 10 अप्रैल, 2026 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो, उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी अथवा चिकित्सालय प्रबन्धन को नवीन पंजीयन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा ताकि मान्यता अग्रतर प्रभावी रहे।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि ''उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.04.2027 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय''।
4. चिकित्सालय को उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी :-
   (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग। (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध। (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि। (घ) कार्मिक का वेतनमान। (ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)। (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

5. चिकित्सालय अन्तःरोगी के रूप में कराये गये उपचार के साथ-साथ वाह्य रोगी के रूप में गंभीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होगा। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2335-औ.सं.-17/पाकालि/2020 दिनांक 27 अगस्त, 2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
6. उक्त चिकित्सालय उ.प्र. पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि. के साथ-साथ उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि./राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि./उ.प्र. एस.एल.डी.सी.लि. एवं उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. के कार्मिकों/पेंशनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार कराने हेतु भी अधिकृत होगा।
7. चिकित्सालय प्रबन्धन को यह वचन-पत्र देना होगा कि सी.जी.एच.एस.-2025 की मानक दरों एवं पुनरीक्षित दरों पर उपचार करने हेतु सहमत हैं।
8. यदि चिकित्सालय द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो चिकित्सालय के बीजक में भोजन के मद हेतु रु. 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जायेगी।
9. उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है एवं चिकित्सालय के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिये चिकित्सालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.)

कॉसमॉस हॉस्पिटल, प्रेमनगर, मुरादाबाद को मान्यता प्राप्त

संख्या : 170-मेडिकल सेल-/पाट्राकालि-2026 दिनांक : 13.04.2026

कार्यालय-ज्ञाप

उ.प्र. पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन लि. एवं उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित/पुनरीक्षित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-medical पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औ.सं.-17/पाकालि/2002 दिनांक 09.12.2002 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, दिल्ली रोड, मझोला, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. मुरादाबाद की निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मुख्य चिकित्साधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल पंजीकरण संख्या-0913500005 दिनांक 18.07.2025 जो दिनांक 18.07.2026 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी.जी.एच.एस.-2025 की मानक दरों पर एतद्द्वारा कॉसमॉस हॉस्पिटल, प्रेम नगर, कांठ रोड, मुरादाबाद को सामान्य उपचार हेतु आदेश निर्गमन की तिथि से दिनांक 30.04.2027 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं.-2088-एन.जी.-02/एस.ई.बी.(चार) 29-एन.जी.-02/78 दिनांक 24.05.1978 एवं अनुक्रम में समय-समय पर निर्गत अग्रतर आदेशों एवं आदेश सं.-1001-औ.सं./2026-11(28)ए.एस./2004 (वाल्यूम-3) दिनांक 10 अप्रैल, 2026 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो, उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी अथवा चिकित्सालय प्रबन्धन को नवीन पंजीयन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा ताकि मान्यता अग्रतर प्रभावी रहे।

2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि ''उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.04.2027 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय''।
4. चिकित्सालय को उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी :-
(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग। (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध। (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि। (घ) कार्मिक का वेतनमान। (ङ) रोगी का नाम (डाइग्नोसिस)। (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।
5. चिकित्सालय अन्तःरोगी के रूप में कराये गये उपचार के साथ-साथ वाह्य रोगी के रूप में गंभीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होगा। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2335-औ.सं.-17/पाकालि/2020 दिनांक 27 अगस्त, 2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
6. उक्त चिकित्सालय उ.प्र. पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि. के साथ-साथ उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि./राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि./उ.प्र. एस.एल.डी.सी.लि. एवं उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. के कार्मिकों/पेंशनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार कराने हेतु भी अधिकृत होगा।
7. चिकित्सालय प्रबन्धन को यह वचन-पत्र देना होगा कि सी.जी.एच.एस.-2025 की मानक दरों एवं पुनरीक्षित दरों पर उपचार करने हेतु सहमत हैं।
8. यदि चिकित्सालय द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो चिकित्सालय के बीजक में भोजन के मद हेतु रु. 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जायेगी।
9. उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है एवं चिकित्सालय के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिये चिकित्सालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.)

श्री साईं हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद (ए यूनिट ऑफ मेडिनोवा हेल्थकेयर प्रा.लि.), को मान्यता प्रदत्त

संख्या : 171-मेडिकल सेल/पाट्राकालि-2026 दिनांक : 13.04.2026

कार्यालय-ज्ञाप

उ.प्र. पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन लि. एवं उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित/पुनरीक्षित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-medical पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औ.सं.-17/पाकालि/2002 दिनांक 09.12.2002 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, दिल्ली रोड, मझोला, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. मुरादाबाद की निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मुख्य चिकित्साधिकारी मुरादाबाद द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल पंजीकरण संख्या-0913500008 दिनांक 18.07.2025, जो दिनांक 18.07.2006 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी.जी.एच.एस.-2025 की मानक दरों पर एतद्द्वारा श्री साई

हास्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद (ए यूनिट ऑफ मेडिनोवा हेल्थकेयर प्रा.लि.) को सामान्य उपचार हेतु आदेश निर्गमन की तिथि से दिनांक 30.04.2027 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं.-2088-एन.जी.-02/एस.ई.बी.(चार) 29-एन.जी.-02/78 दिनांक 24.05.1978 एवं अनुक्रम में समय-समय पर निर्गत अग्रतर आदेशों एवं आदेश सं.-1001-औ.सं./2026-11(28)ए.एस./2004 (वाल्यूम-3) दिनांक 10 अप्रैल, 2026 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो, उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी अथवा चिकित्सालय प्रबन्धन को नवीन पंजीयन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया होगा ताकि मान्यता अग्रतर प्रभावी रहे।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि ''उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.04.2027 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय''।
4. चिकित्सालय को उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी :-

   (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग। (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध। (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि। (घ) कार्मिक का वेतनमान। (ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)। (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।
5. चिकित्सालय अन्तःरोगी के रूप में कराये गये उपचार के साथ-साथ वाह्य रोगी के रूप में गंभीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होगा। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2335-औ.सं.-17/पाकालि/2020 दिनांक 27 अगस्त, 2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
6. उक्त चिकित्सालय उ.प्र. पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि. के साथ-साथ उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि./राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि./उ.प्र. एस.एल.डी.सी.लि. एवं उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. के कार्मिकों/पेंशनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार कराने हेतु भी अधिकृत होगा।
7. चिकित्सालय प्रबन्धन को यह वचन-पत्र देना होगा कि सी.जी.एच.एस.-2025 की मानक दरों एवं पुनरीक्षित दरों पर उपचार करने हेतु सहमत हैं।
8. यदि चिकित्सालय द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो चिकित्सालय के बीजक में भोजन के मद हेतु रु. 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जायेगी।
9. उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है एवं चिकित्सालय के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिये चिकित्सालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.)

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 01.05.2026 से 31.07.2026 तक अन्तरिम रूप से बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

संख्या : 78-मेडिकल सेल/पाट्राकालि-2026/मे.से.(टी.सी.-1)OPD+IPD दिनांक : 30.04.2026

कार्यालय-ज्ञाप

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या 4452-औ.सं.-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या-320-औ.सं.-17/पाकालि/2024 दिनांक 24.01.2024 एवं कारपोरेशन आदेश संख्या-3330-औसं/2018-11(28) ए.एस./2004 दिनांक 08.08.2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन आदेश संख्या-340-औ.सं.-17/पाकालि/2024-11(01) ए.एस./09 (2023-24) दिनांक 29.01.2024 के द्वारा संलग्न सूची में इंगित 48 चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता दिनांक 30.04.2026 तक बढ़ायी गयी थी, जिसके अनुक्रम में एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1001-औ.सं./2026-11(28)ए.एस./2004 (वाल्यूम-3) दिनांक 10.04.2026 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन उनकी मान्यता अवधि एतद्द्वारा दिनांक 01.05.2026 से 31.07.2026 तक अन्तरिम रूप से निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. संलग्न सूची में इंगित चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. सूची में उल्लिखित अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार हेतु मान्यता प्राप्त समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान वाह्य रोगी के रूप में गंभीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होंगे। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं. 2335-औ.सं.-17/पाकालि/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
4. समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. के साथ-साथ उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि./उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. एवं उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. के कार्मिकों/पेंशनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार हेतु भी अधिकृत होंगे।
5. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त की जा सकती है।

संलग्नक : यथोपरि। निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.)

कार्यालय ज्ञाप संख्या-78-मे.सेल/पाट्राकालि/2026, दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा दिनांक 01.05.2026 से 31.07.2026 तक अन्तरिम रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची

(भारत सरकार एवं उ.प्र. शासन द्वारा संचालित सभी ऐलोपैथिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/यूनानी आदि चिकित्सालय/संस्थान स्वतः कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं)

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता अवधि
लखनऊ		
1.	मेदान्ता लखनऊ (Unit of Medanta Holdings Pvt. Ltd.) सेक्टर-ए, पॉकेट-1 सुशान्त गोल्फ सिटी, अमर शहीद पथ, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता अवधि
2.	चन्दन हॉस्पिटल, फैजाबाद रोड, निकट फ्लाईओवर, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
3.	अवध हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, अवध हॉस्पिटल चौराहा, सिंगारनगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
4.	आस्था सेन्टर फॉर गिरीयाट्रिक मेडिसिन पालिएटिव केयर हॉस्पिटल एण्ड सोसियल वेलफेयर सोसाइटी, बी-52, जे-पार्क, महानगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
5.	मेडिक्स इण्टरनेशनल लाइफ साइंसेज लि. (अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल), के.बी.सी.-31, सेक्टर-बी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
6.	अजन्ता हॉस्पिटल एण्ड आई.वी.एफ. सेण्टर प्रा. लिमिटेड, 765 ए.बी.सी. काम्प्लेक्स, कानपुर रोड, आलमबाग, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
7.	एस.सी. त्रिवेदी मैमोरियल मदर एण्ड चाइल्ड ट्रस्ट हॉस्पिटल, ए-1/7, सेक्टर-एच, निकट केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
8.	अभिनव दृष्टि नेत्र चिकित्सालय, बी-719, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
9.	लखनऊ आई हॉस्पिटल, 82/40-क, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, लालकुऑं, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
10.	लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट, मानस नगर, जियामऊ, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
11.	डिवाइन हार्ट एण्ड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, विराज खण्ड इंस्टीट्यूशनल एरिया-5, गोमतीनगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
12.	मेयो मेडिकल सेण्टर प्रा.लि., विकास खण्ड-II, गोमतीनगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
13.	एस.के.डी. हॉस्पिटल, केबीसी-27, सेक्टर-बी, फिनिक्स मॉल के पास, आलमबाग, कानपुर रोड, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
14.	प्रकाश नेत्र केन्द्र, एन.एच.-2, विपुल खण्ड-2, गोमतीनगर, लखनऊ।(एकल विशिष्टता)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
15.	चरक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, दुबग्गा, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
16.	डा. सुबोध अग्रवाल, मेमोरियल आई हॉस्पिटल, 3-सी/1, अपोजिट राणा प्रताप मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
17.	सन आई हॉस्पिटल एण्ड लेजर सेन्टर, प्रा.लि., 57-बी, सिंगारनगर, आलमबाग, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
18.	रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम विवेकानन्द पॉलीक्लीनिक एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विवेकानन्दपुरम्, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
19.	टेण्डर पाम हॉस्पिटल, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता अवधि
20.	मिडलैण्ड हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, बी-55 एण्ड सी-42, मन्दिर मार्ग, महानगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
मेरठ	जसवन्त राय स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मवाना रोड, मेरठ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
21.	(आदेश सं.-1929-औ.सं.-17/2015 दि. 30.05.2015 द्वारा हृदय तथा अन्य गम्भीर रोगों हेतु कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
22.	मेट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, 47/जी-5, बाउण्ड्री रोड, लालकुर्ती, मेरठ। (आदेश सं.-1012 औ.सं./2013 दिनांक 04.04.2013 द्वारा हृदय के क्रेडिट उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
गाजियाबाद 23.	मानव मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बी-ब्लाक मार्केट, कविनगर गाजियाबाद। (आदेश सं.-3246-औसं-17/19 दिनांक 18.09.19 द्वारा गंभीर रोगों हेतु कैशलेस की सुविधा)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
24.	यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एच-1, कौशाम्बी, गाजियाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
25.	ली क्रेस्ट हॉस्पिटल, प्लाट नं. आईएनएस-13, सेक्टर-4, नियर बुद्ध चौक, वसुन्धरा, गाजियाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
26.	नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, मोहन नगर, गाजियाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
27.	यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, 3-एम, नेहरू नगर, गाजियाबाद। (आदेश सं.-743-औ.सं./2009 दिनांक 16.02.2009, आदेश सं. 335-औ.सं. 2015 दिनांक 26.01.2015 एवं आदेश सं. 871-औ.सं./2021 दिनांक 10.03.2021 द्वारा हृदय/गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
28.	मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, डब्लू-3, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद (उ.प्र.)।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
29.	शान्ति गोपाल हॉस्पिटल, एन.एच.-1, अहिंसा खण्ड-2, इन्दिरानगर, गाजियाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
नोएडा 30.	मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इंस्टीट्यूट, सेक्टर-11-12, नोएडा। (आदेश सं. 5338-औ.सं./2005 दिनांक 30.11.2005 एवं आदेश सं. 194-औ.सं./2014 दिनांक 25.01.2014 द्वारा हृदय/गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
31.	यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, एन.एच.-01, सेक्टर-110, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
32.	कैलाश हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इंस्टीट्यूट, एच-33, सेक्टर-27, नोएडा। (आदेश सं.-1305-औ.सं./2006 दिनांक 27.03.2006 हृदय के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता अवधि
33.	जे.पी. हॉस्पिटल (ए यूनिट ऑफ जे.पी. हेल्थकेयर लि.), सेक्टर-128, नोयडा (गौतमबुद्धनगर)।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
34.	नेयो हॉस्पिटल, डी-170-ए, सेक्टर-50, नोयडा। (आदेश सं.-5575-औ.सं./2023 दिनांक 30.12.2023 द्वारा हृदय/गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
35.	फेलिक्स हेल्थ केयर प्रा.लि., एन.एच.-01, सेक्टर-137, नोयडा। (आदेश सं.-1725-औ.सं.-17/2023 दिनांक 25.04.2023 एवं आदेश सं.-3860-औ.सं.-17/2023 दिनांक 24.08.2023 द्वारा हृदय/गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
बुलन्दशहर		
36.	मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
कानपुर		
37.	फार्च्यून हॉस्पिटल, 117/क्यू./40-ए, शारदानगर, कानपुर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
38.	चाँदनी हॉस्पिटल, 9/60, आर्यनगर, कानपुर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
39.	रॉयल कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर, 113/103-ए, स्वरूप नगर, अपोजिट मोतीझील, कानपुर। (कैंसर रोग के उपचार हेतु एकल विशिष्टता)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
40.	अपोलो स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स प्रा.लि., 14/138, चुन्नीगंज, माल रोड, कानपुर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
अलीगढ़		
41.	मिथराज हॉस्पिटल, रामघाट रोड, अलीगढ़।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
आगरा 42.	शान्तिवेद इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एन.एच.-19, बाईपास रोड, आगरा।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
वाराणसी		
43.	एपेक्स हॉस्पिटल, डी.एल.डब्लू., हाईडिल रोड, वाराणसी।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
44.	पापुलर मेडिकेयर लिमिटेड, एन.-10/60, ए-2, डी.एल.डब्लू. नियर रेलवे ओवरब्रिज, ककरमत्ता, वाराणसी।	
प्रयागराज 45.	प्राची हॉस्पिटल, सेक्टर-सी-105, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
फरीदाबाद 46.	मैट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर-16-ए, फरीदाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
47.	मेदान्ता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, सेक्टर-38, गुड़गांव, हरियाणा।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
नई दिल्ली 48.	फोर्टिस एस्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर लि., ओखला रोड, नई दिल्ली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक

अनुज कुमार
अधिशासी अभियन्ता (मेडिकल सेल)

लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 01.05.2026 से 31.07.2026 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

संख्या : 79-मेडिकल सेल/पाट्राकालि/2026/मे.से.(टी.सी.-II)OPD दिनांक : 30 अप्रैल, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन के आदेश संख्या-2335-औ.सं.-17/पाकालि/2020-11(4) एफ/86 (वो- III) दिनांक 27.08.2020 में निहित व्यवस्था/प्राविधानानुसार विभागीय सेवकों/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं पारिवारिक पेंशनरों व उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं.-3900-औ.सं.-17/पाकालि/2023 दिनांक 28.08.2023 एवं 350-औ.सं.-17/पाकालि/2024-11(04)एफ/86(वो.3) दिनांक 29.01.2024 द्वारा दिनांक 30.04.2026 तक पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता अवधि के अनुक्रम में निरन्तरता प्रदान करते हुए दिनांक 01.05.2026 से 31.07.2026 तक एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :–

1. बाह्य रोगी के रूप में उपचार हेतु केवल औषधियों/दवाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। रक्त व अन्य परीक्षण/जाँच में हुए व्यय तथा भोजन/न्यूटीशस् वैल्यू बढ़ाने सम्बन्धी दवायें/टॉनिक तथा साफ सफाई सेनीटेशन आदि से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
2. बाह्य रोगी के रूप में किसी भी चिकित्सालय में करायी गयी कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी की चिकित्सा विधि एवं उसमें प्रयुक्त होने वाली दवाओं आदि पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी। सीटी स्कैन एवं एम.आर.आई. की प्रतिपूर्ति तथा डायलिसिस के व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती आदेशों के अन्तर्गत यथावत् अनुमन्य होगी।

निम्नांकित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु कारपोरेशन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1001-औ.सं./2026-11(28)ए.एस./2004(वाल्यूम-03) दिनांक 10.04.2026 द्वारा निर्धारित सी.जी.एच.एस.-2025 की मानक दरें ही अनुमन्य की जायेंगी :–

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता अवधि
1.	फातिमा हॉस्पिटल, महानगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
2.	सेन्ट जोजेफ हॉस्पिटल, गोमती नगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
3.	सेन्ट मैरी पॉलीक्लीनिक, गुडम्बा, कुर्सी रोड, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
4.	नूर मंजिल साइक्याट्रिक सेण्टर, लालबाग, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
5.	चिरंजीव हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, 2/57, विनय खण्ड-2, गोमतीनगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
6.	अवध हॉस्पिटल, सिंगारनगर, कानपुर रोड, आलमबाग, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
7.	शेखर हॉस्पिटल, चर्च रोड, इन्दिरानगर, सी-ब्लाक, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
8.	चन्द्रा मदर एण्ड आई केयर, 4/43, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
9.	ओ.पी. चौधरी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, चौधरी बिहार, रायबरेली रोड, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक

क्र.सं.	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता अवधि
10.	मिडलैण्ड हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेण्टर, बी-55 एण्ड सी-42, मन्दिर_ मार्ग, महानगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
11.	स्कार्ट ई.एन.टी. हॉस्पिटल, महानगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
12.	फोर्ड (नोवा) हॉस्पिटल, विकास खण्ड-1, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
13.	यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एण्ड ट्रामा सेण्टर, प्लाट नं.-एन.एच.-32, एच.ओ.-1, सेटर-ओमेगा-1 ग्रेटर नोयडा (गौतमबुद्धनगर)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
14.	सेण्ट ल्यूक्स हॉस्पिटल, साकेत, मेरठ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
15.	लोकप्रिय हॉस्पिटल, सम्राट पैलेस, गढ़ रोड मेरठ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
16.	धनवन्तरि जीवन रेखा हास्पिटल, 1-साकेत, मेरठ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
17.	कमला नेहरू स्मारक अस्पताल एवं रीजनल कैंसर सेण्टर, इलाहाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
18.	नाजरथ हॉस्पिटल, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
19.	जीवन ज्योति हॉस्पिटल, फाफामऊ, इलाहाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
20.	गुरू श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखनाथ मन्दिर परिसर, गोरखपुर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
21.	हेरिटेज हास्पिटल, लंका, वाराणसी।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
22.	काशी हॉस्पिटल, भिखारीपुर, हाइडिल गेट, डी.एल.डब्लू. चुनार रोड, वाराणसी।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
23.	बी.के. हार्ट इन्स्टीट्यूट प्रा.लि., नेवादा डी.एल.डब्लू. रोड, वाराणसी।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
24.	नयति मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सांवरिया गैस स्टेशन के पीछे, नेशनल हाईवे-2, आगरा बाई पास रोड, मथुरा।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
25.	आई.आई.एम.टी. हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, गणेशनगर, लॉयर्स कालोनी, बाईपास रोड, आगरा।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
26.	हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल, सिविल लाइन्स, झाँसी।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
27.	विवेकानन्द हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कांठ रोड, मुरादाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
28.	क्लैरा स्वैन मिशन हॉस्पिटल, बरेली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
29.	धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल, गांधीनगर, पीलीभीत रोड, बरेली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
30.	डा. जवाहर लाल रोहतगी स्मारक नेत्र एवं एसोसिएटेड रोहतगी हॉस्पिटल, सर्वोदय नगर, कानपुर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
31.	ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
32.	इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
33.	सरगंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
34.	टाटा मैमोरियल हॉस्पिटल, डा. ई बोरगेस रोड, परेल, मुम्बई।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
35.	शंकर नेत्रालय, चेन्नई।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
36.	अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक

निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.)

उ.प्र.पा.का.लि. एवं पावर सैक्टर व उनके सहयोगी संगठनों के कार्मिकों के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार विषयक शिकायतों एवं उनकी आय से अधिक परिसम्पत्तियों की जाँच सतर्कता विभाग से कराया जाना

संख्या : 08/2026/449पी/छः-पु. -06-2026-6-6099/165/2023

प्रेषक,

एस. पी. गोयल,
मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, सतर्कता विभाग, उ.प्र. शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र., लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊ, दिनांक : 05 मई, 2026

महोदय,

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या 559पी/छः-पु.-6-18-300(46)/2014 टी.सी., दिनांक 07 जून, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में बिजली चोरी रोकने के सम्बन्ध में प्रत्येक राजस्व जनपद में 01 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने की स्थापना की गई है। गृह (पुलिस) अनुभाग-6 की ही अधिसूचना संख्या 58/2022/1277 पी/छः-पु-6-22-300(46)/2014 टी.सी. दिनांक 25 जुलाई, 2022 द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 07 जून, 2018 के पैरा 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :—

"(3) विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने, अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड और निजी क्षेत्र के वितरण लाइसैन्सधारियों/फ्रैन्चाइजीज़ के समस्त समनुषंगी वितरण कम्पनियों के प्रतिष्ठानों हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2023) की धारा 135 से धारा 141 तक और धारा 136 एवं धारा 137 सहित धारा 150 के अधीन अपराध रजिस्ट्रीकृत करेंगे तथा उनका अन्वेषण करेंगे।
(4) सतर्कता जांचों एवं प्रवर्तन दलों के पर्यवेक्षण के वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों का पर्यवेक्षण, समानुदेशन एवं नियन्त्रण, अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के अधीन होंगे, किन्तु उन विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों, जहाँ दोनों उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड एवं निजी क्षेत्र के लाइसैन्सधारी/फ्रैन्चाइजी की समनुषंगी वितरण कम्पनी विद्यमान हों, पर चालू वित्तीय वर्ष में कुल सम्भावित व्यय और वितरण फ्रैन्चाइजीज़ को आपूर्तिकृत ऊर्जा के आँकड़े उसकी समनुषंगी वितरण कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराए जाएंगे और निजी वितरण लाइसैन्सधारियों को आपूर्तिकृत विद्युत के आंकड़े उ.प्र. विद्युत निगम लिमिटेड को चालू वित्तीय वर्ष के 15 अप्रैल तक उपलब्ध कराए जाएंगे।"

2. अध्यक्ष, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के आदेश दिनांक 17 फरवरी, 1993 के प्रस्तर-3 में निम्नलिखित व्यवस्था है :— "भ्रष्टाचार, उत्कोच (घूस/रिश्वत) कदाचरण मिसकन्डक्ट अथवा अनन्याय अनाचारों (मालप्रैक्टिसेज़) के गम्भीर दोषारोपों से युक्त परिवादों में से प्रत्येक आरोप की गहन एवं सूक्ष्म सन्निरीक्षा/परीक्षण के उपरान्त ही अध्यक्ष के समुचित आदेश प्राप्त करके एवं तद्विषयक स्वीकृति सम्बन्धी औपचारिक आदेश निर्गत करके सम्पूर्ण प्रकरण परिषदीय सतर्कता शाखा को खुली अथवा गुप्त जाँच सम्पादन हेतु सन्दर्भित किए जाएंगे।"
3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत उक्त आदेशों एवं अन्य संगत शासनादेशों को इस सीमा तक अवक्रमित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त बिजली विभाग में प्रवर्तन सम्बन्धित बिजली चोरी आदि के प्रकरणों में आन्तरिक सतर्कता इकाई द्वारा जाँच किए जाने की वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखे जाने एवं बिजली निगम के कार्मिकों की आय से अधिक परिसम्पत्ति तथा भ्रष्टाचार विषयक जाँच सतर्कता विभाग द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय
एस. पी. गोयल
मुख्य सचिव

अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वि. एवं यां.) के पद पर प्रोन्नति

संख्या : 31-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25 दिनांक : 30.01.2026

कार्यालय-ज्ञाप

क्र. सं.	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम/ जन्मतिथि/से.नि. तिथि/गृह जनपद/ वरि.क्र./सैप आईडी	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	आवंटित अभिज्ञान संख्या	प्रोन्नति उपरान्त आवंटित डिस्कॉम/इकाई
1	2	3	4	5
1.	अशोक कुमार/लखनलाल/12.08.1972/ 31.08.2032/गाजीपुर/08/CEH/34/ 11005966	वि.वि.खं.-द्वितीय, जौनपुर (पू.वि.वि.नि.लि.)	2025001	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
	संख्या : 32-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25			दिनांक : 30.01.2026
1.	राम ब्रिज/राम स्वरूप/05.01.1966/ 31.01.2026/मैनपुरी/10/CEH/9176856/ 11005351	वि.वि.खं.- फिरोजाबाद (द.वि.वि.नि.लि.)	2025002	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
	संख्या : 33-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25			दिनांक : 30.01.2026
1.	जगदीश कुमार/उदल राम/10.03.1981/ 31.03.2041/बदायूँ/2012/CEH/246/ 11004509	अधि.अभि., 11 के.वी. एवं एल.टी. राजभवन, लखनऊ-मध्य क्षेत्र (म.वि.वि.नि.लि.)	2025003	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
	संख्या : 34-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25			दिनांक : 30.01.2026
1.	पारस नाथ झा/जगत कुमार झा/15.05.1987/ 31.05.2047/मधुवनी (बिहार)/ 2012/CEH/247/11005576	वि.वि.खं.-I, बड़ौत (प.वि.वि.नि.लि.)	2025004	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
	संख्या : 35-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25			दिनांक : 30.01.2026
1.	सतीश कुमार/काशी राम/03.02.1986/ 28.02.2046/गाजीपुर/ 2012/CEH/319/11005034	अधि.अभि.-द्वि., 11 के.वी. एवं एल.टी. (जेड.सी.), कानपुर (केस्को)	2025005	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
	संख्या : 36-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25			दिनांक : 30.01.2026
1.	अवनीश कुमार सिंह/श्याम नारायण सिंह/ 08.08.1989/31.08.2049/चन्दौली/ 2012/CEH/329/11005019	अधि.अभि.-द्वि., 11 के.वी. एवं एल.टी. (जेड.सी.), कानपुर (केस्को)	2025006	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
	संख्या : 37-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25			दिनांक : 30.01.2026
1.	प्रदीप कुमार/अनिल कुमार/06.07.1982/ 31.07.1942/बुलन्दशहर/2012/CEH/333/ 11005929	वि.न.वि.खं.-मीटर/ए.एम. आई.एस.पी. नोएडा, नोएडा क्षेत्र (प.वि.वि.नि.लि.)	2025007	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.

1	2	3	4	5
संख्या : 38-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	गजपाल सिंह/कृपा राम/20.10.1986/ 31.10.2046/अमरोहा/2012/CEH/426/ 11005536	वि.न.वि.खं. (तकनीकी) 11 के.वी. एवं एल.टी. नेटवर्क, मुरादाबाद क्षेत्र (प.वि.वि.नि.लि.)	2025008	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 39-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	आशीष कुमार सिंह/स्व. ओम प्रकाश सिंह/ 02.06.1978/ 30.06.2038/बाराबंकी/ 8528/11001628	वि.वि.खं.-हरईया, बस्ती (पू.वि.वि.नि.लि.)	2025009	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 40-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	जय सिंह/ओम प्रकाश/27.07.1978/ 31.07.2038/कन्नौज/10146/ 11001994	वि. परी. खं.-तृतीय, बुलन्दशहर (प.वि.वि.नि.लि.)	2025010	पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.
(पश्चिमांचल डिस्कॉम के का.ज्ञा. सं. 208, दि. 22.08.2022 द्वारा इन्हें 05 वर्ष हेतु संवेदनशील पद पर तैनात हेतु प्रतिबन्धित किया गया है)।				
संख्या : 41-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	राहुल रंजन कुमार/राजेन्द्र पाण्डेय/ 17.09.1989/30.09.2049/अरवल (बिहार)/ 2012/CEH/194/11002944	वि.वि.खं.-प्रथम, सहारनपुर (प.वि.वि.नि.लि.)	2025011	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 42-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	धनंजय कुमार देवरस/बिन्देश्वर प्रसाद यादव/ 11.01.1992/31.01.2052/नालन्दा (बिहार)/ 2012/CEH/205/11004942	वि.वि.खं.-III, (पल्लवपुरम), मेरठ (प.वि.वि.नि.लि.)	2025012	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 43-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	संतोष कुमार/राम अवध राम/ 05.07.1987/31.07.2047/गाजीपुर/ 2012/CEH/213/11004513	वि.वि.खं.-पुरवा, उन्नाव (म.वि.वि.नि.लि.)	2025013	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 44-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	प्रदीप कुमार राय/प्रेम शंकर राय/ 24.04.1986/30.04.2046/सोनभद्र/ 2012/CEH/260/11003160	वि.वि.खं.-प्रथम, गोण्डा (म.वि.वि.नि.लि.)	2025014	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 45-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	सत्येन्द्र कुमार/बृज मोहन/01.07.1988/ 30.06.2048/अलीगढ़/ 2012/CEH/276/11002596	वि.वि.खं.-चिरईगांव, वाराणसी (पू.वि.वि.नि.लि.)	2025015	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.

1	2	3	4	5
संख्या : 46-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	सुनील कुमार/मदन लाल/08.07.1986/ 31.07.2046/कानपुर नगर/ 2012/CEH/300/11004665	वि.वि.मं.-कन्नौज (द.वि.वि.नि.लि.)	2025016	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 47-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	संदीप कुमार/महातम राम/25.07.1988/ 31.07.2048/आजमगढ़/ 2012/CEH/312/11004442	वि.वि.मं.-प्रथम, बाराबंकी (म.वि.वि.नि.लि.)	2025017	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 48-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	रवि प्रताप सिंह/श्री राम नारायण सिंह/ 15.05.1988/31.05.2048/कुशीनगर/ 2012/CEH/312/11005467	33 के.वी. (यू-1), गाजियाबाद क्षेत्र-1 (प.वि.वि.नि.लि.)	2025018	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 49-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	मनोज कुमार भारद्वाज/राज कुमार शर्मा/ 26.01.1979/31.01.2039/बुलन्दशहर/ 2012/CEH/335/11005731	वि.न.परी.खं., मुजफ्फरनगर (प.वि.वि.नि.लि.)	2025019	पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 50-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	अनूप कुमार यादव/राम अवतार सिंह यादव/ 01.07.1989/30.06.2049/गाजीपुर/ 2012/CEH/341/11005056	वि.मा. कार्य खण्ड, वाराणसी। वाराणसी क्षेत्र-I (पू.वि.वि.नि.लि.)	2025020	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 51-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	ओम वीर सिंह/मुरारी लाल/ 02.08.1986/31.08.2046/आगरा/ 2012/CEH/3416/11004648	वि.वि.खं.-मांट, मथुरा (द.वि.वि.नि.लि.)	2025026	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 52-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	सुधीर कुमार/सामू राम/ 01.09.1983/31.08.2043/बलिया/ 2012/CEH/359/11001520	वि.वि.खं.-द्वितीय, वाराणसी। वाराणसी क्षेत्र-I (पू.वि.वि.नि.लि.)	2025022	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 53-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	प्रकाश चन्द्र यादव/राम चन्दर यादव/ 01.01.1983/31.12.2042/देवरिया/ 2012/CEH/364/11001894	अधि.अभि. 33 के.वी. वृन्दावन, लखनऊ। अमौसी क्षेत्र (म.वि.वि.नि.लि.)	2025023	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.

1	2	3	4	5
संख्या : 54-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	खुब लाल/जीव लाल/05.11.1987/ 30.11.2047/गया (बिहार)/ 2012/CEH/368/11005826	33 के.वी. एण्ड एस.एस. (यू-4), मेरठ जोन-प्रथम (प.वि.वि.नि.लि.)	2025024	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 55-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	यश कुमार/नेत्रपाल सिंह/06.07.1990/ 31.07.2050/मुजफ्फरनगर/ 2012/CEH/388/11005565	वि. परी. खं., हापुड़ (प.वि.वि.नि.लि.)	2025025	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 56-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	मनोज कुमार/चरन सिंह/05.11.1982/ 30.11.2042/बुलन्दशहर/ 2012/CEH/395/11002234	प्रवर्तन दल, शामली (प.वि.वि.नि.लि.)	2025026	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 57-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	आकाश राज कौशल/हरी लाल/ 01.01.1989/31.12.2048/प्रयागराज/ 2012/CEH/400/12000674	वि.प.खं.-III, लखनऊ (उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि.)	2025027	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 58-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	धनजी पासी/जगदीश पासी/ 05.07.1987/31.07.2047/बलिया/ 2012/CEH/401/11000485	400 के.वी. उपकेन्द्र, कसारा, मऊ (उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि.)	2025028	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 59-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	धीरज कुमार भास्कर/स्व. पारीक्षत अहिरवार/ 24.03.1984/31.03.2044/महोबा/ 2012/CEH/403/11001247	वि.वि.खं.-सैफई, इटावा (द.वि.वि.नि.लि.)	2025029	पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 60-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	अरविन्द कुमार/विध्यांचल/ 03.09.1987/30.09.2047/सोनभद्र/ 2012/CEH/406/12000374	वि.पा.खं.-प्रथम, प्रयागराज (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025030	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 61-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	नरेन्द्र कुमार/रघुवीर प्रसाद/ 11.11.1989/30.11.2049/कानपुर/ 2012/CEH/407/11004650	वि.न.वि.खं.-द्वितीय, झांसी (द.वि.वि.नि.लि.)	2025031	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 62-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	जनार्दन प्रसाद/चन्द्रभान/ 20.01.1985/31.01.2045/कुशीनगर/ 2012/CEH/409/12000652	वि.पा.खं.-द्वितीय, लखनऊ (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025032	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.

1	2	3	4	5
संख्या : 63-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	दीपक कुमार/राजकिशोर/ 15.06.1989/30.06.2049/गाजीपुर/ 2012/CEH/416/12000696	वि. 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, बरेली (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025033	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 64-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	प्रशान्त कुमार गौतम/मरदूल राम/ 20.04.1989/30.04.2049/बलिया/ 2012/CEH/420/12000543	वि. 400 के.वी. उपकेन्द्र मोतीराम अड्डा, गोरखपुर (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025034	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 65-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	महेन्द्र कुमार/विजय प्रकाश/ 18.07.1978/31.07.2038/गाजीपुर/ 2012/CEH/424/12000473	वि.प.खं.-I, बस्ती (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025035	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 66-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	बालकृष्ण/श्रीराम/14.07.1987/ 31.07.2047/सुल्तानपुर/ 2012/CEH/425/11006095	वि.प.खं.-प्रथम, अम्बेडकरनगर (म.वि.वि.नि.लि.)	2025036	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 67-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	सत्यप्रकाश सिंह/राम गोपाल/ 21.07.1990/31.07.2050/सिद्धार्थनगर/ 2012/CEH/427/12000532	वि.पा.खं.-प्रथम, बस्ती (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025037	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 68-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	देवेन्द्र सिंह/बाबू सिंह/ 05.04.1982/30.04.2042/मुरादाबाद/ 2012/CEH/433/11006028	वि.प.खं.-किठौर, मेरठ (प.वि.वि.नि.लि.)	2025038	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 69-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	कमलेश कुमार/रामबली राम/ 01.10.1979/30.09.2039/गाजीपुर/ 2012/CEH/436/12000954	वि.पा.खं.-द्वितीय, नोएडा (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025039	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 70-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	काशी नाथ/सर्वजीत/ 27.12.1980/31.12.2040/मिर्जापुर/ 2012/CEH/437/12001247	वि.परी. एवं परि. खं., अलीगढ़ (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025040	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 71-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	उमेश कुमार/राम अवतार/ 01.02.1990/31.01.2050/उन्नाव/ 2012/CEH/438/11003698	अधि. अभि. (बिलिंग), अमौसी क्षेत्र, लखनऊ (म.वि.वि.नि.लि.)	2025041	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.

1	2	3	4	5
संख्या : 72-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	विजय कुमार/मूसे राम/ 17.08.1983/31.08.2043/मिर्जापुर/ 2012/CEH/439/12001252	वि.परी. एवं परि. खं., अलीगढ़ (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025042	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 73-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	यशवीर सिंह/गौरी शंकर/ 30.08.1986/31.08.2046/अलीगढ़/ 2012/CEH/440/12001001	वि.पा.खं., रामपुर (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025043	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 74-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	राम जनम/राम स्वास्थ/ 10.07.1989/31.07.2049/फैजाबाद/ 2012/CEH/442/11001963	11 के.वी., एल.टी. चौक, लखनऊ मध्य क्षेत्र, लखनऊ (म.वि.वि.नि.लि.)	2025044	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 75-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	अंशल कुमार/शिव नाथ राम/ 22.10.1990/31.10.2050/मऊ/ 2012/CEH/443/12000422	वि.पा.खं., बलिया (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025045	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 76-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	जितेन्द्र कुमार/कान्ता राम/ 07.07.1983/31.07.2043/आजमगढ़/ 2012/CEH/444/12000558	वि.पा.खं.-द्वितीय, जौनपुर (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025046	पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 77-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	मनोज कुमार/राजवीर सिंह/ 04.04.1984/30.04.2044/अलीगढ़/ 2012/CEH/446/12000957	वि.पा.खं.-द्वितीय, नोएडा (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025047	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 78-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	अखिलेश चन्द्र त्रिपाठी/नन्द किशोर त्रिपाठी/ 31.03.1980/31.03.2040/कानपुर देहात/ 2012/CEH/451/12001276	वि. 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड पनकी, कानपुर (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025048	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 79-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	श्रीनाथ/कामेश्वर प्रसाद/ 13.07.1991/31.07.2051/बलिया/ 2012/CEH/453/12000634	वि. 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, मोतीराम अड्डा, गोरखपुर (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025049	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 80-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	विनोद कुमार/कवलधारी राम/ 01.07.1975/30.06.2035/बलिया/ 2012/CEH/454/12000603	वि.पा.खं., उन्नाव (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025050	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.

1	2	3	4	5
संख्या : 81-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	सुशील कुमार शाह/कृष्ण कन्हैया/ 25.12.1988/31.12.2048/बलिया/ 2012/CEH/454/12000925	वि.पा.खं., शामली (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025051	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 82-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	ओम प्रकाश प्रसाद/हरिहर प्रसाद/ 04.01.1985/31.01.2045/बलिया/ 2012/CEH/456/12000306	वि.पा.खं.-प्रथम, प्रयागराज (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025052	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 83-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	गजेन्द्र प्रताप शाह/स्व. अरविन्द शाह/ 01.01.1990/31.12.2049/बलिया/ 2012/CEH/457/12001318	वि.पा.खं., बाँदा (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025053	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 84-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	विद्या सागर/मारकण्डेय/ 12.07.1990/31.07.2050/बलिया/ 2012/CEH/458/12000381	वि.पा.खं., गाजीपुर (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025054	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 85-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	रामदयाल सिंह/विजेन्द्र सिंह/ 09.08.1975/31.08.2035/सहारनपुर/ 2012/CEH/459/11005550	वि.पा.खं., मुरादाबाद (प.वि.वि.नि.लि.)	2025055	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 86-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	प्रवीन कुमार राम/गोरख राम/ 03.08.1992/31.08.2052/बलिया/ 2012/CEH/460/12000946	वि.पा.खं.-I, नोएडा (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025056	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 87-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	स्नेह जोशी/रमेश चन्द्र जोशी/ 20.12.1987/31.12.2047/नैनीताल (यू.के.)/CEH/14/20/12000701	वि.पा.खं., बदायूँ (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025057	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 88-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	बिन्दु चौहान/राम सोहित चौहान/ 01.07.1990/30.06.2050/सुल्तानपुर/ CEH/14/49/12000705	वि. परी. एवं परि. खं., लखनऊ (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025058	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 89-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	अरविन्द कुमार कुशवाहा/गोरखनाथ सिंह/ 12.12.1992/31.12.2052/गाजीपुर/ CEH / 14 / 80 / 12000302	वि.पा.खं., राबर्ट्सगंज, सोनभद्र (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025059	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.

1	2	3	4	5
संख्या : 90-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	सौरभ मौर्य/राजकुमार मौर्य/ 15.07.1993/31.07.2053/प्रयागराज/ CEH / 14 / 83 / 11004167	वि.परी.खं., कौशाम्बी (पू.वि.वि.नि.लि.)	2025060	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 91-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	भोला शर्मा/हरिकिसुन शर्मा/ 02.01.1992/31.01.2052/बलिया/ CEH / 14 / 87 / 12000519	वि.पा.खं.-I, बस्ती (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025061	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 92-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	दीपक सिंह/भरत सिंह/ 04.07.1989/31.07.2049/गाजियाबाद/ CEH / 14 / 88 / 12001366	वि.परी. एवं परि.खं., 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025062	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 93-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	आशुतोष शर्मा/वीरेन्द्र शर्मा/23.12.1985/ 31.12.2045/देहरादून (यू.के.)/ CEH / 14 / 93 / 12001034	वि.परी. एवं परि.खं.-द्वि. मुरादाबाद (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025063	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 94-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	अनिल कुमार सिंह/कमला प्रसाद सिंह/ 24.07.1993/31.07.2053/कौशाम्बी/ CEH / 14 / 96 / 11007313	वि.पा.खं.-प्रथम, प्रयागराज (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025064	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 95-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	अनुपम कुमार/विरेन्द्र लाल वर्णलाल/ 02.05.1989/31.05.2049/नवादा (बिहार)/ CEH / 14 / 102 / 11001263	वि.पा.खं., इटावा (द.वि.वि.नि.लि.)	2025066	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 96-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	माता बख्श सिंह/रवि प्रकाश सिंह/ 14.07.1990/31.07.2050/उन्नाव/ CEH / 14 / 104 / 12000651	वि.पा.खं.-प्रथम, लखनऊ (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025067	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 97-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	भरत कुमार/श्रीकान्त बिन्द/ 15.01.1994/31.01.2054/गाजीपुर/ CEH / 14 / 106 / 12000412	वि.पा.खं.-प्रथम, वाराणसी (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025068	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.

1	2	3	4	5
संख्या : 98-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	रौकी कुमार/राजवलम यादव/ 20.02.1990/28.02.2050/नालन्दा (बिहार)/ CEH / 14 / 107 / 11004785	वि.पा.खं., टूण्डला (द.वि.वि.नि.लि.)	2025069	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 241-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 12.02.2026
1.	सौरभ कुमार पाठक/शैलेश कुमार पाठक/ 10.11.1989/30.11.2049/गाजीपुर/ CEH / 14 / 99 / 12000565	वि. परी. एवं परि. खं.-द्वितीय, प्रयागराज (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025065	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 431-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 01.04.2026
1.	अनिल कुमार यादव/राजेन्द्र प्रसाद यादव/ जौनपुर/14.06.1992/11003361/ 2012 / CEH / 285	11 के.वी. एण्ड एल.टी. इन्दिरानगर, सेक्टर-25, लखनऊ (म.वि.वि.नि.लि.)	2025070	पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 560-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 02.05.2026
1.	विकास मिश्र/पुरुषोत्तम मिश्र/ 05.01.1991/31.01.2051/देवरिया/ 11003493/CEH/14/112	वि.न.वि.खं. सप्तम्, गाजियाबाद (प.वि.वि.नि.लि.)	2025071	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 561-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 02.05.2026
1.	शालिनी पाण्डेय/शिवाकान्त त्रिपाठी/ 08.07.1993/31.07.2053/प्रयागराज/ 12000579 / CEH / 14 / 115	वि. परी. एवं परि. खं. बस्ती (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025072	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 562-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 02.05.2026
1.	अनिल कुमार यादव/रघुवीर यादव/ 05.07.1992/31.07.2052/बलिया/ 12000951 / CEH / 14 / 117	वि.पा.खं. द्वितीय नोएडा (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025073	मध्यांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 563-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 02.05.2026
1.	जय सिंह मौर्य/राम किशुन मौर्य/ 10.10.1991/31.10.2051/सोनभद्र/ 12000377 / CEH / 14 / 118	वि.पा.खं. चतुर्थ, प्रयागराज (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025074	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 564-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 02.05.2026
1.	धर्मेन्द्र सिंह/गोपाल कृष्ण/ 02.03.1988/31.03.2048/आगरा/ 11004301/ CEH / 14 / 119	वि.न.वि.खं.-तृतीय गाजियाबाद (प.वि.वि.नि.लि.)	2025075	पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.

1	2	3	4	5
संख्या : 565-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 02.05.2026
1.	विपिन सिंह/रघुराज सिंह/ 20.07.1988/31.07.2048/सीहोर (म.प्र.)/ 11005349 / CEH / 14 / 120	वि.वि.खं., एत्मादपुर (द.वि.वि.नि.लि.)	2025076	पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 566-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 02.05.2026
1.	विनय कुमार/सुरेश चन्द्र/ 01.01.1989/31.12.2048/फरीदाबाद/ (हरियाणा)/12000852/ CEH / 14 / 121	वि.पा.खं.-प्रथम मेरठ (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	2025077	दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.

अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर प्रोन्नति

कार्यालय-ज्ञाप

क्र. सं.	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम/ जन्मतिथि/से.नि. तिथि/गृह जनपद/ वरिष्ठता क्रमांक/सैप आई.डी. (सर्वश्री)	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	आवंटित अभिज्ञान संख्या	प्रोन्नति उपरान्त आवंटित डिस्कॉम/इकाई
संख्या : 99-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	संजय कुमार/राम प्रीत/ 15.08.1991/31.08.2051/अम्बेडकर नगर/ 2014 / CEH(C) / 33 / 12001357	विद्युत जानपद पारेषण खण्ड, कानपुर (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	202501	उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.
संख्या : 100-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	प्रभू राम/राम दयाल/ 08.05.1990/31.05.2050/गाजीपुर/ 2014 / CEH(C) / 34 / 12000584	वि.जा.पा.खं., गोरखपुर (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	202502	उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.
संख्या : 101-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	चन्द्रेश कुमार/ओम प्रकाश/ 05.05.1994/31.05.2054/अम्बेडकरनगर/ 2014 / CEH(C) / 37 / 12001234	वि.जा.पा.खं., अलीगढ़ (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	202503	पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.
संख्या : 102-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	अंकुर कुमार मौर्या/राजेश मौर्या/ 25.10.1991/31.10.2051/गाजीपुर/ 2014 / CEH(C) / 39 / 12001235	वि.जा.पा.खं., बाँदा (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)	202504	उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.
संख्या : 103-अ.प्र.-07/पाकालि/26-25-अ.प्र.-07/25				दिनांक : 30.01.2026
1.	देवव्रत आर्य/धर्मपाल सिंह/ 01.01.1989/31.12.2048/मेरठ/ 2014 / CEH(C) / 40 / 12000178	वि.जा.पा.खं., गाजियाबाद (प.वि.वि.नि.लि.)	202505	उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.

अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नति

संख्या : 157-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26 दिनांक : 16.02.2026

कार्यालय-ज्ञाप

क्र. सं.	अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)/SAP ID/ अभिज्ञान सं./वरि. क्रमांक/जन्मतिथि/ से.नि. तिथि/गृह जनपद	सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती कार्यालय/निगम	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् आवंटित निगम
1	2	3	4
1.	सुशील/11007977/2017574/–/ 16.12.1991/31.12.2051/मथुरा	सहा. अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-II, नोएडा, उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि.
संख्या : 158-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 16.02.2026
1.	शिवम् रंजन/11003973/2017658/–/ 18.10.1987/31.10.2047/गाजीपुर	सहा. अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-II, प्रयागराज, पू.वि.वि.नि.लि.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि.
संख्या : 159-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 16.02.2026
1.	अवनीश कुमार/11002649/2017576/–/ 13.01.1992/31.01.2052/गोरखपुर	सहा. अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, आजमगढ़ पू.वि.वि.नि.लि.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. (मुख्यालय)
संख्या : 160-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 16.02.2026
1.	कृष्ण गोपाल/11004923/2017577/–/ 20.09.1992/30.09.2052/आगरा	सहायक अभियन्ता, वि.न.वि. खण्ड-II, आसफाबाद, फिरोजाबाद, द.वि.वि.नि.लि.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि.
संख्या : 161-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 16.02.2026
1.	अजीत उपाध्याय/11004882/2017665/–/ 23.05.1990/31.05.2050/फिरोजाबाद	उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड-जलेसर, एटा, द.वि.वि.नि.लि.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. (मुख्यालय)
संख्या : 162-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 16.02.2026
1.	शुभम सिंह/11001268/2017580/–/ 01.04.1994/31.03.2054/रायबरेली	सहायक अभियन्ता, पी.एम.सी. इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ उ.प्र.पा.का.लि. मुख्यालय	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.

1	2	3	4
संख्या : 163-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 16.02.2026
1.	विवेक कुमार/11000527/2017668/–/ 11.11.1994/30.11.2054/गोरखपुर	सहायक अभियन्ता, विद्युत आयात निर्यात एवं भुगतान मण्डल, शक्ति भवन, लखनऊ उ.प्र.पा.का.लि. मुख्यालय	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.
संख्या : 164-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 16.02.2026
1.	प्रणव गुप्ता/11007858/2017581/–/ 11.09.1992/30.09.2052/नैनीताल, उत्तराखण्ड	सहायक अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, मेरठ उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.
संख्या : 165-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 16.02.2026
1.	सुधीर कुमार राव/11007621/2017582/ –/15.12.1989/31.12.2049/दक्षिण चम्पारन, बिहार	सहायक अभियन्ता, विद्युत पारेषण उपखण्ड-II, एफ.सी.आई. गोरखपुर, उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.
संख्या : 166-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 16.02.2026
1.	अनुराग श्रीवास्तव/11006153/2017145/ 9744/02.09.1989/30.09.2039/ प्रयागराज	सहायक अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला खण्ड, लखनऊ, म.वि.वि.नि.लि.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.
संख्या : 167-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 16.02.2026
1.	संजय कुमार शर्मा/11006309/9788/ 2017499/04.07.1978/31.07.2038/ सहडोल, मध्य प्रदेश	सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-II, सहारनपुर, प.वि.वि.नि.लि.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.
संख्या : 168-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 16.02.2026
1.	राजेश कुमार वर्मा/11004342/2017521/ 9977/02.07.1978/31.07.2038/ अम्बेडकरनगर	सहायक अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, गौरीगंज, अमेठी, म.वि.वि.नि.लि.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.
संख्या : 170-अ.प्र.(2ब)/पाकालि/2026-प्रोन्नति (02ब)/2025-26			दिनांक : 23.02.2026
1.	धर्मेन्द्र कुमार/11004079/2018122/ 31.05.2052/रविदास नगर	सहायक अभियन्ता, वि.वि.खण्ड-हण्डिया, प्रयागराज	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

With best
compliments
from :

Singh Industries

Address :
NEAR NH-24, GULAM KHEDA, TEHSIL-SADAR,
SHAHJAHANPUR-242 001 (U.P.)
E-Mail : singhindustries81@gmail.com

With best compliments from :

ASAM WHEAT PRODUCTS (P) LTD.

Manufacturer of :

FINEST QUALITY MAIDA, ATTA, SOOJI, RAWA & BRAN

INDUSTRIAL E-STATE, NEAR MANDI SAMITI, ROZA,
DISTT. SHAHJAHANPUR (U.P.) 242 001
Mobile : 9415528473, 9450446469, 9415162140, 9670011666
E-mail : asamwheatproduct@gmail.com

With best compliments from :

Shri Ram Roller Flour Mills (India) Pvt. Ltd.

Manufacturer of :

'SHRI RAM GOLD' ATTA, MAIDA, SUJI & CHOOKER

Regd. Office : Gandhi Ganj, Shahjahanpur - 242 001 (U.P.)
Factory : Village Jamuhi, Sitapur Road, Shahjahanpur - 242 001
Mobile : 7800523000, 8601870515

With best compliments from :

M.C. Roller Flour Mills (Pvt.) Ltd.

Factory at : JAMUHI, SITAPUR ROAD, SHAHJAHANPUR - 242 001
Regd. Office : GANDHI GANJ, SHAHJAHANPUR - 242 001
Mobile : 08756992180, 08756992181 | E-mail : rohitks79@rediffmail.com

S.C. Singhal : 9935126351, **Rohit Singhal** : 9935703692, **Amit Singhal** : 9936987702

With best compliments from :

C.G. AGRO FOODS

PLOT No. B-08, INDUSTRIAL AREA, ROSA, SHAHJAHANPUR
Mobile : 9648884444, E-mail : sscgafoods@gmail.com

With best

compliments

from :

Jai Gurudev Rice Mill

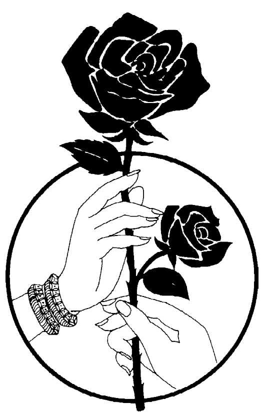

PURANPUR ROAD, BANDA,

SHAHJAHANPUR (U.P.) 242 042

E-mail : jaigurudevricemill@gmail.com

Mobile : 9936697615 (Anil), 9415442539 (Vivesh)

With best compliments from :

Electrotech Controls

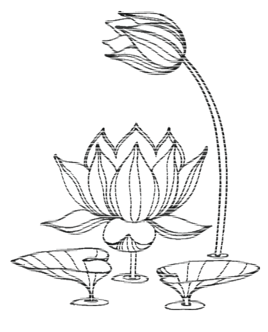

ANPARA

With best compliments from :

Rajendra Prasad Contractor

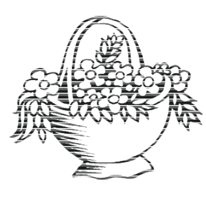

ANPARA

With best compliments from :

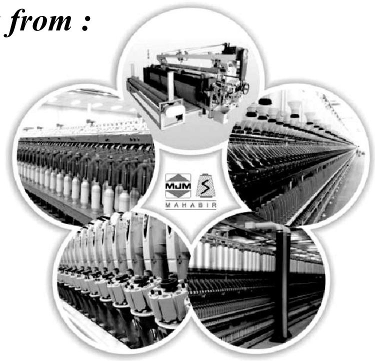

PV Synthetic Blended Yarn
100% Polyester Yarn

PRODUCTS

Slub Yarn
Value Added Fancy Yarn

THE MAHABIR JUTE MILLS LTD.
MAHABIR SYNTEX

SAHJANWA-273 209, GORAKHPUR (U.P.) INDIA

Mob. : 9936769688 - E-mail : admin@mahabir.com - Visit us at : www.mahabir.com

With best compliments from :

HM

HOTEL
MADHUBAN
RESTAURANT AND BANQUET HALL

ROOMS, HALL, BANQUET, MEETING HALL, TERRACE GARDEN, RESTAURANT

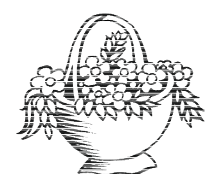

MEHRAULI, NEAR BELIPAR THANA, N.H. 29,
VARANASI ROAD, GORAKHPUR

Mobile : 7392935794, 9651575787

e-mail : hotelmadhubangkp2021@gmail.com | info@hotelmadhubangkp.com

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

शाश्वत फ्लोर मिल

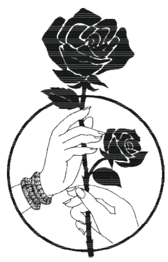

सेक्टर-15, गीडा, गोरखपुर

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

एस. डी. इण्टरनेशनल लि.

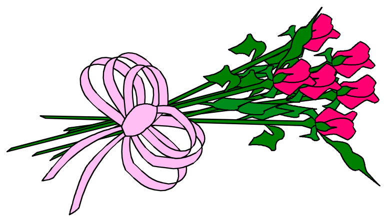

सेक्टर-1, गीडा, गोरखपुर

With best compliments from :

STATUS CLUB GARDEN RETREAT PVT. LTD.

KANPUR

With best compliments from :

This Wedding Season
BE A KASHI BRIDE

KASHI®

JEWELLERS SINCE 1955

24/44, BIRHANA ROAD, KANPUR

PHONE : 0512-2312887 | 7081818102

Follow us on Instagram : /kashijewellerskanpur | Facebook :/houseofkashi

With best compliments from :

M.S. Walaji

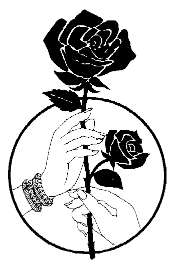

BADAUN
MOBILE : 9837431232

With best compliments from :

M/s Durgesh Chandel

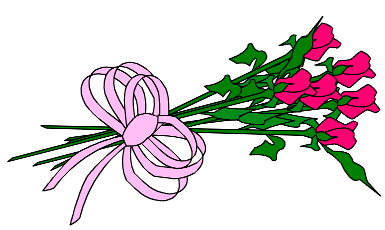

BADAUN
MOBILE : 9410044449

With best compliments from :

EXCLUSIVE COLLECTION OF GOLD, DIAMOND & POLKI JEWELLERY

Sona Chandis™

The Diamond Arcade

For Appointment Call - Ph. : +91-9651950180-84
Or Visit - Birhana Road, Kanpur

IGI TRUSTED JEWELLERS

SUNDAY OPEN

Follow Us On

With best compliments from :

जहाँ विश्वास ही परम्परा हैं

LALA KASHINATH SETH JEWELLERS (P) LTD.

24/62, BIRHANA ROAD, KANPUR-208 001
Mobile : 6390905900, 8756704948
E-mail : lkashinathseth@gmail.com

With best compliments from :

SURYA ELECTRICALS

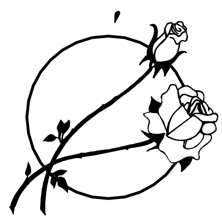

SURBI SADAN, NEW SHIVPURI
(NEAR A.K.P. DEGREE COLLEGE)
SHAHJAHANPUR

With best compliments from :

VIPIN ENCLAVE

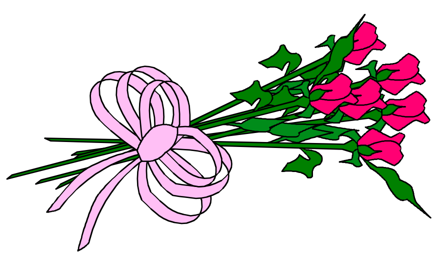

NAGRIYA BAHAV
SHAHJAHANPUR

With best compliments from :

Shree Bankey Bihari ji Rice Mill

Manufacturer of :

BANSMATI & NON-BANSMATI RICE

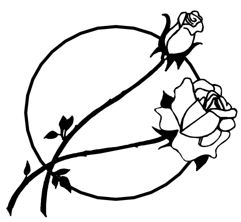

B-25 & 26, Industrial Estate, Roza, Shahjahanpur-242 306
Mobile : 08756992180, 08756992181

With best compliments from :

Jwalaji Trading Company

WHOLESALER, RETAILER, PURCHASING COMMISSION, SELLING AGENT

Chura-Bhusi, Pashu Aahar, Rice Bran, Khali, Dhanbhusi, Ghuta, Oild Cake & De Oild Cake

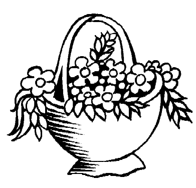

Moh. Fattepur Reti, Near Santoshi Mata Mandir,
Shahjahapur-242 001 (U.P.)
Mobile : +91-9839266333, +91-7607003931

With best compliments from :

Ali Afzal Flour Mill Ltd.

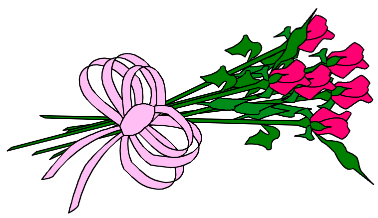

VILLAGE & POST-PALHARI, SAFDARGANJ
FAIZABAD ROAD, BARABANKI

With best compliments from :

Ali Afzal Rice & Flour Mill

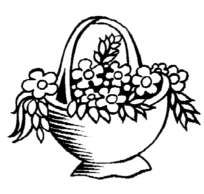

VILLAGE & POST-PALHARI, SAFDARGANJ
FAIZABAD ROAD, BARABANKI

With best compliments from :

LAXMI CHAND & COMPANY

'A' Class Contractor UPPCL and General Supplier

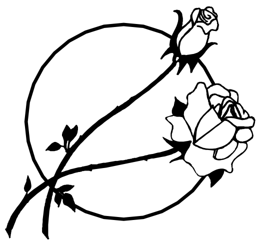

156-B.B. ZAI HAADDAF, NEAR BACHPAN SCHOOL,
SHAHJAHANPUR - 242 001
Mobile : 9415527618, 9794975156
Vendor All UP-UPNEDA | E-mail : patelom1966@gmail.com

With best compliments from :

M/s Shri Balaji Maharaj

'A' CLASS CONTRACTOR

We Deals in Construction of H.T./L.T. Line / Supply of
All Type of Material for Electrification

MOHD. KWAJA FIROZ, SHAHJAHANPUR
Mobile : 9452259555

With best compliments from :

Vijay Traders

I.T.I. ROAD, CIVIL LINE, GONDA

With best compliments from :

SHUBHAM TRADERS

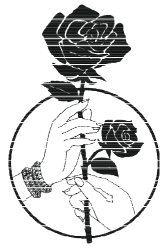

AT CHINOUR POWAYAN ROAD
SHAHJAHANPUR

With best compliments from :

SHREE JI GURUNANAK INDUSTRIES

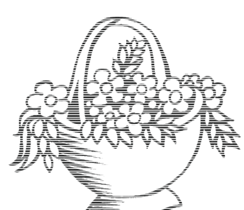

GANGSARA POWAYAN
SHAHJAHANPUR

With best compliments from :

Star O&M

ANPARA

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

राईस मिलर्स एशोसिऐशन, तहसील–पुवायाँ

बण्डा, खुटार, पुवायाँ, जिला–शाहजहाँपुर (उ.प्र.)

(दि यू०पी० राइस मिलर्स एसो० रजि० से सम्बन्धित)

संरक्षक :	*अध्यक्ष :*	*संरक्षक :*
डा० सुधीर गुप्ता	मोहन कुमार मित्तल	नित्यानंद गोयल
महामंत्री खुटार :		*महामंत्री बण्डा :*
लक्ष्मण गुप्ता		पवन कटियार
वरिष्ठ उपाध्यक्ष :	*उपाध्यक्ष :*	*उपाध्यक्ष :*
अनिल कटियार	संजीव मिश्रा	जसपाल मल्होत्रा
कोषाध्यक्ष :	*उप सचिव :*	*उप महामंत्री बण्डा :*
रामसेवक	रमन कुमार	राजीव बंसल गगनदीप

With best compliments from :

Dev Pharmacy

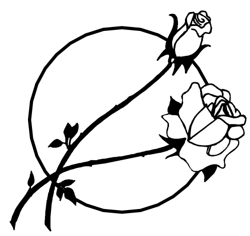

E-17, SECTOR-8, NOIDA
GAUTAM BUDH NAGAR

With best compliments from :

Rainbow Fabart

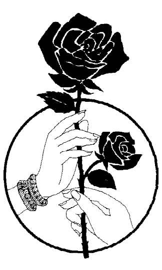

C-71/72, Service Road No.1, Hosiery Complex
Block-C, NOIDA

With best compliments from :

VINAY AGARWAL
Managing Director

PACKAGING SOLUTIONS

S.D. INTERNATIONAL PVT. LTD.

AL-18B & 19, SECTOR-13, GIDA, GORAKHPUR-273 209 (U.P.) INDIA
Mobile : +91-88740 90000
E-mail : vinay@sdgorakhpur.com | www.sdgorakhpur.com

With best compliments from :

– Parmesh Kumar Tayal

INDO-BIO AGRO INDUSTRIES

Manufacturing of :

ZINC SULPHATE, FERROUS SULPHATE, MIXTURE OF MICRO NUTRIENT FERTILIZERS & BIO-FERTILIZER

B-05, INDUSTRIAL ESTATE, SHAMLI-247 776 (U.P.)
Mobile : 9837028880, 9897288800 | E-mail : ibaisml@gmail.com

With best compliments from :

N.M. FOOD PRODUCT

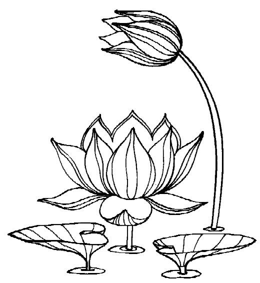

VILLAGE & POST-PALHARI, SAFDARGANJ
FAIZABAD ROAD, BARABANKI

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

शिव ट्रेडर्स

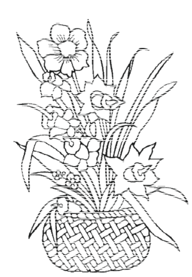

ग्राम-मानपुर, कुलचौरा, पोस्ट-बुधवाई, बदायूँ
मोबाइल : 8869890480

With best compliments from :

Priti Engineering Enterprises

(Govt. Contractor & Engineer)

Specialist in :

All Types of Mechanical, Electrical, Erection & Fabrication, Painting, Civil Works & General Order Supplier

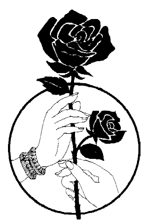

OFFICE : NEW COLONY, SECTOR-9, OBRA-SONEBHADRA (U.P.)
Mobile : 9454135980, 9026738751
E-mail : pritienggobra7272@gmail.com

With best compliments from :

Shahzade Khan

'A' Class Govt. Contractor

An ISO 9001:2015 Certified-23MEQPO01

Expert in :

ALL TYPE OF CIVIL, MECHANICAL, ELECTRICAL & MINING WORKS

Head Office :
Near Geeta Mandir, Sector-8, Obra-Sonebhadra (U.P.) 231219
Mobile : 9565500154, 7388786687
E-mail : shahzadekhan105@gmail.com

With best compliments from :

Santosh Infra Power Private Limited

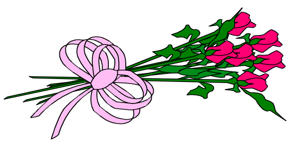

Site Office :
OBRA-SONEBHADRA (U.P.)
Mobile : 7355151989, 9695782892
E-mail : knp8329@gmail.com

Regd. Office :
D.No. 8-1-22/1, K.P.S. Road, Paloncha-507115,
Distt.-Bhadradri Kothaudem (Telangana State)

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

A unit of "GENIM INN"

दिव्यांशी गर्ल्स हॉस्टल

Our Amenities / Services :

♦ Hygienic ♦ Locker Facility ♦ CCTV Campus ♦ Wifi Campus
♦ Laundry Service ♦ Geyser Facility ♦ Medical Support

- Available Occupancies -

SINGLE SEATER - DOUBLE SEATER - TRIPLE SEATER A.C. CAMPUS

Add. : SBC TOWER, SANTOSHI MATA MANDIR, KABIRNAGAR, KHOJWA, VARANASI

For Booking Contact at : 9506242222, 9919805850, 6394464794

With best

compliments

from :

SANKALP ELECTRICAL

RELIABLE CUSTOMIZED EFFICIENT INNOVATIVE RESPONSIVE

SH-6/45 S-Y-T KATHWATIA, SHIVPUR, VARANASI-221 003

E-mail : sankalpelectricalvns@gmail.com

Mobile : 9369524233, 8545837456

With best compliments from :

Welcome to

India's Largest Network of Self Study Centre

Catalyst

Self Study Hall & Library

OLD BUILDING RESONANCE, BRAHMANAND, VARANASI

Contact :- 7754964633, 7068816267

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

धनुषधारी पाण्डेय

बड़गहन, गोरखपुर

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

गोपाल जी

एकला, बाधागड़ा, गोरखपुर

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

राजू जायसवाल

महुआपार, चैसड़, गोरखपुर

With best

compliments

from :

Sanjha Chulha

(RESTAURANT & BANQUET)

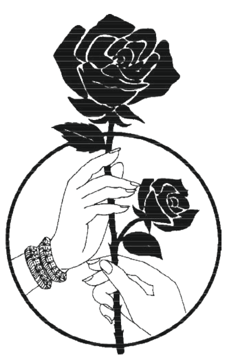

AIRPORT ROAD, TARNA
VARANASI
MOBILE : 7233009913

SANJEEV JAISWAL
(CMD)

With best compliments from :

VIDHAN GROUP

DEVELOPER & PROMOTER

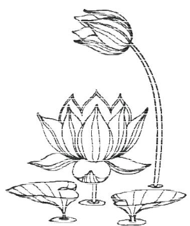

FF-2, Ist Floor, Urvashi Complex, Gandhi Nagar,
Sigra, Varanasi-221010

– Rajnish Singh (CEO)

With best compliments from :

NIKE Energy Manufacturing Pvt. Ltd.

AS9100D & BS EN ISO 9001:2015 Company

Factory / Head Office :
Plot No. 279/2, Ganeshpur, Tarna, Varanasi - 221 003 (U.P.) INDIA
Opp. BHEL HERP Township, on Varanasi Airport Road
E-mail : amit@nikeenergy.in | nikeenergy@gmail.com
E-mail : info@nikeenergy.in, Website : www.nikeenergy.in
Mobile : +91-9936409961, 7880358888

– AMIT AGRAWAL
Director

With best compliments from :

ARYAN EXPORTERS PVT. LTD.

(An ISO 9001:2015 Company)

Manufacturer of :

Rubber Components and Rubber to Metal Bounded Components & Thermoplastic, Constant side Bearer Pad 22 Tons, Elastomeric Pad (REV-4&5 Design-X, Design-B, High Capacity Draft Gear Assembly-WD-7BD, Polymer Spring Pad, Assembly, Spheriblock, Elastic Ring, IV Coupler Pad, Pantograph, Groves Rubber Sole Plate, Bogie Suspension Systems, Air Spring Assembly for Railways & Automotive and Industrial Application.

B-1, INDUSTRIAL AREA, AMAUSI, LUCKNOW-226 008
Phone : 0522-2437456, Fax No. 0522-2436811
E-mail : aryanexp@gmail.com & mail@aryanexp.com
Website : www.aryanexp.com

With best compliments from :

ASHU BROTHERS

SINCE 1982

Om Prakash Agarwal
om@ashubrothers.com
+91-9560806080

Maj Ashish Agarwal
ashish@ashubrothers.com
+91-8800922440

Varchasv Singhal
varchasv@ashubrothers.com
+91-9971419050

D-216, SECTOR-10, NOIDA-201301, U.P.
www.ashubrothers.com

With best compliments from :

AMIT LEATHER WEARS

A-68, BLOCK-A, SECTOR-57
NOIDA

हार्दिक शुभकामनाओं सहित :

सौरभ इंटरप्राइजेज

सर्वेश सिंह 'सोनू'

प्रदेश अध्यक्ष
ठेकेदार कल्याण समिति उ.प्र.

शिवपुर, वाराणसी

With best compliments from :

Durgesh Chandel

"A" CLASS GOVT. CONTRACTOR

SIYA RAM NAGAR, BADAUN (U.P.) 243 601
E-mail : anoopkumar0073@gmail.com
Mobile : 9410044449

With best compliments from :

A.H. Wood Industries

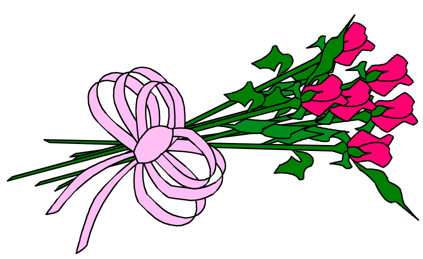

NIGHOI POWAYAN, SHAHJAHANPUR
E-mail : nifasatkhan1003@gmail.com

With best compliments from :

K.K. Power Constructions

POWER

ANPARA

Mobile : 9634082140
E-mail : kkpowerconst@gmail.com

With best compliments from :

D.B.
ENGINEERING WORKS

B-1, SECTOR-68, NOIDA

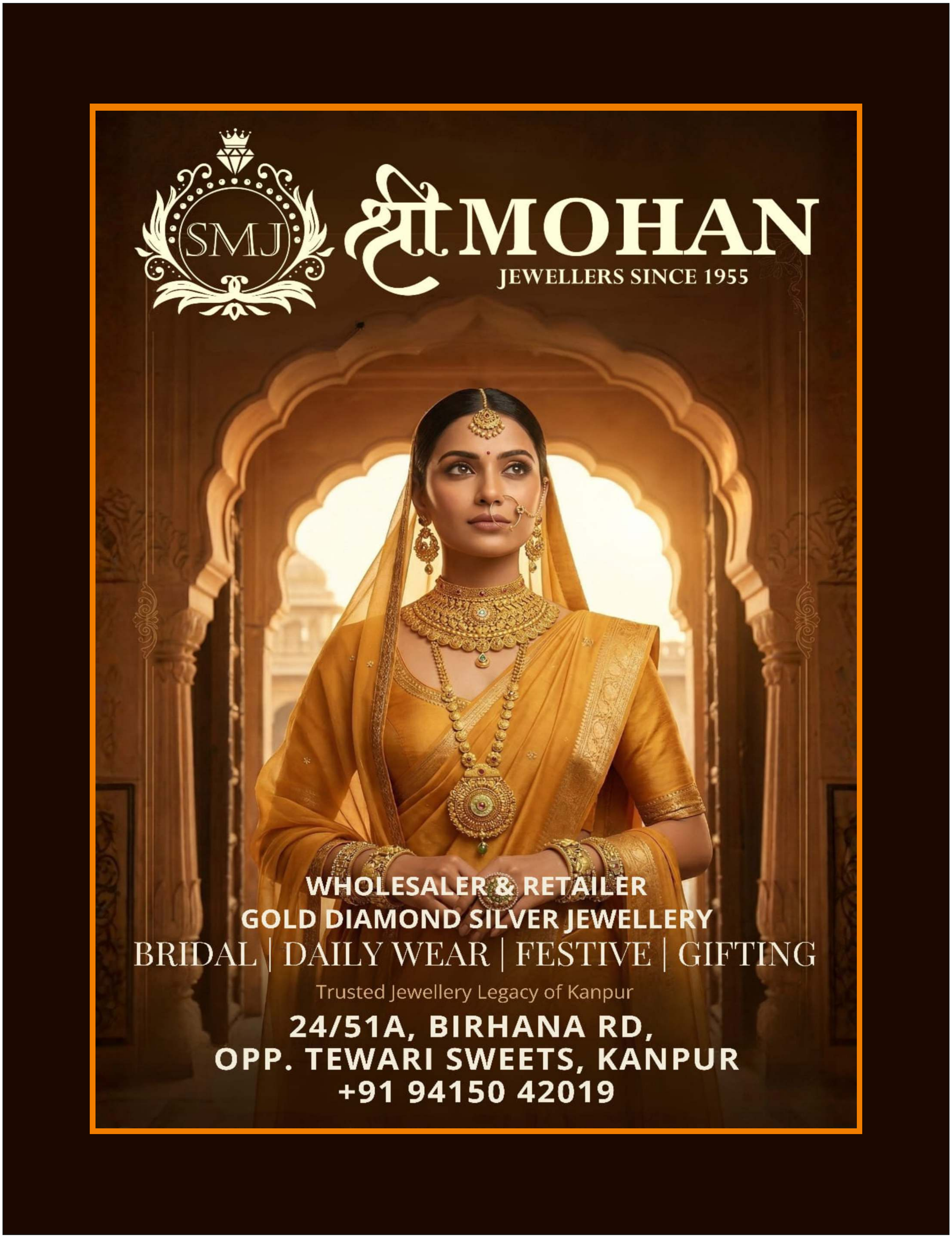
SMJ
श्री MOHAN
JEWELLERS SINCE 1955
WHOLESALER & RETAILER
GOLD DIAMOND SILVER JEWELLERY
BRIDAL | DAILY WEAR | FESTIVE | GIFTING
Trusted Jewellery Legacy of Kanpur
24/51A, BIRHANA RD,
OPP. TEWARI SWEETS, KANPUR
+91 94150 42019

With best

compliments

from :

SMM INFRATECH PVT. LTD.

Civil Construction, Electrical & Instrumentation, Oil & Fuel Infrastructure, Safety & Compliance & Maintenance & Retrofit